

श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका 2017

Pocket Book of Labour Statistics 2017

भारत सरकार Government of India श्रम और रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour & Employment श्रम ब्यूरो Labour Bureau शिमला Shimla



श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका 2017

Pocket Book of Labour Statistics 2017

भारत सरकार Government of India श्रम और रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour & Employment श्रम ब्यूरो Labour Bureau शिमला Shimla

प्रस्तावना

श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका 2017 संस्करण संक्षिप्त रूप में श्रम के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में क्रमिक सांख्यिकी प्रस्तुत करता है, इनमें नियोजन, मजदूरी एवं उपार्जन, मूल्य, औद्योगिक विवाद, दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति और सामाजिक सुरक्षा इत्यादि सिम्मिलित हैं। कुछ देशों के संकेतसूचक, भारत द्वारा अनुसमिथित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय सिहत राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण श्रम कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है। सारणियों के अन्त में विभिन्न सारणियों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां भी दी गई हैं। आशा की जाती है कि श्रम मामलों मे रूचि रखने वाले पणधारियों के लिए यह प्रकाशन लाभदायक सिद्ध होगा। जहां तक संभव हो सका है, नवीनतम सुलभ सूचना प्रस्तुत करने हेतु प्रत्येक प्रयास किया गया है।

श्रम ब्यूरो, इस प्रकाशन को प्रकाशित करने हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न अभिकरणें और विभागों तथा भारत सरकार के अन्य संगठनों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए कृतज्ञ है। इस प्रकाशन को तैयार करने में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने योगदान दिया है, वे मेरी प्रशंसा के पात्र हैं। उनके नाम अनुबंध-ख में दिये गये है। इस प्रकाशन की साफ्ट कापी श्रम ब्यूरो की वैबसाईट www.labourbureaunew.gov.in

इस प्रकाशन के सारांश और गुणवत्ता में और अधिक सुधार हेतु सुझाव आमंत्रित हैं।

श्रम ब्यूरो, शिमला दिनांक: अप्रैल, 2019 अमर सिंह महानिदेशक

PREFACE

Pocket Book of Labour Statistics 2017 presents in concise form, the serial statistics in respect of a number of important aspects of labour, covering information on employment, wages and earnings, prices, industrial disputes, accidents, safety and absenteeism and social security etc. Key Indicators of some countries, ILO Conventions ratified by India alongwith brief account of the important labour activities, both at National and International levels, have also been added. Explanatory notes on various tables have been given at the end of the tables. It is hoped that this publication would be useful for stakeholders in labour matters. All out efforts have been made to present the latest available information.

Labour Bureau is grateful to the various agencies and departments of the Ministry of Labour & Employment and other organizations of the Government of India for extending their cooperation in bringing out this publication. Officers/Officials involved to bring out this publication deserve my appreciation. There name is mentioned in Annexure-B. Soft copy of this publication has also placed on the website of Labour Bureau i.e. www.labourbureaunew.gov.in

Suggestions for further improvements in contents and quality of this publication are welcome.

Labour Bureau, Shimla
Dated: April, 2019

Amar Singh
Director General

सारणी	Table	पृष्ठ Page
	भाग I PART I	1
	1 नियोजन Employment	
1.1	(क) कारखानों में उद्योग समूह अनुसार नियोजन	2
	(a) Employment in Factories by Industry Groups	
	(ख) राज्यवार पंजीकृत कारखानों, चालू कारखानों, विवरणियां भेजने वाले	7
	कारखानों और नियोजित कर्मकारों की संख्या (अनुमानित)	
	(b) State-wise Number of Registered Factories, Working	
	Factories, Factories submitting returns and Workers Employed (Estimated)	
	(ग) विवरणियां भेजने वाले कारखानों में औसत दैनिक नियोजन	10
	(आयु एवं लिंग अनुसार)	10
	(c) Average Daily Employment in Factories submitting	
	Returns (By Age and Sex)	
1.2	मुख्य बागानों मे नियोजित कर्मकारों की औसत संख्या	13
	Average Number of Workers Employed in Major	
1.3	Plantations विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत नियोजन	15
1.3		13
1.4	Employment covered under various Acts. यू पी एस विधि पर आधारित 15 वर्ष एव उससे अधिक उम्र के लिये श्रम	17
1.4	यू पा एस विधि पर आधारित 15 वर्ष एवं उससे आधान उम्र के लिय श्रम शक्ति भागीदारी दर, कर्मकार जनसंख्या अनुपात एवं बेरोजगारी दर	1 /
	Labour Force Participation Rate, Worker Population Ratio	
	and Unemployment Rate based on UPS approach for	
	persons aged 15 years and above	
1.5	क्षेत्रवार नियोजन में बदलाव	20
	Sector wise change of employment	
	2 मजदूरी एवं उपार्जन Wages and Earnings	
2.1	विर्निमाणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक उपार्जन	22
	Average Annual Earnings of Workers Employed in	
2.2	Manufacturing Industries	22
2.2	विर्निमाणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक उपार्जन (उद्योगानुसार)	23
	Average Annual Earnings of Workers Employed in	
	Manufacturing Industries (By Industry)	
	i	

	g continue	
सारणी	Table	पृष्ठ Page
2.3	अकुशल श्रमिकों हेतु प्रति दिवस न्यूनतम एवं अधिकतम मजदूरी	25
	Minimum and Maximum Wages per day for Unskilled Workers	
2.4	भगरातः कृषि एवं गैर-कृषि व्यवसायों में अखिल भारत औसत दैनिक मजदूरी दरें (रुपये में)	29
	All India Average Daily Wage Rate for Agricultural and Non-Agricultural occupations (in Rs.)	
	3 मुल्य Prices	
3.1	(क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए वार्षिक औसत एवं माहवार अखिल भारत उपभोक्ता मृल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001=100	33
	(a) Annual Average and Month wise All-India CPI Nos. for Industrial Workers on Base 2001=100	
	(स) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 2001=100 (केन्द्रवार वार्षिक औसत)	35
	(b) Consumer Price Index Numbers (General) for Industrial Workers on Base 2001=100 (Centre-wise Annual Average)	
3.2	कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1986-87=100 (जुलाई से जुन)	39
	Average CPI Numbers for Agricultural and Rural Labourers on base 1986-87=100 (July to June)	
	4 व्यवसाय संघ Trade Unions	
4.1	व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता में वृद्धि	41
	Growth of Trade Unions and their Membership	
4.2	विवरणियां भेजने वाले व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता (उद्योगानुसार)	42
	Number and Membership of Trade Unions submitting returns (By Industry)	
	5 औद्योगिक विवाद Industrial Disputes	
5.1	औद्योगिक विवादों के कारण कार्य स्थगन	
	Industrial Disputes resulting in Work Stoppages	44
5.2	(क) विवादों के परिणामस्वरुप कार्य स्थगन के कारण मानव दिनों की हानि (उद्योगानुसार)	45
	(a) Mandays Lost in Disputes resulting in Work Stoppages (By Industry)	

_	1994 Mail CONTENTS	
सारणी	Table	पृष्ठ Page
	(ख) विवादों के परिणामस्वरुप कार्य स्थगन के कारण मानव दिनों की हानि (राज्यानुसार)	48
	(b) Mandays Lost in Disputes resulting in Work Stoppages (By States)	
5.3	विवादों का कारणानुसार प्रतिशत वितरण	51
5.4	Percentage Distribution of Disputes by Causes विवादों का अवधि के अनुसार प्रतिशत विवरण	53
	Percentage Distribution of Disputes by Duration	
5.5	परिधि क्षेत्र अनुसार विवाद	54
	Disputes by Sphere	
5.6	क्षेत्र अनुसार विवाद	55
	Disputes by Sectors	
5.7	हड़ताल, तालाबन्दी एवं घेराव अनुसार विवाद	56
	Disputes by Strikes, Lockouts and Gheraos	
5.8	कुल स्थाई बन्दीओं तथा उनसे प्रभावित कर्मकारों की संख्या (राज्यानुसार)	57
	Number of Permanent Closures and Workers Affected (by States)	
5.9	छंटनीओं की संख्या तथा उनसे प्रभावित कर्मकार (राज्यानुसार)	59
	Number of Retrenchments and Workers Retrenched thereby	
	(by States)	
5.10	ईकाईयों में प्रभावित कामबन्दी, प्रभावित कर्मकार तथा मानव दिनों की हानि (राज्यवार)	61
	No. of Units affecting Lay-off, Workers Laid-off and	
	Mandays Lost (by States)	
	6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति Accidents, Safety and	
6.1	Absenteeism (क) कारखानों में औद्योगिक क्षतियां, उनकी आपात एवं आवृत्ति दर	63
0.1	(राज्यानुसार)	03
	(a)Industrial Injuries in Factories, their Incidence and	
	Frequency Rates (By States)	
	(स) महत्वपूर्ण उद्योगों के अनुसार औद्योगिक क्षतियां उनकी आपात एवं	66
	आवृति दर (समूहनुसार)	

सारणी Table (b) Industrial Injuries, their Incidence and Frequency Rates by Important Industries (by group) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70		विषय सूचा CONTENTS	
by Important Industries (by group) राज्य/संघ क्षेत्रवार प्रत्यक्ष रूप में नियोजित नियमित श्रमिकों कीं 70 अनुपश्चिती की दरें State/UT wise Absenteeism Rates amongst Directly Employed Regular Workers 7 सामाजिक सुरक्षा Social Security 7.1 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूरित क्षतियों की 78 संख्या एवं क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूरित क्षतियों की 78 Number of Compensated Injuries and Amount of Compensation Paid under the Employees' Compensation Act, 1923 7.2 मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दिए गए मातृत्व लाभ 79 Maternity Benefits paid under the Maternity Benefit Act, 1961 8 अन्तर्राष्ट्रीय सुलना International Comparison 8.1 भिन्न-भिन्न देशों में चयनित मुख्य उद्योग समूहों में नियोजन 81 Employment in Selected Major Groups of Industries in Different Countries 3 कुने हुए देशों में विनिर्माण में कर्मचारियों का औसत माहवार अभिहित उर्पाजन 84 Mean Nominal monthly Earning of Employees in Manufacturing in Selected Countries 8.3 चुने हुए देशों में व्यवसायिक घातक क्षति, प्रति 1,00,000 नियोजित कर्मकार 87 Fatal Occupational Injuries in Selected Countries 8.4 चुने हुए देशों में व्यवसायिक घातक क्षति, प्रति 1,00,000 नियोजित कर्मकार 87 Fatal Occupational Injuries in Selected Countries per 1,00,000 workers employed 8.5 राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- पूर्व वर्ष से प्रतिशत बदलाव 89 National Consumer Prices Index — Percentage change from previous year 9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 91	सारणी	Table	पृष्ठ Page
Employed Regular Workers 7 सामार्जिक सुरक्षा Social Security 7.1 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूरित क्षतियों की रह कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूरित क्षतियों की संख्या एवं क्षतिपूर्ति के लिए दी गई घन राग्नि Number of Compensated Injuries and Amount of Compensation Paid under the Employees' Compensation Act, 1923 7.2 मातृत्व हिलाभ अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दिए गए मातृत्व लाभ 79 Maternity Benefits paid under the Maternity Benefit Act, 1961 8 अन्तर्राष्ट्रीय चुलना International Comparison 8.1 भिन्न-भिन्न देशों में चयनित मुख्य उद्योग समूहों में नियोजन 81 Employment in Selected Major Groups of Industries in Different Countries 8.2 चुने हुए देशों में विनिर्माण में कर्मचारियों का औसत माहवार अभिहित उर्पाजन 84 Mean Nominal monthly Earning of Employees in Manufacturing in Selected Countries 8.3 चुने हुए देशों में औद्योगिक विवाद 85 Industrial Disputes in Selected Countries 8.4 चुने हुए देशों में व्यवसायिक घातक क्षति, प्रति 1,00,000 नियोजित कर्मकार 87 Fatal Occupational Injuries in Selected Countries per 1,00,000 workers employed 8.5 राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- पूर्व वर्ष से प्रतिशत बदलाव 89 National Consumer Prices Index – Percentage change from previous year 9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 91	6.2	by Important Industries (by group) राज्य/संघ क्षेत्रवार प्रत्यक्ष रूप में नियोजित नियमित श्रमिकों कीं अनुपस्थिती की दरें	70
Act, 1923	7.1	Employed Regular Workers 7 सामाजिक सुरक्षा Social Security कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूरित क्षतियों की संख्या एवं क्षतिपूर्ति के लिए दी गई धन राशि Number of Compensated Injuries and Amount of	78
8 अन्तर्राष्ट्रीय चुलना International Comparison 8.1 भिन्न-भिन्न देशों में चयनित मुख्य उद्योग समूहों में नियोजन 81 Employment in Selected Major Groups of Industries in Different Countries 8.2 चुने हुए देशों में विनिर्माण में कर्मचारियों का औसत माहवार अभिहित उर्पाजन 84 Mean Nominal monthly Earning of Employees in Manufacturing in Selected Countries 8.3 चुने हुए देशों में औद्योगिक विवाद 85 Industrial Disputes in Selected Countries 8.4 चुने हुए देशों में व्यवसायिक घातक क्षति, प्रति 1,00,000 नियोजित कर्मकार 87 Fatal Occupational Injuries in Selected Countries per 1,00,000 workers employed 8.5 राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- पूर्व वर्ष से प्रतिशत बदलाव 89 National Consumer Prices Index — Percentage change from previous year 9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 91	7.2	Act, 1923 मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दिए गए मातृत्व लाभ Maternity Benefits paid under the Maternity Benefit Act,	79
B.2 चुने हुए देशों में विनिर्माण में कर्मचारियों का औसत माहवार अभिहित उपिजन 84 Mean Nominal monthly Earning of Employees in Manufacturing in Selected Countries 8.3 चुने हुए देशों में औद्योगिक विवाद 85 Industrial Disputes in Selected Countries 8.4 चुने हुए देशों में व्यवसायिक घातक क्षति, प्रति 1,00,000 नियोजित कर्मकार 87 Fatal Occupational Injuries in Selected Countries per 1,00,000 workers employed 8.5 राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- पूर्व वर्ष से प्रतिशत बदलाव 89 National Consumer Prices Index – Percentage change from previous year 9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 91	8.1	8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना International Comparison भिन्न-भिन्न देशों में चयनित मुख्य उद्योग समूहों में नियोजन	81
Manufacturing in Selected Countries 8.3 चुने हुए देशों में औद्योगिक विवाद 8.5 Industrial Disputes in Selected Countries 8.4 चुने हुए देशों में व्यवसायिक घातक क्षति, प्रति 1,00,000 नियोजित कर्मकार 8.7 Fatal Occupational Injuries in Selected Countries per 1,00,000 workers employed 8.5 राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- पूर्व वर्ष से प्रतिशत बदलाव 8.9 National Consumer Prices Index – Percentage change from previous year 9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 91	8.2	Different Countries	84
8.4 चुने हुए देशों में व्यवसायिक घातक क्षति, प्रति 1,00,000 नियोजित कर्मकार 87 Fatal Occupational Injuries in Selected Countries per 1,00,000 workers employed 8.5 राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- पूर्व वर्ष से प्रतिशत बदलाव 89 National Consumer Prices Index – Percentage change from previous year 9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 91	8.3	Manufacturing in Selected Countries	85
1,00,000 workers employed8.51,00,000 workers employed898.5National Consumer Prices Index – Percentage change from previous year9भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय91	8.4	चुने हुए देशों में व्यवसायिक घातक क्षति, प्रति 1,00,000 नियोजित कर्मकार	87
previous year 9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 91	8.5	1,00,000 workers employed	89
		previous year 9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय	91

	g comizmi	
सारणी	Table	पृष्ठ Page
	10 वर्तमान श्रम गतिविधियां	98
	10 Current Labour Activities	
	भाग II PART II	1.40
	1 जनसंख्या एवं श्रम शक्ति Population and Labour Force	140
1.1	जनसंख्या का वितरण	141
1.1		141
	Distribution of Population	
1.2	कर्मी एवं गैर-कर्मी जनसंख्या का वितरण	144
	Distribution of Working and non-Working Population	
1.3	जनसंख्या का श्रम शक्ति की स्थिति के अनुसार प्रतिशत वितरण	147
	Percentage distribution of population by Labour Force status	
	2 नियोजन Employment	
2.1	(क) सार्वजनिक क्षेत्र में अनुमानित नियोजन (शाखानुसार)	151
	(a) Estimated Employment in Public Sector (by Branches)	
	(ख) संगठित क्षेत्र में नियोजन (मुख्य उद्योगानुसार)	152
	(b) Employment in Organised Sector (by Major Industries)	
2.2	(क) खानों में खनिजानुसार नियोजन (नियोजित कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या)	154
	(a) Employment in Mines By Minerals (Average Daily No. of Workers Employed)	
	(ख) खानों में राज्यानुसार कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या (वर्णनुसार)	155
	(b) State-wise Average Daily No. of Workers Employed in	
2.3	Mines (By Category) रेलवे, डाक, दूर संचार, बीमा तथा बैंकों में नियोजन	159
2.5		139
	Employment in Railways, Posts, Telecommunications, Insurance and Banks	
2.4	अनुमानित नियोजन सूचकांक	161
	Index Numbers of Estimated Employment	

v

सारणी	Table	पृष्ठ Page
	3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण Employment Services and	
3.1	Training रोजगार कार्यालय एवं उनके कार्यकलाप	162
	Employment Exchanges and their Activities	
3.2	रोजगाार कार्यालयों की चालू पंजी में व्यावसायिक मुख्य समूहानुसार आवेदक	164
3.3	Job Seekers on Live Register of Employment Exchanges classified by Broad Occupational Groups रोजगार कार्यालयों की चालु पंजी में शिक्षित आवेदकों की संख्या	166
	Number of Educated Applicants on Live Register of Employment Exchanges	
3.4	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक के अधीन प्रशिक्षण कार्यकलाप	167
	Training Activities under the DGE&T	
3.5	कारसाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	169
	Training Programmes Conducted by the DGFASLI	
3.6	दत्तोपन्त ठॅगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम ए व्यवसाय संघो तथा अन्य संस्थानों हेतु सहायता अनुदान	वं 171
	Training Programmes conducted by Dattopant Thengadi	
	National Board for Workers Education and Development (erstwhile CBWE) and Grants in aid to Trade Unions and othe	r
	Institutions	
	4 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति Accidents, Safety and Absenteeism	
4.1	रेलवे की औद्योगिक क्षतियों की संख्या एवं आपात दर	179
	Number of Industrial Injuries and Incidence Rates in Railways	
4.2	खनिज वर्गानुसार खानों में औद्योगिक क्षतियां (खनिज श्रेणी अनुसार) Industrial Injuries in Mines (by Class of Minerals)	180
4.3	बंदरगाहों में रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं	185
	Reportable Accidents in Ports	
4.4	जलयानों पर रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं तथा आवृत्ति दर	186
	Reportable Accidents on Board Ships and Frequency Rate	

सारणी	Table	पृष्ठ Page
	5 सामाजिक सुरक्षा Social Security	
5.1	(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्य - सम्मिलित कारखानों एवं कर्मचारियों की संख्या	187
	a) Working of the Employees State Insurance Act- Number of Factories and Employees covered	
	(स) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं उपस्थिति	188
	b) ESI Dispensaries and Attendance	400
	(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/उपगृहों/अन्य अस्पतालों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या	189
	 c) Number of Beds available in ESI Hospitals/ Annexes/ other Hospitals 	ſ
	(घ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमारी एवं प्रसूति लाभ	190
	d) Sickness and Maternity benefits under the ESI Scheme	
	(ङ)कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अन्तर्गत अंग्रहानि एवं आश्रितों को लाभ	191
	e) Disablement and dependants benefits under the ESI scheme	•
	(च) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आय एवं व्यय	192
	f) Income and Expenditure of the ESI	
5.2	(क) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के कार्य	193
	(a) Working of the Employees Provident Fund Scheme	
	(स) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अंशदाता एवं क्षेत्रवार परिधि	194
	(b) Region-wise coverage and subscribers of the Employees' Provident Fund Scheme	
	(ग) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अर्न्तगत प्राप्त अंशदान	197
	(c) Contributions received under Employees' Provident Fund	
	Scheme (घ) निधि निवेश और कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को अनुमत ब्याज	198
	(d) Investment of Funds and Interest allowed to the	
	Employees' Provident Fund Members (इ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गयें ऋण एवं अग्रिम राशियों सहित धन-वापसी	199
	(e) Refunds including Loans and Advances granted under the	
	Employees' Provident Fund Scheme	

सारणी	Table Pu	ਣ Page
	च) राज्यवार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गयें ऋण एवं अग्रिम राशियों सहित धन वापसी	200
	(f) State-wise Refunds including Loans and Advances granted under the Employees' Provident Fund Scheme छ) राज्यवार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत निर्णित दावे और भुगतान की गई धनराशि	202
	(g) State-wise Claims settled and amount paid under the Employees' Provident Fund Scheme (ज) कर्मचारी-भविष्य निधि योजना के अर्न्तगत प्रदान किया गया वापस न किये जाने वाला अग्रिम धन	204
	(h) Non-Refundable Advances granted under the Employees' Provident Fund Scheme (झ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत आय और व्यय	206
5.3	(i) Income and Expenditure under the Employees' Provident Fund Organisation अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य	207
5.4	Working of the Mica Mines Labour Welfare Fund खनिज लोहा, मैंगनीज एवं क्रोम खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य	208
5.5	Working of Iron, Manganese and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य	210
	Working of Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund	
5.6	बीड़ी कर्मकार श्रम कल्याण िनिध के कार्य Working of Beedi Workers' Labour Welfare Fund	211
5.7	सिनेमा कर्मकार श्रम कल्याण निधि के कार्य Working of the Cine Workers Labour Welfare Fund	212
5.8	(क) कोयला खान भविष्य-निधि के कार्य (a) Working of Coal Mines Provident Fund	213
	(ख) कोयला खान भविष्य-निधि के कार्य (राज्यानुसार वितरण) (b) Working of Coal Mines Provident Fund (State wise distribution)	214

1444 gai CONTENTS	
सारणी Table	पृष्ठ Page
(ग) कोयला खान भविष्य-निधि के अन्तर्गत प्रदान किये गए ऋण और अग्रिम	215
धन	
(c) Loans and Advances granted under Coal Mines Provident Fund Scheme	
(घ) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत धन वापसी के दावे	216
(d) Claims for Refunds under the Coal Mines Provident Fund Scheme	
(ड) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत आय एवं व्यय	217
(e) Income and Expenditure under the Coal Mines Provident Fund Scheme	
(च) पारिवारिक पेंशन निधि लाभ	218
(f) Family Pension Fund benefits	
व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-I) Explanatory Notes (Part I)	219
व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग -ll) Explanatory Notes Part II	230
अनुबन्ध-क Annexure-A	243
अनुबन्ध-ख Annexure-B	266

संक्षेपण

अ० एवं नि० द्वीप समूह अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह

अ० प्र० आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्र प्रदश भारत संचार निगम लिमिटिड दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रम शिक्षा और विकास बोर्ड मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कोयला खान भविष्य-निधि आयुक्त भ० सं० नि० लि० द० ठें० रा० श्र० शि० वि० बो०

पुठ ४० राठ श्रेठ । श्रेठ । श्रेठ । श्रेठ आठ (केंठ) कोठ खाठ भठ निठ आठ केठ सांठ काठ दठ एवं नठ हवेली केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय दादर एवं नगर हवेली म० नि० रो० महानिदेशक रोजगार म० नि० प्र० महानिदेशक प्रशिक्षण

म० नि० का० स० से० एवं श्र० सं० म० नि० श्र० क० महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशक, श्रम कल्याण

म० नि० खा० सु० महानिदेशक, खान सुरक्षा क० भ० नि० सं० क० रा० बी० नि० कर्मचारी भविष्य-निधि संगठन कर्मचारी राज्य बीमा निगम

भारतीय सामान्य बीमा (सार्वजनिक क्षेत्र) संघ हिमाचल प्रदेश भा० स० बी० (सा० क्षे०) सं०

हि० प्र० अ० श्र० स० हिमाचल प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जम्मू एवं कश्मीर जीवन बीमा निगम अ० श्र० सं० अ० श्र० सं० ज० एवं क० जी० बी० नि० म० प्र०

जीवन बामा निगम मध्य प्रदेश महानगर टेलीफोन निगम लिमिटिङ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय कहीं और वर्गीकृत नहीं राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक म० प्र० म० टे० नि० लि० रा० प्र० स० का० क० औ० व० न० रा० औ० व० भा० रि० बैं० उत्तर प्रदेश उ० प्र०

ABBREVIATIONS

A & N Islands Andaman and Nicobar Islands

Andhra Pradesh

AP BSNL

Bharat Sanchar Nigam Limited Dattopant Thengadi National Board for Workers Education & Development DTNBWED

CLC(C) Chief Labour Commissioner (Central) CMPFC Coal Mines Provident Fund Commissioner

CSO Central Statistical Office D & N Haveli Dadar & Nagar Haveli Director General Employment
Director General Training
Director General Factory Advice Service and Labour DGE DGT

DGFASLI

Institute

DGLW Director General Labour Welfare DGMS Director General Mines Safety EPFO **Employees Provident Fund Organisation** ESIC Employees' State Insurance Corporation

General Insurance (Public Sector) Association of India Himachal Pradesh International Labour Conference **GIPSAI**

HP

ILC International Labour Organisation ILO LIC Life Insurance Corporation

MPMadhya Pradesh

MTNL Mahanagar Telephone Nigam Limited NSSO NEC NIC National Sample Survey Office Not elsewhere classified National Industrial Classification

RBI Reserve Bank of India

U P Uttar Pradesh

लुघ पुस्तिका की सारणियों में प्रयुक्त संकेत SYMBOLS USED IN THE TABLES OF THE POCKET BOOK

शून्य या नगण्य Nil or negligible

अनुपलब्ध Not available

अनन्तिम Provisional

500 से कम (a) Less than 500

संशोधित £ Revised

पूर्णांक करने की प्रक्रिया के कारण सम्भवतः सारणियों के आंकडों के योगफल न मिलते हों।

The totals of the figures in the tables may not necessarily tally due

to rounding off राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण संकेतांक 2008 का विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

The description of the NIC Code 2008 is given in Annexure

भाग - I PART - I

1.1 (क) कारखानों में उद्योग समूह अनुसार नियोजन 1.1(a) Employment in Factories by Industry Groups

अनुमानित औसत दैनिक नियोजित कर्मकार Estimated Average Daily Number of Workers Employed (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2008/National Industrial Classification 2008)

कोड Code	2013	2014	कोड Code	2013	2014
1	2	3	1	2	3
01	68807	94845	102	8015	13647
011	803	2024	103	22401	34911
012	547	453	104	66179	85563
014	679	840	105	40209	65151
015		26	106	209737	272520
016	66778	91502	107	157470	290690
02	311	371	108	9421	14826
021	14	34	11	50372	77649
023	277	337	110	50372	77649
024	20		12	23106	29560
05	3771	4730	120	23106	29560
051	3771	4718	13	261104	542386
052		12	131	203798	382308
06	100	218	139	57306	160078
061	100	218	14	94648	137351
07	1290	1588	141	89602	127876
071	1120	1220	142	1085	3217
072	170	368	143	3961	6258
08	11440	13432	15	41623	60357
081	10488	11738	151	13487	21430
089	952	1694	152	28035	38927
09	30	1195	16	72893	110781
091	30	75	161	39764	65716
099		1120	162	33129	45066
10	515737	786556	17	58891	119852
101	2305	9248	170	58782	119852

	0	
1	ानया जन	Г

सारणी 1.1 (क) Table 1.1(a)

1 2 3 1 2 3 18 43266 86094 265 11132 24711 181 43252 85978 266 20197 17885 182 14 116 267 3338 5753 19 71119 95345 268 868 2441 191 38058 35141 27 104316 222307 192 33001 60204 271 33422 70588 20 143380 301733 272 5840 18166 201 72426 131377 273 33239 52970 202 69117 164800 274 6305 17826 203 1827 5546 275 11848 32875 21 112532 275514 279 13662 29882 210 112532 275514 28 165953 317259 22 126102 301139			Table 1	.l(a)		
181 43252 85978 266 20197 17885 182 14 116 267 3338 5753 19 71119 95345 268 868 2441 191 38058 35141 27 104316 222307 192 33001 60204 271 33422 70588 20 143380 301733 272 5840 18166 201 72426 131377 273 33239 52970 202 69117 164800 274 6305 17826 203 1827 5546 275 11848 32875 21 112532 275514 28 165953 317259 22 126102 301139 281 106269 197191 221 42287 83314 282 59619 120068 222 83815 217825 29 85737 228620 23 499276	1	2	3	1	2	3
182 14 116 267 3338 5753 19 71119 95345 268 868 2441 191 38058 35141 27 104316 222307 192 33001 60204 271 33422 70588 20 143380 301733 272 5840 18166 201 72426 131377 273 33239 52970 202 69117 164800 274 6305 17826 203 1827 5546 275 11848 32875 21 112532 275514 28 165953 317259 22 126102 301139 281 106269 197191 221 42287 83314 282 59619 120068 222 83815 217825 29 85737 228620 23 49276 587171 291 34397 54838 231 20120	18	43266	86094	265	11132	24711
19 71119 95345 268 868 2441 191 38058 35141 27 104316 222307 192 33001 60204 271 33422 70588 20 143380 301733 272 5840 18166 201 72426 131377 273 33239 52970 202 69117 164800 274 6305 17826 203 1827 5546 275 11848 32875 21 112532 275514 279 13662 29882 210 112532 275514 28 165953 317259 22 126102 301139 281 106269 197191 221 42287 83314 282 59619 120068 222 83815 217825 29 85737 228620 23 499276 587171 291 34397 54838 231 20120 </td <td>181</td> <td>43252</td> <td>85978</td> <td>266</td> <td>20197</td> <td>17885</td>	181	43252	85978	266	20197	17885
191 38058 35141 27 104316 222307 192 33001 60204 271 33422 70588 20 143380 301733 272 5840 18166 201 72426 131377 273 33239 52970 202 69117 164800 274 6305 17826 203 1827 5546 275 11848 32875 21 112532 275514 279 13662 29882 210 112532 275514 28 165953 317259 22 126102 301139 281 106269 197191 221 42287 83314 282 59619 120068 222 83815 217825 29 85737 228620 23 499276 587171 291 34397 54838 231 20120 38433 292 8895 14581 239 4790	182	14	116	267	3338	5753
192 33001 60204 271 33422 70588 20 143380 301733 272 5840 18166 201 72426 131377 273 33239 52970 202 69117 164800 274 6305 17826 203 1827 5546 275 11848 32875 21 112532 275514 279 13662 29882 210 112532 275514 28 165953 317259 22 126102 301139 281 106269 197191 221 42287 83314 282 59619 120068 222 83815 217825 29 85737 228620 23 499276 587171 291 34397 54838 231 20120 38433 292 8895 14581 239 479066 548738 293 42445 159201 241 29	19	71119	95345	268	868	2441
20 143380 301733 272 5840 18166 201 72426 131377 273 33239 52970 202 69117 164800 274 6305 17826 203 1827 5546 275 11848 32875 21 112532 275514 279 13662 29882 210 112532 275514 28 165953 317259 22 126102 301139 281 106269 197191 221 42287 83314 282 59619 120068 222 83815 217825 29 85737 228620 23 499276 587171 291 34397 54838 231 20120 38433 292 8895 14581 239 479066 548738 293 42445 159201 241 294287 383090 301 18498 36554 242	191	38058	35141	27	104316	222307
201 72426 131377 273 33239 52970 202 69117 164800 274 6305 17826 203 1827 5546 275 11848 32875 21 112532 275514 279 13662 29882 210 112532 275514 28 165953 317259 22 126102 301139 281 106269 197191 221 42287 83314 282 59619 120068 222 83815 217825 29 85737 228620 23 499276 587171 291 34397 54838 231 20120 38433 292 8895 14581 239 479066 548738 293 42445 159201 241 294287 383090 301 18498 36554 242 53270 67703 302 25153 26646 243	192	33001	60204	271	33422	70588
202 69117 164800 274 6305 17826 203 1827 5546 275 11848 32875 21 112532 275514 279 13662 29882 210 112532 275514 28 165953 317259 22 126102 301139 281 106269 197191 221 42287 83314 282 59619 120068 222 83815 217825 29 85737 228620 23 499276 587171 291 34397 54838 231 20120 38433 292 8895 14581 239 479066 548738 293 42445 159201 24 443022 595582 30 74089 136331 241 294287 383090 301 18498 36554 242 53270 67703 302 25153 26646 243	20	143380	301733	272	5840	18166
203 1827 5546 275 11848 32875 21 112532 275514 279 13662 29882 210 112532 275514 28 165953 317259 22 126102 301139 281 106269 197191 221 42287 83314 282 59619 120068 222 83815 217825 29 85737 228620 23 499276 587171 291 34397 54838 231 20120 38433 292 8895 14581 239 479066 548738 293 42445 159201 24 443022 595582 30 74089 136331 241 294287 383090 301 18498 36554 242 53270 67703 302 25153 26646 243 95440 144789 303 2460 2514 251 6	201	72426	131377	273	33239	52970
21 112532 275514 279 13662 29882 210 112532 275514 28 165953 317259 22 126102 301139 281 106269 197191 221 42287 83314 282 59619 120068 222 83815 217825 29 85737 228620 23 499276 587171 291 34397 54838 231 20120 38433 292 8895 14581 239 479066 548738 293 42445 159201 24 443022 595582 30 74089 136331 241 294287 383090 301 18498 36554 242 53270 67703 302 25153 26646 243 95440 144789 303 2460 2514 25 226055 488624 304 14901 25966 251 <t< td=""><td>202</td><td>69117</td><td>164800</td><td>274</td><td>6305</td><td>17826</td></t<>	202	69117	164800	274	6305	17826
210 112532 275514 28 165953 317259 22 126102 301139 281 106269 197191 221 42287 83314 282 59619 120068 222 83815 217825 29 85737 228620 23 499276 587171 291 34397 54838 231 20120 38433 292 8895 14581 239 479066 548738 293 42445 159201 24 443022 595582 30 74089 136331 241 294287 383090 301 18498 36554 242 53270 67703 302 25153 26646 243 95440 144789 303 2460 2514 25 226055 488624 304 14901 25966 251 63672 124068 309 13077 44651 252 <t< td=""><td>203</td><td>1827</td><td>5546</td><td>275</td><td>11848</td><td>32875</td></t<>	203	1827	5546	275	11848	32875
22 126102 301139 281 106269 197191 221 42287 83314 282 59619 120068 222 83815 217825 29 85737 228620 23 499276 587171 291 34397 54838 231 20120 38433 292 8895 14581 239 479066 548738 293 42445 159201 24 443022 595582 30 74089 136331 241 294287 383090 301 18498 36554 242 53270 67703 302 25153 26646 243 95440 144789 303 2460 2514 25 226055 488624 304 14901 25966 251 63672 124068 309 13077 44651 252 6815 9202 31 16050 24249 259 1554	21	112532	275514	279	13662	29882
221 42287 83314 282 59619 120068 222 83815 217825 29 85737 228620 23 499276 587171 291 34397 54838 231 20120 38433 292 8895 14581 239 479066 548738 293 42445 159201 24 443022 595582 30 74089 136331 241 294287 383090 301 18498 36554 242 53270 67703 302 25153 26646 243 95440 144789 303 2460 2514 25 226055 488624 304 14901 25966 251 63672 124068 309 13077 44651 252 6815 9202 31 16050 24249 259 15546 355354 310 15963 24249 26 61254 </td <td>210</td> <td>112532</td> <td>275514</td> <td>28</td> <td>165953</td> <td>317259</td>	210	112532	275514	28	165953	317259
222 83815 217825 29 85737 228620 23 499276 587171 291 34397 54838 231 20120 38433 292 8895 14581 239 479066 548738 293 42445 159201 24 443022 595582 30 74089 136331 241 294287 383090 301 18498 36554 242 53270 67703 302 25153 26646 243 95440 144789 303 2460 2514 25 226055 488624 304 14901 25966 251 63672 124068 309 13077 44651 252 6815 9202 31 16050 24249 259 155546 355354 310 15963 24249 26 61254 113572 32 29439 107505 261 12642<	22	126102	301139	281	106269	197191
23 499276 587171 291 34397 54838 231 20120 38433 292 8895 14581 239 479066 548738 293 42445 159201 24 443022 595582 30 74089 136331 241 294287 383090 301 18498 36554 242 53270 67703 302 25153 26646 243 95440 144789 303 2460 2514 25 226055 488624 304 14901 25966 251 63672 124068 309 13077 44651 252 6815 9202 31 16050 24249 259 155546 355354 310 15963 24249 26 61254 113572 32 29439 107505 261 12642 35883 321 12238 57768 262 3991 <td>221</td> <td>42287</td> <td>83314</td> <td>282</td> <td>59619</td> <td>120068</td>	221	42287	83314	282	59619	120068
231 20120 38433 292 8895 14581 239 479066 548738 293 42445 159201 24 443022 595582 30 74089 136331 241 294287 383090 301 18498 36554 242 53270 67703 302 25153 26646 243 95440 144789 303 2460 2514 25 226055 488624 304 14901 25966 251 63672 124068 309 13077 44651 252 6815 9202 31 16050 24249 259 155546 355354 310 15963 24249 26 61254 113572 32 29439 107505 261 12642 35883 321 12238 57768 262 3991 8972 322 - 86 263 7065	222	83815	217825	29	85737	228620
239 479066 548738 293 42445 159201 24 443022 595582 30 74089 136331 241 294287 383090 301 18498 36554 242 53270 67703 302 25153 26646 243 95440 144789 303 2460 2514 25 226055 488624 304 14901 25966 251 63672 124068 309 13077 44651 252 6815 9202 31 16050 24249 259 155546 355354 310 15963 24249 26 61254 113572 32 29439 107505 261 12642 35883 321 12238 57768 262 3991 8972 322 - 86 263 7065 10140 323 99 435	23	499276	587171	291	34397	54838
24 443022 595582 30 74089 136331 241 294287 383090 301 18498 36554 242 53270 67703 302 25153 26646 243 95440 144789 303 2460 2514 25 226055 488624 304 14901 25966 251 63672 124068 309 13077 44651 252 6815 9202 31 16050 24249 259 155546 355354 310 15963 24249 26 61254 113572 32 29439 107505 261 12642 35883 321 12238 57768 262 3991 8972 322 - 86 263 7065 10140 323 99 435	231	20120	38433	292	8895	14581
241 294287 383090 301 18498 36554 242 53270 67703 302 25153 26646 243 95440 144789 303 2460 2514 25 226055 488624 304 14901 25966 251 63672 124068 309 13077 44651 252 6815 9202 31 16050 24249 259 155546 355354 310 15963 24249 26 61254 113572 32 29439 107505 261 12642 35883 321 12238 57768 262 3991 8972 322 - 86 263 7065 10140 323 99 435	239	479066	548738	293	42445	159201
242 53270 67703 302 25153 26646 243 95440 144789 303 2460 2514 25 226055 488624 304 14901 25966 251 63672 124068 309 13077 44651 252 6815 9202 31 16050 24249 259 155546 355354 310 15963 24249 26 61254 113572 32 29439 107505 261 12642 35883 321 12238 57768 262 3991 8972 322 - 86 263 7065 10140 323 99 435	24	443022	595582	30	74089	136331
243 95440 144789 303 2460 2514 25 226055 488624 304 14901 25966 251 63672 124068 309 13077 44651 252 6815 9202 31 16050 24249 259 155546 355354 310 15963 24249 26 61254 113572 32 29439 107505 261 12642 35883 321 12238 57768 262 3991 8972 322 - 86 263 7065 10140 323 99 435	241	294287	383090	301	18498	36554
25 226055 488624 304 14901 25966 251 63672 124068 309 13077 44651 252 6815 9202 31 16050 24249 259 155546 355354 310 15963 24249 26 61254 113572 32 29439 107505 261 12642 35883 321 12238 57768 262 3991 8972 322 - 86 263 7065 10140 323 99 435	242	53270	67703	302	25153	26646
251 63672 124068 309 13077 44651 252 6815 9202 31 16050 24249 259 155546 355354 310 15963 24249 26 61254 113572 32 29439 107505 261 12642 35883 321 12238 57768 262 3991 8972 322 - 86 263 7065 10140 323 99 435	243	95440	144789	303	2460	2514
252 6815 9202 31 16050 24249 259 155546 355354 310 15963 24249 26 61254 113572 32 29439 107505 261 12642 35883 321 12238 57768 262 3991 8972 322 - 86 263 7065 10140 323 99 435	25	226055	488624	304	14901	25966
259 155546 355354 310 15963 24249 26 61254 113572 32 29439 107505 261 12642 35883 321 12238 57768 262 3991 8972 322 - 86 263 7065 10140 323 99 435	251	63672	124068	309	13077	44651
26 61254 113572 32 29439 107505 261 12642 35883 321 12238 57768 262 3991 8972 322 - 86 263 7065 10140 323 99 435	252	6815	9202		16050	24249
261 12642 35883 321 12238 57768 262 3991 8972 322 - 86 263 7065 10140 323 99 435	259	155546	355354	310	15963	24249
262 3991 8972 322 - 86 263 7065 10140 323 99 435	26	61254	113572	32	29439	107505
263 7065 10140 323 99 435					12238	57768
		3991	8972		-	
264 1291 7787 324 6809 7316	263	7065	10140	323	99	435
	264	1291	7787	324	6809	7316

1	ानग्रात्त्रन	

सारणी 1.1 (क)

		Table 1	. ,		
1	2	3	1	2	3
325	2344	11023	451	1850	10252
329	7949	30877	452	74349	148070
33	15209	51699	453	2526	3891
331	15157	51329	454	5809	7458
332	52	370	46	2161	9498
35	102435	167601	461	100	1494
351	94598	156084	462		129
352	2676	5933	463	371	592
353	5161	5584	464	276	1053
36	5857	10655	465		518
360	5808	10655	466	1262	5560
37	886	2261	469	152	152
370	886	2261	47	256	16796
38	5431	6458	471		128
381	91	202	472		140
382	799	988	473	256	15733
383	4541	5268	474		250
39		1090	475		270
390		1090	476		60
41	33	1833	477		215
410	33	1833	49	725	837
42	516	581	491	62	63
421	382	358	492	96	44
422	100	155	493	567	730
429	34	68	50	246	850
43	450	1506	502	232	850
431	56	91	51	15	1354
432	103	343	511		398
433	46	241	512	15	956
439	245	831	52	21240	34284
45	84534	169671	521	21189	28737

1	ानग्रात्त्रन	

सारणी 1.1 (क)

		Table 1.	1(a)		
1	2	3	1	2	3
522	51	5547	712	88	978
55	1299	1275	72	4078	7663
551	1299	1275	721	3973	6707
56	76	144	722	105	956
561	36	36	73	52	52
562	40	108	731	52	52
58	1197	3460	74	113	443
581	1099	3447	741	8	8
582	98	13	742	58	435
59	884	836	749	47	
591	636	795	75	10	10
592	248	41	750	10	10
60		50	77		11
601		50	773		11
61		251	80		20
611		16	801		20
612		185	81		185
619		50	813		185
62	307	832	82	1098	2603
620	307	832	829	1098	2603
63	200	160	84		317
631	100	160	841		259
66		27	842		58
661		27	85		71
69	70	67	852		71
692	70	67	853		-
70		173	86	81	349
701		123	861	24	24
702		50	862	12	50
71	88	1212	869	45	275
711		234	87	9	61

	-	
1	ानयाजन	

सारणी 1.1 (क)

	Table 1.1(a)					
1	2	3				
872	9	11				
879		50				
90	20	58				
900	20	58				
92	3					
920	3					
93	688	1031				
931		1031				
932	688					
95	2253	5339				
951	113	1413				
952	2140	3926				
96	824	1361				
960	750	1287				
98		54				
982		54				
99	80	22				
990	80	22				
योग Total	3659137	6367027				

म्रोत : श्रम ब्यूरो (कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियां)

Source: Labour Bureau(Returns received from different States / UTs under Factories Act, 1948)

टिप्पणः 1. योग उद्योग संकेतांक के दो अंक स्तर पर आधारित हैं।

Note:1. The totals are based on 2 digit level of industry codes

- 2. उद्योग संकेतों का विवरण कृपया अनुबन्ध-क में देखें।
- 2. For details of Industry Codes please see Annexure-A
- 3. आंकडे राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।
- 3. Data based on the returns received from States/U.Ts

1 EMPLOYMENT 1 नियोजन

1.1(स्त) राज्यवार पंजीकृत कारखानों, चालू कारखानों, विवरणियां भेजने वाले कारखानों और नियोजित कर्मकारों की संख्या 1.1(b) State-wise Number of Registered Factories, Working Factories, Factories submitting returns and Workers Employed (अनुमानित) (Estimated)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत कारखाने Regis- tered Facto- ries	Number of चालू कारखाने Working Factories	निवरिणयां भेजने वाले Sub- mitting returns	नियोजित कर्मकार Workers employ- yed (000's)	State/Union Territory
1	2	3	4	5	1
<u>2013</u> आंध्र प्रदेश	26494	21129	7393	345	Andhra Pradesh
असम	5233	4093	358	39	Assam
बिहार	9548	9318	123	16	Bihar
चण्डीगढ	425	425	158	8	Chandigarh
छत्तीसगढ़	3437	3437	360	115	Chhattisgarh
गोवा	705	704	583	65	Goa
हरियाणा	11271	11271	1034	204	Haryana
झारखण्ड	6651	5674	73	39	Jharkhand
मेघालय	152	152	24	3	Meghalaya

1	
1	ानयाजन

सारणी 1.1 (ख) Table 1.1(b)

1	2	3	4	5	1
	•			•	
पुडुचेरी	2902	2035	254	27	Puducherry
राजस्थान	12932	12932	1892	167	Rajasthan
तेलंगाना	19649	14790	5008	267	Telangana
त्रिपुरा	1533	1533	404	16	Tripura
योग	100932	87493	17664	1312	Total
<u>2014</u>					
आंध्र प्रदेश	26936	21145	7775	353	Andhra Pradesh
असम	5537	4412	435	45	Assam
बिहार	10055	9825	60	5	Bihar
छत्तीसगढ़	3699	3699	340	129	Chhattisgarh
गोवा	734	733	553	65	Goa
हरियाणा	11332	11332	958	186	Haryana
हिमाचल प्रदेश	4850	4846	1574	147	Himachal Pradesh
झारखण्ड	6857	5680	53	51	Jharkhand
महाराष्ट्र	38984	36878	19644	1401	Maharashtra

सारणी 1.1 (ख) Table 1.1(b)

1	2	3	4	5	1
मेघालय	160	160	20	3	Meghalaya
नागालैंड	698	698	4	1	Nagaland
पुडुचेरी	2950	1982	193	25	Puducherry
राजस्थान	13268	12906	1891	167	Rajasthan
तेलंगाना	18915	14901	5197	299	Telangana
त्रिपुरा	1581	1581	315	11	Tripura
अ० नि० द्वीप	52	52	36	5	A & N
समूह					Islands
चण्डीगढ़	425	425	101	5	Chandigarh
दादर एवं	6059	4716	378	127	D & Nagar
नगर हवेली					Haveli and
व दमन एवं					Daman &
दीव					Diu
योग	153092	135971	39527	3026	Total

म्रोत : श्रम ब्यूरो (कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received from different States / UTs under Factories Act, 1948) टिप्पण: 1.चार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों यथा अरुणाचल प्रदेश, लक्षदीप ,मिजोरम एव सिक्किम

में कारखाना अधिनियम, 1948 लागू नहीं है। Note: 1. The Factory Act 1948, is not implemented in four States/Union Territories namely Arunachal Pradesh, Lakshadweep, Mizoram & Sikkim. 2. शेष रह गए राज्यों∕संघीय क्षेत्रों से आंकडें प्राप्त नहीं हुए हैं। 2. Data not received from rest of the States /Union Territories

1 नियोजन

$1.1(\pi)$ विवरणियां भेजने वाले कारखानों में औसत दैनिक नियोजन

आयु एवं लिंग अनुसार 1.1(c) Average Daily Employment in Factories Submitting Returns By Age and Sex

राज्य/ संघ	औसत दैनिक नियोजन						State	s / Union
राज्य क्षेत्र	Average Daily Emplo						Terri	torry
	वय		किश			गालक		
		lult	Adole			ildren		
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री		लडिकयां		
1	Male 2	Female 3	Male 4	Female 5	Boys 6	Girls 7	Total 8	1
								•
2013								
आंध्र प्रदेश	286951	58280	-	-	-	-	345231	Andhra Pradesh
असम	34665	4636	66	79	-	-	39446	Assam
बिहार	15470	306	-	-	-	-	15776	Bihar
चण्डीगढ	7064	450	-	-	-	-	7514	Chandigarh
छत्तीसगढ़	112457	2938	-	-	-	-	115395	Chhattisgarl
गोवा	53928	11135	-	-	-	-	65063	Goa
हरियाणा	191125	12771	-	-	-	-	203896	Haryana
झारखण्ड	37208	1576	-		-	-	38784	Jharkhand
मेघालय	3032	419	-	-	-	-	3451	Meghalaya
पुडुचेरी	21605	5487	-	-	-	-	27092	Puducherry
राजस्थान	160404	6949	-	-	-	-	167353	Rajasthan
तेलंगाना	234147	32896	-		-	-	267043	Telangana

_	0	
1	ानय	ाजन

सारणी 1.1 (ग) Table 1.1(c)

1	2	3	4	5	6	7	8	1
त्रिपुरा	12714	3668	-	-	-		- 16382	Tripura
योग	1170770	141511	66	79	-		- 1312426	Total
2014 आंध्र प्रदेश	292300	60973	-	-	-		- 353273	Andhra Pradesh
असम	40425	4448	76	89	-		- 45038	Assam
बिहार	5386	37	-	-	-		- 5423	Bihar
छत्तीसगढ़	126134	3075	-	-	-		- 129209	Chhattisgarh
गोवा	53812	11518	-	-	-		- 65330	Goa
हरियाणा	173625	12057	-	-	-		- 185682	Haryana
हिमाचल प्रदेश	136381	10466	-	-	-		- 146847	Himachal Pradesh
झारखण्ड	49298	1904	-	-	-		- 51202	Jharkhand
महाराष्ट्र	1301775	97719	1684	75	-		- 1401253	Maharashtra
मेघालय -	2951	537	-	-	-		- 3488	Meghalaya
नागालैंड	620	150	-	-	-		- 770	Nagaland
पुडुचेरी	20020	4824	-	-	-		- 24844	Puducherry
राजस्थान	160382	6968	-	-	-		- 167350	Rajasthan

	0	
1	ानया जन	Т

टिप्पण:

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (ग) Table 1.1(c)

1	2	3	4	5	6	7	8	1
तेलंगाना	261506	37228					- 298734	T-1
			-	-	-			Telangana
त्रिपुरा	8444	2871	-	-	-		- 11315	Tripura
अ० नि० द्वीप समूह	4314	260	-	-	-		- 4574	A & N Islands
चण्डीगढ़	4539	317	-	-	-		- 4856	Chandigarh
दादर एवं नगर हवेली व दमन एवं दीव	84862	41798	-	-	-		- 126600	D & Nagar Haveli and Daman & Diu
योग	2726774	297150	1760	164	-		- 3025848	Total

स्रोत : श्रम ब्यूरो (कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received from different States / U.Ts under

Factories Act, 1948)
1 चार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों यथा अरुणाचल प्रदेश, लक्षदीप, मिजोरम एवं सिकिकम
में कारखाना अधिनियम, 1948 लागू नहीं है।
1 The Factory Act 1948, is not implemented in four States/Union
Territories namely Arunachal Pradesh, Lakshadweep, Mizoram and Note: Sikkim. 2 शेष रह गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकडें प्राप्त नहीं हुए हैं। 2 Data not received from rest of the States/Union Territories.

1.2 मुख्य बागानों मे नियोजित कर्मकारों की औसत संख्या Table 1.2 Average Number of Workers Employed in Major Plantations ('000 में') (in 000's)

	चाय	कॉफी	रबड़	·
वर्ष / राज्य	Tea	Coffee	Rubber	Year/State
1	2	3	4	1
2007	610	19	18	2007
2008	714	22	17	2008
2009	720	20	20	2009
2010	630	13	15	2010
2011	697	17	18	2011
2012	634	16	16	2012
2013	846	17	15	2013
2014	719	13	16	2014
2015	711	13	15	2015
2014				
असम	532.8	-	-	Assam
हिमाचल प्रदेश	0.1	-	-	Himachal Pradesh
कर्नाटक	0.9	7.1	1.4	Karnataka
केरल	24.4	0.6	9.1	Kerala
तमिल नाडु	39.8	5.5	2.9	Tamil Nadu
त्रिपुरा	7.6	-	2.2	Tripura
उत्तराखण्ड	1.8	-	-	Uttarakhand
पश्चिम बंगाल	111.2	-	-	West Bengal
अ० एवं नि०	-	-	0.4	A & N Islands
द्वीप समूह				

सारणी 1.2 Table 1.2

		Table 1.2		
1	2	3	4	1
<u>2015</u>				
असम	542.2	-	-	Assam
हिमाचल प्रदेश	0.1	-	-	Himachal Pradesh
कर्नाटक	0.8	6.6	1.4	Karnataka
केरल	17.5	0.9	8.2	Kerala
तमिल नाडु	40.1	5.8	2.9	Tamil Nadu
तेलंगाना	-	-	-	Telangana
त्रिपुरा	8.5	-	2.3	Tripura
उत्तराखण्ड	2.1	-	-	Uttarakhand
पश्चिम बंगाल	99.8	-	-	West Bengal
अ० एवं नि० द्वीप समृह	-	-	0.4	A & N Islands

त्तपूर म्रोतः श्रम ब्यूरो (बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 के अन्तंगत विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों से प्राप्त विविरणियां)

Source: Labour Bureau (Returns received from different States/UTs under Plantations Labour Act, 1951)

1 नियोजन

1.3 विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत नियोजन Table 1.3 Employment covered under various Acts

अधिनियम का नाम	इकाइयों	विवरणियां	औसत	Name of the Act
	की	भेजने वाली	नियोजन	1
	संख्या	इकाइयां	Averag	ge
	No. of	Units	employ	/-
	units	submitting	ment	
		returns		
1	2	3	4	1
<u>2014</u>				
बागान श्रम अधिनियम 1951	3811	1816	755839	Plantations Labour Act, 1951
मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961	149231	27560	799142	Maternity Benefit Act, 1961
मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम	132407	25250	782862	Motor Transport Workers Act, 1961
1961				
कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923	75491	11237	4156885	Employee's Compensation Act, 1923
औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946	75743	26766	4554179	Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम		7896718	17084166	Shops & Commercial Establishments Act

सारणी 1.3

	Table 1.3						
1	2	3	4	1			
<u>2015</u>							
बागान श्रम अधिनियम 1951	3814	1765	745057	Plantations Labour Act, 1951			
मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961	88310	26558	969259	Maternity Benefit Act, 1961			
मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961	121370	20643	712720	Motor Transport Workers Act, 1961			
कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923	70694	7998	4118630	Employee's Compensation Act, 1923			
औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946	90842	27786	4620267	Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946			
दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम		8054121	21985708	Shops & Commercial Establishments Act			

स्रोतः श्रम ब्यूरो (विभिन्न अधिनियमों के अन्तंगत राज्यों/संघ क्षेत्रों से प्राप्त विविरणियां) Source: Labour Bureau (Returns received under different Acts from States/UTs)

टिप्पणी : आंकडे केवल उन राज्यों/संघ क्षेत्रों से संबन्धित हैं जिन्होने विवरणियां भेजी हैं । Note : Data relate to only those States/UTs which have submitted the returns.

1.4-यू पी एस विधि पर आधारित 15 वर्ष एव उससे अधिक उम्र के लिये श्रम शक्ति भागीदारी दर, कर्मकार जनसंख्या अनुपात एवं बेरोजगारी दर (प्रतिशत्त प्रति 1000 व्यक्ति) 1.4- Labour Force Participation Rate, Worker Population Ratio and Unemployment Rate based on UPS approach for persons aged 15 years and above (percent per 1000 persons)

र	निजगार बेरोजगार सर्वे	भ्रण Employme	nt Unemploymer	nt Survey
	दूसरा दौर	तीसरा दौर	चौथा दौर	पांचवां दौर
	Second Round	Third Round		Fifth Round
	(2011-12)	(2012-13)	(2013-14)	(2015-16)
1	2	3	4	5
	श्रम शक्ति भ	ागीदारी दर Lal	our Force Partic	pation Rate
		(ग्रामीण	(Rural)	
पु M	78.8	78.0	74.7	77.3
म F	28.0	24.8	29.1	26.7
कि T	-	-	-	51.1
च P	54.8	52.8	54.7	53.0
		(शहरी) (Url	oan)	
y М	73.3	73.0	73.8	69.1
म F	17.9	16.9	18.5	16.2
कि T	-	-	-	41.2
च P	47.2	46.1	47.2	43.5
	(ग्रामीण -	+ शहरी) (R	ural + Urban)	
y М	77.4	76.6	74.4	75.0
म F	25.4	22.6	25.8	23.7
कि T	-	-	-	48.0
च P	52.9	50.9	52.5	50.3

1 नियोजन			1 EM	IPLOYMENT		
सारणी 1.4 						
1	2	3	4	5		
		कर्मकार जनसंख्या Worker Populati (ग्रामीण) (ion Ratio			
y М	76.6	74.9	71.6	74.1		
म F	26.5	23.4	27.2	24.6		
कि T	-	-	-	50.0		
च P	52.9	50.5	52.1	50.4		
		(शहरी Urb	oan)			
g М	70.9	69.9	70.9	66.8		
म F	15.7	14.7	16.2	14.3		
कि T	-	-	-	36.9		
च P	44.9	43.5	44.6	41.4		
	((ग्रामीण + शहरी R	ural + Urban)			
g М	75.1	73.5	71.4	72.1		
म F	23.6	20.9	23.8	21.7		

45.9

47.8

49.9

48.5

कि T

व P

50.8

1 नियोजन			1 EM	PLOYMENT
		सारणी 1.4 TABLE 1.4		
1	2	3	4	5
		<i>बेरोजगारी दर</i> Unemployment Rat (ग्रामीण) (Rural		
у М	2.7	4.0	4.2	4.2
म F	5.6	5.8	6.4	7.8
कि T	-	-	-	2.1
च P	3.4	4.4	4.7	5.1
		शहरी Urban		
पु M	3.4	4.2	3.9	3.3
म F	12.5	12.8	12.4	12.1
कि T	-	-	-	10.3
च P	5.0	5.7	5.5	4.9
	(ग्रामी	ग + शहरी Rural +	Urban)	
у М	2.9	4.0	4.1	4.0
म F	6.9	7.2	7.7	8.7
कि T	-	-	-	4.3
च P	3.8	4.7	4.9	5.0 इ-बेरोजगारी सर्वेक्षण)

स्रोत : श्रम ब्यूरो (रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण)
Source : Labour Bureau (Employment – Unemployment Survey)
म = महिला कि = किन्नर व= व्यक्ति
F = Female T = Transgender P = Person y = yरुष M = MaleF = Female

सारणी 1.5-क्षेत्रवार नियोजन मे बदलाव स्तरणी 1.5-क्षेत्रवार नियोजन मे बदलाव किनुमान(पहला दौर)एवं नियोजन मे बदलाव अनुमान(दूसरे से सातवें दौर)}

TABLE 1.5- Sector wise change of employment {Level Estimates(1st round} and change estimates of employment (2nd to 7th round)}

1)} (<u>लाखों में)(in lakhs)</u>

क्षेत्र	क्षेत्र अनुमानित स्तर अनुमान में बदलाव						
Sector	Level estimates						
	1-4-2016 को	1-7-2016 over	1-10-2016 ov	er1-1-2017 over			
		1-4-2016	1-7-2016	1-10-2016			
1	2	3	4	5			
विनिर्माण	101.17	-0.12	0.24	0.83			
Manufacturing	101.17	-0.12	0.24	0.83			
निर्माण	2.67	0.22	0.01	0.01			
Construction	3.67	-0.23	-0.01	-0.01			
व्यापार	14 45	0.26	0.07	0.07			
Trade	14.45	0.26	-0.07	0.07			
परिवहन	5.0	0.17	0.00	0.01			
Transport	5.8	0.17	0.00	0.01			
आवास एव रेस्तरां							
Accomodation &	7.74	0.01	-0.08	0.00			
Restaurant							
आई टी/बी पी ओ	40.00	0.46	0.00	0.40			
IT/BPO	10.36	-0.16	0.26	0.12			
शिक्षा	40.00	0.54		0.40			
Education	49.98	0.51	-0.02	0.18			
स्वास्थ्य							
Health	12.05	0.33	0.00	0.02			
जोड Total	205.22	0.77	0.32	1.22			

सारणी 1.5 TABLE 1.5

क्षेत्र	अनुमानित स्तर	अनुमान में बदलाव			
Sector	Level estimates	Change Estimates			
	1-4-2016 को	1-4-2017 over	1-7-2017 over	1-10-2017 over	
		1-1-2017	1-4-2017	1-7-2017	
1	2	6	7	8	
विनिर्माण	101.17	1.02	-0.87	0.89	
Manufacturing	101.17	1.02	-0.87	0.89	
निर्माण	3.67	0.02	0.10	-0.22	
Construction	3.07	0.02	0.10	-0.22	
व्यापार	14 45	0.29	0.07	0.14	
Trade	14.43	0.29	0.07	0.14	
परिवहन	5.8	0.03	-0.03	0.20	
Transport	5.6	0.03	-0.03	0.20	
आवास एव रेस्तरां					
Accomodation &	7.74	0.03	0.05	0.02	
Restaurant					
आई टी/बी पी ओ	10 36	0.13	0.02	0.01	
IT/BPO	10.50	0.13	0.02	0.01	
शिक्षा	49.98	0.02	0.99	0.21	
Education	49.98	0.02	0.99	0.21	
स्वास्थ्य	12.05	0.31	0.31	0.11	
Health	12.03	0.31	0.31	0.11	
जोड Total	205.22	1.85	0.64	1.36	

म्रोत :श्रम ब्यूरो (त्वरित रोजगार सर्वेक्षण) Source : Labour Bureau(Quick Employment Survey)

2.1 विर्निमाणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक उपार्जन

2.1 Average Annual Earnings of Workers Employed in Manufacturing Industries

	2013	2014	
कर्मचारियों की संख्या	482	624	Number of employees
(000 में)			(in 000's)
कुल मजदूरी बिल	469313	667167	Total Wage Bill
(रुपये लाख में)			(Rs in lakh)
प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक उपार्जन (रुपये)	97281	106853	Per Capita Average Annual Earnings (Rs.)

स्रोत : अम. ब्यूरो (भजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियां) Source Labour Bureau (Annual Return under the Payment of wages Act, 1936)

- 1 केन्द्रीय श्रमआयुक्त कार्यालय,अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चण्डीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप व पुडुचेरी से वर्ष 2013 के लिए प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।
- 1 The returns were not received from Central Labour Commissioner, Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Gujarat, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu. Uttar Pradesh, West Bengal, Chandigarh, D&N Haveli, Delhi, Lakshadweep and Pudducherry for the year 2013
- 2 केन्द्रीय श्रम आयुक्त, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप व पुडुचेरी से वर्ष 2014 के लिए प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।
- 2 The returns were not received from Central Labour Commissioner, Arunachal Pradesh, Gujarat, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Punjab, Sikkim, Uttarakhand. Uttar Pradesh, West Bengal, , D&N Haveli, Delhi, Lakshadweep and Puducherry for the year 2014

.

- 2.2 विर्निमाणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक उपार्जन (उद्योगानुसार)
 2.2 Average Annual Earnings of Workers Employed in Manufacturing Industries (By Industry)

(रुपयों में) (in rupees)

रा०औ०व० 2008 NIC-2008			
कोड सं० Code No.	2013	2014	
1	2	3	
10	90320	115460	
11	85031	104228	
12	64755	105904	
13	71109	86736	
14	90433	110899	
15	81875	104740	
16	86353	110554	
17	183249	108501	
18	101906	94436	
19	71773	107040	
20	88757	105414	
21	102429	92149	
22	107719	101082	

सारणी	2.2	

	Table 2.2	
1	2	3
23	117841	107489
24	96455	101746
25	100352	118191
26	91931	96557
27	104157	104548
28	106119	135773
29	109897	117954
30	148563	138925
31	100643	102703
32	80274	82829
समस्त उद्योग All Industries	97281	106853

All Industries 9/281 106853

होत : श्रम. ब्यूरो (मजदूरी शुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियां)

Source Labour Bureau (Annual Return under the Payment of wages Act, 1936)

टिप्पण: मजदूरी की अधिकतम सीमा च 10000 से च 18000 प्रति माह 11 सितम्बर,

2012 से बढ़ा दी गई थी।

Note : Wage ceiling was enhanced from Rs 10000/- to Rs 18000 p.m.

from 11th September, 2012.

उद्योग संकेतों का विवरण कृपया अनुबन्ध-क में देखें।

For details of Industry Codes please see Annexure-A.

2.3 अकुशल श्रमिकों हेतु प्रति दिवस न्यूनतम एवं अधिकतम मजदूरी (31 दिसम्बर को) 2.3 Minimum and Maximum Wages per day for unskilled workers (as on 31st December)

राज्य क्षेत्र संशोधि No. of Emplo which	रोजगारों की हेतु न्यूनतम् निर्धारित / त की गई Scheduled yments in minimum xed/ revised	न मेज Mi Max Per <u>MIN</u>	ाम एवं अधिक दूरी प्रति दिग् (रुपयों में) nimum and imum Wag day (in Rs <u>M</u> A	Government/ State/ Union Territory
1	2	3	4	1
2013				
मु०श्र०आ० (केन्द्रीय)	45	165.26	377.00	CLC (Central)
आन्ध्र प्रदेश	73	69.27	335.31	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश	30	80.00	80.00	Arunachal Pradesh
असम	105	72.00	160.00	Assam
बिहार	88	163.00	176.00	Bihar
छत्तीसगढ़	46	198.57	200.07	Chhattisgarh
गोवा	21	150.00	150.00	Goa
गुजरात	54	100.00	248.00	Gujarat
हरियाणा	50	205.44	205.44	Haryana
हिमाचल प्रदेश	12	150.00	150.00	Himachal Pradesh
जम्मू एवं कश्मीर	28	150.00	150.00	Jammu & Kashmir
झारखण्ड	88	167.17	167.17	Jharkhand
कर्नाटक	79	196.65	314.93	Karnataka

सारणी 2.3

		Table 2.3		
1	2	3	4	1
	73	150.00	532.50	Kerala
मध्य प्रदेश	38	148.00	212.00	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	67	100.00	368.00	Maharashtra
मेघालय	28	100.00	100.00	Meghalaya
मणिपुर	15	122.10	122.10	Manipur
मिजोरम	1	220.00	220.00	Mizoram
नागालैंड	54	115.00	115.00	Nagaland
ओड़िशा	84	126.00	150.00	Odisha
पंजाब	71	240.64	250.64	Punjab
राजस्थान	62	120.54	222.39	Rajasthan
सिक्किम	26	200.00	200.00	Sikkim
तमिलनाडू	73	85.00	389.85	Tamil Nadu
त्रिपुरा +	22	61.39	218.65	Tripura+
उत्तराखण्ड	58	144.05	231.35	Uttarakhand
उत्तर प्रदेश	64	142.00	241.36	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	56	131.46	220.73	West Bengal
अ एवं नि द्वीव समूह	7	241.00	271.00	A & N Islands
चण्डीगढ	44	282.76	282.76	Chandigarh
दादर एवं नगर हवेली	56	196.20	196.20	D & N Haveli
दमन एवं दीव	72	196.20	196.20	Daman & Diu
दिल्ली	29	311.00	311.00	Delhi
लक्षदीप	9	254.80	254.80	Lakshadweep
पुडुचेरी	26	55.00	205.00	Puducherry

सारणी :	2.3
---------	-----

		Table 2.3		
1	2	3	4	1
2014				
मु०श्र०आ० (केन्द्रीय)	45	176.73	377.00	CLC (Central)
आन्ध्र प्रदेश	73	69.27	354.81	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश	30	150.00	150.00	Arunachal Pradesh
असम	102	75.00	163.47	Assam
बिहार	88	170.00	186.00	Bihar
छत्तीसगढ <u>़</u>	46	213.69	222.69	Chhattisgarh
गोवा	21	215.00	215.00	Goa
गुजरात	56	100.00	276.00	Gujarat
हरियाणा	50	216.90	216.90	Haryana
हिमाचल प्रदेश	12	170.00	170.00	Himachal Pradesh
जम्मू एवं कश्मीर	28	150.00	150.00	Jammu & Kashmir
झारखण्ड	88	178.67	178.67	Jharkhand
कर्नाटक	80	213.00	336.44	Karnataka
केरल	73	150.00	547.80	Kerala
मध्य प्रदेश	64	187.00	253.00	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	67	120.00	439.35	Maharashtra
मेघालय	28	160.00	160.00	Meghalaya
मणिपुर	15	122.10	122.10	Manipur
मिजोरम	1	220.00	220.00	Mizoram
नागालैंड	54	115.00	135.00	Nagaland
ओड़िशा	88	126.00	150.00	Odisha
पंजाब	71	256.52	266.52	Punjab
राजस्थान	62	189.00	232.84	Rajasthan

सारणी 2.3

		Table 2.3		
1	2	3	4	1
				_
सिक्किम	26	220.00	220.00	Sikkim
तमिलनाडू	73	85.00	389.85	Tamil Nadu
त्रिपुरा +	24	71.98	271.86	Tripura+
तेलंगाना	73	69.27	380.49	Telangana
उत्तराखण्ड	58	151.80	268.00	Uttarakhand
उत्तर प्रदेश	64	142.00	246.75	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	61	162.88	257.00	West Bengal
अ एवं नि द्वीव समूह	7	261.00	291.00	A & N Islands
चण्डीगढ	44	209.80	305.38	Chandigarh
दादर एवं नगर	56	209.80	209.80	D & N Haveli
हवेली				
दमन एवं दीव	72	209.80	209.80	Daman & Diu
दिल्ली	29	332.00	332.00	Delhi
लक्षदीप	9	255.20	255.20	Lakshadweep
पुडुचेरी	29	55.00	205.00	Puducherry

स्रोत : श्रम ब्यूरो (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियां) Source : Labour Bureau (Annual Return under the Minimum wages Act, 1948) += खाद्य पदार्थ सहायकी दरों पर

^{+ =} Plus food items at subsidized rates

2.4 कृषि एवं गैर कृषि व्यवसायों में अखिल भारत औसत दैनिक मजदूरी दरें 2.4 All India Average Daily Wage Rate for Agricultural and Non-Agricultural Occupations (रुपये में) (in Rs.)

Sl.	कृषि व्यवसाय	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
No	Agricultural Occupations	Man	Woman	Man	Woman
1	2	3	4	5	6
		20	16	2	2017
1	जुताई (हल/कुदाल)	287.37	193.10	305.02	222.15
	Ploughing/Tilling workers				
2	बुआई (रोपण/प्रतिरोपण निराई	253.25	209.24	268.80	222.33
	इत्यादि)				
	Sowing (including Planting/				
	Transplanting/ Weeding)				
	workers				
3	कटाई/औराई/तितुण आदि	251.41	211.36	267.54	226.58
	Harvesting/ Winnowing/				
	Threshing workers				
4	चुनना/चयन करना (चाय,	227.58	193.04	239.43	201.44
	कपास, तंबाकू तथा अन्य नगदी				
	फसलें)				
	Picking Workers (including				
	tea, cotton, tobacco & other				
_	commercial crops)	240.25	107.51	262.16	204.20
5	बागवानी (नर्सरी उत्पादक)	248.35	187.51	262.16	204.39
	Horticulture Workers				
,	(including nursery growers)	217.02		252.72	
6	अन्तर्देशी मछुआरे	317.82	+	352.72	+
	Fishermen- Inland				

			,
2	मजदरी	ਧਕ	उपाजन

2 WAGES AND EARNINGS

सारणी 2.4	ļ
Table 2.4	1

7	समुद्रतटीय/समुद्री मछुआरे	282.96	+	327.53	+
8	Fisherman-Coastal/ DeepSea लकड़हारा, लकडी चिराई व कटाई इत्यादि	331.62	166.36	346.58	186.38
9	Loggers and wood cutters पशुपालन (मुर्गी व दुग्ध पालन,चरवाहा आदि)	204.60	161.60	218.30	166.87
10	Animal Husbandry workers (including Poultry, dairy & Herdsman) पैकिंग/बंधाई कर्मकार	236.20	188 69	241.46	197.85
11	Packaging Labourers सामान्य क्षि श्रमिक (सिंचाई कर्मी आदि)	248.32		264.05	205.32
12	General agriculture Labourers (including Watering/ Irrigation etc.) पौध संरक्षक (कीटनाशक, बिजोपचार आदि) Plant protection workers (applying Pesticides, treating seeds etc.)	300.12	196.83	315.86	196.74

गैर-कृषि व्यवसाय Non-Agricultural Occupations

1 बढ़ई 380.36 .. 400.88 .. Carpenter

	0			0
२ मज	दरी	ਧਕ	उपाज	नि

2 WAGES AND EARNINGS

जपूरा एवं उपाजन	-	WIGES	II ID LI II	a tin tob
लोहार	313.69	254.00	331.59	+
Blacksmith राज मिस्त्री	422.20	284.28	443.75	285.00
बुनकर/जुलाहे	271.28	223.47	284.55	230.01
बीडी कर्मकार	181.29	134.79	194.53	141.03
Beedi Makers बांस∕बैंत टोकरी कर्मकार	234.91	194.28	244.82	194.63
Bamboo, cane basket weavers हस्तशिलप कर्मकार	342.29	183.07	367.44	200.16
Handicraft workers नलसाज	405.04		426.72	
Plumbers बिजली मिस्त्री	390.65		406.78	
Electricians निर्माण कार्य (ईमारत, सडक,		216.46	316.32	227.33
तथा कुआं खनन आदि)				
roads, dams, industrial &				
project construction work and well diggers)				
	लोहार Blacksmith राज मिस्त्री Mason बुनकर/जुलाहे Weavers बीडी कर्मकार Beedi Makers बांस/बैंत टोकरी कर्मकार Bamboo, cane basket weavers हस्तशिल्प कर्मकार Handicraft workers नलसाज Plumbers बिजली मिस्त्री Electricians निमाणं कार्य (ईमारत, सडक, बांध, औद्योगिक एवं परियोजना तथा कुआं खनन आदि) Construction workers (for roads, dams, industrial & project construction work	सारणी 2.4 Table 2.4 लोहार 313.69 Blacksmith राज मिस्त्री 422.20 Mason बुनकर/जुलाहे 271.28 Weavers बीडी कर्मकार 181.29 Beedi Makers बांस/बैंत टोकरी कर्मकार 234.91 Bamboo, cane basket weavers हस्तशिल्प कर्मकार 342.29 Handicraft workers नलसाज 405.04 Plumbers बिजली मिस्त्री 390.65 Electricians निर्माणं कार्य (ईमारत, सङक, बांध, औद्योगिक एवं परियोजना तथा कुआं खनन आदि) Construction works	सारणी 2.4 Table 2.4 लोहार 313.69 254.00 Blacksmith राज मिस्त्री 422.20 284.28 Mason बुनकर/जुलाहे 271.28 223.47 Weavers बीडी कर्मकार 181.29 134.79 Beedi Makers बांस/बैंत टोकरी कर्मकार 234.91 194.28 Bamboo, cane basket weavers हस्तशिल्प कर्मकार 342.29 183.07 Handicraft workers नलसाज 405.04 Plumbers बिजली मिस्त्री 390.65 Electricians निमाणं कार्य (ईमारत, सङक, वांध, औद्योगिक एवं पिरोजना तथा कुआं खनन आदि) Construction workers (for roads, dams, industrial & project construction work	सारणी 2.4 Table 2.4 लोहार 313.69 254.00 331.59 Blacksmith राज मिस्त्री 422.20 284.28 443.75 Mason बुनकर/जुलाहे 271.28 223.47 284.55 Weavers बीडी कर्मकार 181.29 134.79 194.53 Beedi Makers बांस/बैंत टोकरी कर्मकार 234.91 194.28 244.82 Bamboo, cane basket weavers हस्तशिल्प कर्मकार 342.29 183.07 367.44 Handicraft workers नलसाज 405.04 . 426.72 Plumbers बिजली मिस्त्री 390.65 . 406.78 Electricians निमाण कार्य (ईमारत, सडक, बांध, औद्योगिक एवं परियोजना तथा कुआं खनन आदि) Construction workers (for roads, dams, industrial & project construction work

			,
2	मजदरी	ਧਕ	उपाजन

2 WAGES AND EARNINGS

सारणी 2.4 Table 2.4

11	हल्के मोटर वाहन/ट्रैक्टर	322.68		336.50	
	चालक				
	LMV & Tractor drivers				
12	गैर कृषि श्रमिक (पल्लेदार,	257.95	191.43	271.17	205.90
	भार वाहक आदि)				
	Non-agricultural labourers				
	(including porters, loaders)				
13	सफाई कर्मी	212.97	208.89	221.42	210.27
	Sweeping/cleaning workers				

म्रोतः श्रम ब्यूरो (कृषि एवं गैर-कृषि व्यवसायों के लिए औसत दैनिक मजदूरी दरों की विवरणियां)

Source: Labour Bureau (Returns of Average Daily Wage Rates for Agricultural and Non-Agricultural occupations) + उद्धरणों की संख्या पांच से कम होने के कारण औसत नहीं निकाली गई

- + Number of quotations are less than five hence averages not worked out.

3.1 (क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए वार्षिक औसत एवं माहवार अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001=100 3.1 (a) Annual Average and month-wise All-India Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on Base 2001=100

वर्ष/माह		सूचकांक ll Index		रूचकांक Index	Year/Month
	2016	2017	2016	2017	
1	2	3	4	5	1
जनवरी	269	274	297	298	January
फरवरी	267	274	292	297	February
मार्च	268	275	293	298	March
अप्रैल	271	277	299	301	April
मई	275	278	307	302	May
जून	277	280	312	308	June
जुलाई	280	285	316	315	July
अगस्त	278	285	310	315	August
सितम्बर	277	285	308	312	September

3 PRICES 3 मूल्य

सारणे 3.1 (क)					
		Table	e 3.1 (a)		
1	2	3	4	5	1
अक्तूबर	278	287	310	317	October
नवम्बर	277	288	307	319	November
दिसम्बर	275	286	301	314	December
(वार्षिक औसन)	274	281	304	308	(Annual Average)

म्रोत : श्रम ब्यूरो (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियां)

Source : Labour Bureau (Annual Return under the Consumer price Index) टिप्पण :

- Note :
 i) औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 2001=100 की नई शृंखला जनवरी, 2006 से अवमुक्त की गई है।
 - i) New series of Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on base 2001=100 has been released w.e.f. January, 2006.
 - ii) 2001 एवं 1982 शृंखला के मध्य सामान्य सूचकांक और खाद्य सूचकांक के योजक घटक कमशः 4.63 और 4.58 है
 - ii) The linking factors between 2001 and 1982 series are 4.63 and 4.58 for General Index and Food Index respectively.

3.1 (ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 2001=100 (केन्द्रवार वार्षिक औसत्त)
3.1 (b) Consumer Price Index Numbers(General) for Industrial Workers on Base 2001=100 (Centre-wise Annual Average)

शृंखला के	
साथ योजक	
घटक	
Linking	
Factor with	
1982=100	
series	
1 2 3 4 1	
गुन्दूर 4.57 270 275 Guntur	
विजयवाडा + 267 275 Vijaywada	
विशाखापत्तनम 4.64 275 279 Vishakhapatar	ıam
डुमडुमा तिनसुकिया 4.04 246 259 Doom Dooma Tinsukia	
गुवाहाटी 4.80 242 247 Guwahati	
लबाक सिल्चर 3.65 257 258 Labac Silcher	
मरियानी जोरहाट 4.01 241 243 Mariani Jorhat	
रंगापारा तेजपुर 4.17 238 241 Rangapara Tej	pur
मुंगेर जमालपुर 4.30 297 298 Mungher Jama	ılpuı
चण्डीगढ 5.26 269 278 Chandigarh	
भिलाई 4.20 306 310 Bhilai	
दिल्ली 5.60 246 257 Delhi	
गोवा 5.59 289 295 Goa	
अहमदाबाद 4.62 261 266 Ahmedahad	
अहमदाबाद 4.62 261 266 Ahmedabad	

सारणी 3.1 (ख)

		Table 3.1(b)	
1	2	3	4	1
भावनगर	4.76	257	265	Bhavnagar
राजकोट	4.38	269	270	Rajkot
सूरत	4.54	248	258	Surat
बड़ोदरा	4.39	261	261	Vadodara
फरीदाबाद	4.79	253	257	Faridabad
यमुनानगर	4.34	265	273	Yamunanagar
हिमाचल प्रदेश	4.53	242	254	Himachal Pradesh
श्रीनगर	5.62	247	261	Srinagar
बोकारो	+	276	276	Bokaro
गिरिडीह	+	295	301	Giridih
जमशेदपुर	4.23	314	327	Jamshedpur
झरिया	3.72	304	306	Jharia
कोडरमा	3.89	319	321	Kodarma
रांची हाटिया	4.20	305	317	Ranchi Hatia
बेलगाम	5.02	279	290	Belgaum
बेंगलुरु	4.51	278	287	Bengaluru
हुबली धारवाड़	4.71	293	299	Hubli Dharwar
मरकारा	4.47	282	296	Mercara
मैसूर	+	280	295	Mysore
एरनाकुलम	4.52	268	289	Ernakulam
मुण्डाक्याम	4.37	280	299	Mundakkayam
क्विलो न	4.61	297	323	Quilon
भोपाल	4.83	271	276	Bhopal
छिंदवाडा	4.03	281	286	Chhindwara

36

सारणी 3.1 (ख)

		Table 3.1(b)	
1	2	3	4	1
इन्दौर	4.73	252	257	Indore
जबलपुर 	4.53	274	279	Jabalpur
मुम्बई	5.18	287	289	Mumbai
नागपुर	4.68	306	312	Nagpur
नासिक	4.94	285	291	Nasik
पुणे	4.96	277	275	Pune
शोलापुर	4.73	293	294	Sholapur
अंगुल तलछर	+	284	297	Angul Talcher
राउरकेला	4.03	289	296	Rourkela
पुडुचेरी	4.88	286	299	Puducherry
अमृतसर	4.09	271	281	Amritsar
जालंधर	+	270	281	Jalandhar
लुधियाना	4.12	273	275	Ludhiana
अजमेर	4.78	256	260	Ajmer
भीलवाडा़	4.62	269	274	Bhilwara
जयपुर	4.25	257	268	Jaipur
चेन्नई	4.95	255	261	Chennai
कोयम्बटूर	4.49	250	265	Coimbatore
कुनूर	4.58	272	281	Coonoor
मदुराई	4.51	265	277	Madurai
सेलम	4.45	268	270	Salem
तिरूचिरापल्ली	5.01	266	285	Tiruchirapally
गोदावरीखानी	+	287	293	Godavarikhani
हैदराबाद	4.79	240	246	Hyderabad

37

सारणी 3.1 (ख)

	2	Table 3.1(b		
1	2	3	4	1
वारंगल	4.75	287	287	Warangal
त्रिपुरा	4.17	244	256	Tripura
आगरा	4.36	291	303	Agra
गाजियाबाद	4.78	270	277	Ghaziabad
कानपुर	4.50	285	287	Kanpur
लखनऊ	+	274	275	Lucknow
वाराणसी	4.96	278	279	Varanasi
आसनसोल	4.37	303	304	Asansol
दार्जिलिंग	3.80	253	260	Darjeeling
दुर्गापुर	5.13	298	306	Durgapur
हल्दिया	5.64	302	310	Haldia
हावड़ा	5.42	258	267	Howrah
जलपाईगुड़ी	3.96	266	272	Jalpaiguri
कोलकात्ता	5.12	261	266	Kolkata
रानीगंज	4.02	253	251	Raniganj
सिलीगुड़ी	+	252	261	Siliguri

स्रोत : श्रम ब्यूरो (उपभोनता मूल्य सूचकांक के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियां)
Source : Labour Bureau (Annual Return under the Consumer price Index)
+ = आधार 2001 = 100 पर नई शृंखला में नए केन्द्र शामिल किए गए हैं।
+ = New centres included in the new series on base 2001=100

3.2 कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1986-87=100 (जुलाई से जून)

3.2 Average Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers on Base 1986-87=100 (July to June)

राज्य	कृषि	श्रमिक	ग्रामीण	श्रमिक	State
	Agric	ultural		ıral	
		urers		urers	
	2015-	2016-	2015-	2016-	
	2016	2017	2016	2017	
1	2	3	4	5	1
आन्ध्र प्रदेश	930	958	927	954	Andhra
					Pradesh
असम	803	810	813	821	Assam
बिहार	726	728	732	731	Bihar
गुजरात	876	900	877	900	Gujarat
हरियाणा	931	974	930	970	Haryana
हिमाचल प्रदेश	690	720	728	765	Himachal Pradesh
जम्मू एवं कक्ष्मीर	791	818	788	819	Jammu & Kashmir
कर्नाटक	949	1019	946	1013	Karnataka
केरल	877	931	896	939	Kerala
मध्य प्रदेश	771	794	794	817	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	912	952	906	946	Maharashtra
मणिपुर	811	836	814	839	Manipur

सारणी 3.2 Table 3.2 2 मेघालय 831 855 832 856 Meghalaya ओडिशा 741 744 742 746 Odisha पंजाब 894 942 940 Punjab राजस्थान 915 960 898 948 Rajasthan तमिलनाडु 901 955 893 947 Tamil Nadu त्रिपुरा 764 768 760 Tripura 766 उत्तर प्रदेश 817 808 812 807 Uttar Pradesh पश्चिम बंगाल 760 778 774 791 West Bengal अखिल भारत

खिल भारत 847 873 852 879 All India छोत : श्रम ब्यूरो (औसत उपभोनता मूल्य सूचकांक के अन्तर्गत वार्षिक विदर्गिण्यां) Source : Labour Bureau (Annual Return under the Average Consumer price Index)

4.1 व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता में वृद्धि 4.1 Growth of Trade Unions and their Membership

	2014	2015	
पंजीकृत श्रमिक संघों की संख्य	π	Number o	of registered Trade Unions
(क) नियोजन कर्ता संघ	+	+	a)Employers' Unions
(ख) कर्मकार व्यवसाय संघ	12486	12420	b)Workers' Trade Unions
योग	12486	12420	Total
विवरणियां भेजने वाले संघों की संख्या			Number of unions submitting returns
(क) नियोजन कर्ता संघ	+	+	(a)Employers' Unions
(ख) कर्मकार व्यवसाय संघ	4359	4300	(b)Workers' Unions
योग	4359	4300	Total
विवरणियां भेजने वाले संघों की सदस्यता (०००')			lembership of Unions abmitting returns ('000)
(क) नियोजन कर्ता संघ	+	+	(a)Employers' Unions
(ख) कर्मकार व्यवसाय संघ	7885	8096	(b)Workers' Unions
योग	7885	8096	Total
प्रति संघ औसत सदस्यता	1809	1883	Average Membership per Union

म्रोत : श्रम ब्यूरो (श्रमिक व्यवसाय संघ 1926 के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिक विवरणियां) Source : Labour Bureau (Annual Returns received under the Trade Unions Act, 1926)

+प्रतिवेदन नहीं किया + Not Reported आंकडें केवल विवरणियाँ भेजने वाले राज्यो/संघ शासित प्रदेशों पर आधारित है।। Figures based on responding States/UTs only.

4 TRADE UNIONS

4.2 विवरणियां भेजने वाले व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता (उद्योगानुसार) 4.2 Number and Membership of Trade Unions Submitting Returns (By Industry)

रा०	औ०	कर्मकार संघ				समस्त संघ			NIC
व० 2	2008	Work	ers' Unio	on		All Un	ions	2	2008
	-	ख्या mber !	सदस्यता ('000 में) Membership (in 000's)		संख्या Number		सदस्यता ('000 में) Membership (in 000's)		
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
क	205	171	2074	968	205	171	2074	968	A
ख	74	103	83	174	74	103	83	174	В
η	1646	1446	1296	1102	1646	1446	1296	1102	C
घ	74	93	86	100	74	93	86	100	D
ङ	86	81	30	234	86	81	30	234	E
च	269	381	1167	1412	269	381	1167	1412	F
छ	186	194	218	251	186	194	218	251	G
ज	568	592	955	1038	568	592	955	1038	Н

42

सारणी 4.2

Table 4.2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
झ	82	85	56	26	82	85	56	26	I
ञ	94	79	81	74	94	79	81	74	J
ਟ	217	174	169	102	217	174	169	102	K
ਠ	-	3	-	5	-	3	-	5	L
ड	39	37	106	33	39	37	106	33	M
ढ	47	76	50	354	47	76	50	354	N
ण	161	89	102	81	161	89	102	81	О
त	61	59	23	109	61	59	23	109	P
थ	87	83	144	295	87	83	144	295	Q
द	38	53	34	39	38	53	34	39	R
ध	192	305	397	1093	192	305	397	1093	S
न	186	152	25	34	186	152	25	34	T
प	47	44	789	572	47	44	789	572	U
योग	4359	4300	7885	8096	4359	4300	7885	8096	Γotal

म्रोत : श्रम ब्यूरो (श्रमिक व्यवसाय संघ 1926 के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिक विवरणियां) Source : Labour Bureau (Annual Returns received under the Trade Unions Act, 1926)

उद्योग संकेतों का विवरण कृप्या अनुबन्ध-क में देखें। For details of Industry Codes please see Annexure-A.

5.1 औद्योगिक विवादों के कारण कार्य स्थान 5.1 Industrial Disputes Resulting in Work Stoppages

	2015*	2016*	
विवादों की संख्या	141	130	No. of Disputes
अन्तर्गस्त कर्मकारों की संख्या('000 में)	751	668	No. of Workers Involved (000's)
श्रम-दिनों की हानि ('000 में)	4015	4620	Mandays Lost ('000's)
मजदूरी की हानि (रुपये करोड़ में)	114.90 (74)	221.39 (97)	Wages Lost (Rs. in crore)
उत्पादन हानि (रुपये करोड़ में)	364.23 (39)	445.62 (36)	Value of Production Loss (Rs. In crore)

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े सूचना से संबंधित मामलों की संख्या दक्षाते है । $Note: \quad Figures in brackets indicate the number of cases to which the information relates.$

5.2 (क) विवादों के परिणामस्वरुप कार्य स्थगन के कारण मानव दिनों की हानि (उद्योगानुसार)('000 में') 5.2(a) Mandays Lost in disputes resulting in work stoppages (By Industry) (in 000's)

	2015*	2016*	2015*	2016*	
उद्योग	औद्योगिक '	विवादों के	औद्योगिक वि	वादों के	Industry
संकेतांक	कार	्ण	अतिरिक्त अन्य	र कारण	Code
रा औ सं	Due to in		Due to rea		NIC
2008	dispı	ıtes	other than in		2008
			disput		
1	2	3	4	5	1
क	111	6	138	174	A
01	111	6	110	146	01
02	-	-	28	28	02
ख	346	52	-	-	В
05	313	25	-	-	05
06	13	-	-	-	06
07	19	@	_	-	07
08	1	26	-	-	08
09	-	-	-	-	09
ग	2970	3854	2133	3406	C
10	28	64	177	156	10
11	-	-	22	2	11
12	_	_	1	_	12
13	1762	2991	1824	2561	13
14	110	75	45	-	14
15	-	18	-	-	15
16	71	_	_	_	16

5 औद्योगिक विवाद	5 INDUSTRIAL DISPUTES
	सारणी 5.2 (क)

1	2	Table 5.2	4	5	1
17	126	127	5	2	17
18	17	-	-	-	18
19	-	2	-	-	19
20	60	7	-	-	20
21	7	8	-	-	21
22	13	32	-	4	22
23	308	193	-	-	23
24	175	250	28	632	24
25	34	40	-	1	25
26	165	4	-	-	26
27	54	18	32	47	27
28	21	4	-	-	28
29	8	14	-	-	29
30	3	1	-	-	30
31	-	-	-	-	31
32	11	5	-	-	32
33	-	-	-	-	33
घ	108	40	-	-	D
35	108	40	-	-	35
ड	-	-	-	-	E
च	3	-	-	-	F
छ	9	77	12	12	G

		सारणी 5	.2 (क)		
		Table 5	5.2 (a)		
1	2	3	4	5	1
স	77	12	-	-	H
ਭ	-	-	-	-	I
ञ	53	15	-	-	J
ट	295	503	-	-	K
ਠ	-	-	-	-	L
ड	1	-	-	-	M
ढ़	-	14	-	-	N
ण	42	47	-	-	O
त	-	-	-	-	P
थ	-	-	-	-	Q
द	-	-	-	-	R
घ	-	-	-	-	S
योग	4015	4620	2283	3589	Total

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

टिप्पणी : राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के संकेतों के वर्णन अनुबंध-क में देखें Note : Description of NIC Codes may be seen at Annexure-A.

5.2 (ख) विवादों के परिणामस्वरुप कार्य स्थगन के कारण मानव दिनों की हानि

5.2(b)Mandays lost in Disputes resulting in work-stoppages (राज्यानुसार) (By States) (000 में) (in '000)

राज्य/संघ राज्य	औद्योगिक		औद्योगिक विवादों के		State/Union
क्षेत्र	के क	रण	अतिरिक्तः	अन्य कारण	Territory
	Due			reasons	
	indus	trial		than	
	disp		industria	l disputes	
1	2	3	4	5	1
	2015*	2016*	2015*	2016*	
आन्ध्र प्रदेश	1865	2439	1784	2481	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	Arunachal Pradesh
असम	92	41	-	-	Assam
बिहार	71	22	72	-	Bihar
छत्तीसगढ़	66	45	-	-	Chhattisgarh
दिल्ली	-	-	-	-	Delhi
गोवा	-	1	-	-	Goa
गुजरात	46	133	-	-	Gujarat
हरियाणा	94	78	-	-	Haryana
हिमाचल प्रदेश	152	50	-	-	Himachal Pradesh
जम्मू व कश्मीर	-	-	-	-	Jammu & Kashmir

सारणी 5.2 **(**ख**)** Table 5.2(b)

Table 5.2(b)							
1	2	3	4	5	1		
झारखण्ड	_	_	_	_	Jharkhand		
कर्नाटक	19	73	-	-	Karnataka		
केरल	616	459	184	232	Kerala		
मध्य प्रदेश	224	130	45	2	Madhya Pradesh		
महाराष्ट्र	206	8	-	-	Maharashtra		
मणिपुर	-	-	-	-	Manipur		
मेघालय	-	_	_	_	Meghalaya		
मिजोरम	#	#	#	#	Mizoram		
नागालैंड	_	_	_	_	Nagaland		
ओडिशा	15	-	188	872	Odisha		
पंजाब	-	32	-	-	Punjab		
राजस्थान	78	101	_	_	Rajasthan		
सिक्किम	#	#	_	#	Sikkim		
तमिलनाडु	103	51	10	2	Tamil Nadu		
तेलंगाना	106	71	_	_	Telangana		
त्रिपुरा	_	-	-	_	Tripura		
उत्तराखण्ड	21	45	-	-	Uttarakhand		
उत्तर प्रदेश	174	834	-		Uttar Pradesh		
पश्चिम बंगाल	67	6	-	-	West Bengal		

दमन एवं दीव

लक्षदीप

पुडुचेरी

योग

Daman & Diu

Lakshadweep

Puducherry

Total

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

4620

2283

3589

(a)

4015

[#] औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अभी लागू होना है।

[#] Industrial Disputes Act, 1947 is yet to be implemented.

5 INDUSTRIAL DISPUTES

5.3 - विवादों का कारणानुसार प्रतिशत्त वितरण 5.3 Percentage Distribution of Disputes by Causes

कारण समूह	2015*	2016*	Cause Group
1	2	3	1
मजदूरी एवं भत्ते	29.8	13.1	Wages & Allowances
कार्मिक	8.5	11.5	Personnel
छंटनी	0.7	1.5	Retrenchment
काम-बन्दी	0.7	0.8	Lay-Off
अनुशासनहीनता	7.1	10.0	Indiscipline
हिंसा	0.7	1.5	Violence
छुट्टी एवं कार्य के घंटे/पारी में कार्य	0.7	-	Leave and Hours of Work/Shift Working
बोनस	7.8	1.5	Bonus
घेराव	0.7	-	Gherao
अन्तर/अन्तरा संघ प्रतिद्वन्दिता	1.4	0.8	Inter/Intra Union Rivalry
श्रम पंचाटों और श्रम समझौतों इत्यादि का लागू न किया जाना	-	2.3	Non-implementation of agreements and awards etc.
मांगों का चार्टर	22	23.8	Charter of Demands
•			

सारणी 5.3

Table 5.3				
1	2	3	1	
कार्य-भार	-	-	Work Load	
अतिरेक श्रमिक	-	-	Surplus Labour	
सुविधाओं का उन्नतिकरण	3.5	-	Betterment of Amenities	
विनिर्माण प्रक्रिया का निलम्बन/ परिवर्तन	0.7	1.5	Suspension/change of manufacturing process	
स्थाई आदेशों/ नियमावलियों/ सेवा शर्ते/ सुरक्षा उपाय	-	-	Standing orders/ rules/service conditions/safety measures	
सरकारी आर्थिक नीति में बदलाव	3.5	19.2	Change of Govt. economic policy	
अन्य	12.1	9.2	Others	
ज्ञात नहीं	-	3.1	Not known	

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

5.4 - विवादों का अवधि के अनुसार प्रतिशत विवरण 5.4 Percentage Distribution of Disputes by Duration

अवधि	2015*	2016*	Duration
1 दिन या कम	21.8	48.6	1 day or less
1 से अधिक 5 दिन तक	20.2	10.5	More than 1 upto 5 days
5 से अधिक 10 दिन तक	12.1	11.4	More than 5 upto 10 days
10 से अधिक 20 दिन तक	16.9	9.5	More than 10 upto 20 days
20 से अधिक 30 दिन तक	8.1	7.6	More than 20 upto 30 days
30 दिन से अधिक	21.0	12.4	More than 30 days
ज्ञात नहीं	-	-	Not Known

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

5 INDUSTRIAL DISPUTES

5.5 परिधि क्षेत्र अनुसार विवाद 5.5 Disputes by Sphere

केन्द्रीय अधिकार क्षेत्र	2015*	2016*	Central Sphere
विवादों की संख्या	26	53	No. of disputes
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार	689	623	Workers involved
('000 羊)			(in 000's)
श्रम-दिनों की हानि	832	653	Mandays lost
('000 羊)			(in 000's)
मजदूरी की हानि	85.18	208.00	Wages lost
(रुपये करोड़ में)	(23)	(51)	(Rs. in crore)
उत्पादन हानि	99.29	271.04	Production loss
(रुपये करोड में)	(5)	(5)	(Rs. in crore)
राज्य अधिकार क्षेत्र			State Sphere
विवादों की संख्या	115	77	No. of disputes
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार	63	45	Workers involved
('000 羊)			(in 000's)
श्रम-दिनों की हानि	3182	3967	Mandays lost
('000 羊)			(in 000's)
मजदूरी की हानि (रुपये	29.72	13.39	Wages lost
करोड में)	(51)	(46)	(Rs. in crore)
उत्पादन हानि	264.95	174.58	Production loss
(रुपये करोड में)	(34)	(31)	(Rs. in crore)

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

टिप्पणी :कोष्ठक में दिये गए आंकड़े सूचना से संबंधित मामलों की संख्या दशीते है। Note : Figures in brackets indicate number of cases to which the information relates.

5.6 - क्षेत्र अनुसार विवाद 5.6 Disputes by Sectors

	2015*	2016*	
सार्वजनिक क्षेत्र			Public Sector
विवादों की संख्या	35	52	No. of disputes
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार	643	611	Workers involved
('000 में)			(in 000)
श्रम-दिनों की हानि	905	686	Mandays lost
('000 में)			(in 000's)
मजदूरी की हानि	89.77	209.12	Wages lost
(रुपये करोड़ में)	(27)	(50)	(Rs. in crore)
उत्पादन हानि	99.42	271.04	Production loss
(रुपये करोड में)	(8)	(5)	(Rs. in crore)
निजी क्षेत्र			Private Sector
विवादों की संख्या	106	78	No. of disputes
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार	109	57	Workers involved
('000 में)			(in 000's)
श्रम-दिनों की हानि	3109	3933	Mandays lost
('000 में)			(in 000's)
मजदूरी की हानि	25.13	12.27	Wages lost
(रुपये करोड़ में)	(47)	(47)	(Rs. in crore)
उत्पादन हानि	264.81	174.58	Production loss
(रुपये करोड में)	(31)	(31)	(Rs. in crore)

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947) टिप्पणी :कोष्ठक में दिये गए आंकड़े सूचना से संबंधित मामलों की संख्या वंशाते हैं। Note: Figures in brackets indicate number of cases to which the information relates.

5.7 हड़ताल, तालाबन्दी एवं घेराव अनुसार विवाद 5.7 Disputes by Strikes, Lockouts and Gheraos

	2015*	2016*	
<u>हड़तालें</u>			Strikes
संख्या	112	104	Number
अन्तग्रस्त कर्मकार ('000 में)	741	654	Workers involved (in 000's)
श्रम-दिनों की हानि ('000 में)	2663	1874	Mandays lost (in 000)
<u>तालाबन्दी</u>			Lockouts
संख्या	29	26	Number
अन्तर्गस्त कर्मकार ('000 में)	10	14	Workers involved (in 000's)
%म-दिनों की हानि ('000 में)	1351	2746	Mandays lost (in 000)
<u>घेराव</u>			Gheraos
संख्या	-	-	Number
अन्तग्रस्त कर्मकार ('000 में)	-	-	Workers involved (in 000's)
%म-दिनों की हानि ('000 में)	-	-	Mandays lost (in 000's)

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

5.8 कुल स्थाई बन्दीयों तथा उनसे प्रभावित कर्मकारों की संख्या 5.8 No. of Permanent Closures and Workers Affected thereby (राज्यवार) (By States)

राज्य/संघ	बन्दीयो		प्रभावित व		State/ Union					
राज्य क्षेत्र	संख		की सं		Territory					
	No.	of	No. of W							
	Closu	ıres	affec	ted						
	 A	ख в	क A	ख в						
1	2	3	4	5	1					
2015*										
आन्ध्र प्रदेश	1	-	260	-	Andhra Pradesh					
छत्तीसगढ़	-	1	-	153	Chhattisgarh					
गोवा	2	-	44	-	Goa					
हिमाचल प्रदेश	1	-	90	-	Himachal Pradesh					
कर्नाटक	1	-	96	-	Karnataka					
महाराष्ट्र	-	1	-	12	Maharashtra					
ओडिशा	1	-	36	-	Odisha					
त्रिपुरा	9	-	687	-	Tripura					
उत्तर प्रदेश	4	-	118	-	Uttar Pradesh					
योग	19	2	1331	165	Total					

टिप्पणीः अरुणाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागातिंड, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली, के संबंध में वर्ष 2015 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सचना शन्य है।

भ सब्द में पूजना शुन्य है।

Note: Information for the year 2015 in respect of Arunachal Pradesh,
Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Nagaland, West Bengal
and Delhi is not available and remaining States/Union Territories is
'Nii'

सारणी 5.8 Table 5.8

	क A	खB	क A	ख В						
1	2	3	4	5	1					
<u>2016*</u>										
हिमाचल प्रदेश	3	-	204	-	Himachal Pradesh					
ओडिशा	2	-	944	-	Odisha					
त्रिपुरा	14	-	566	-	Tripura					
उत्तर प्रदेश	6	-	345	-	Uttar Pradesh					
उत्तराखण्ड	1	-	21	-	Uttrakhand					
योग	26	-	2079	=	Total					

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

क् राज्य क्षेत्र A State Sphere ख केन्द्रीय क्षेत्र B Central Sphere

टिप्पणीः अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ज्म्मु एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिणपुर, नागालैंड, और पश्चिम बंगाल के संबंध में वर्ष 2016 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शुन्य है।
Note: Information for the year 2016 in respect of Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Nagaland and West Bengal is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'.

5.9 छंटनीओं की संख्या तथा उनसे प्रभावित कर्मकार (राज्यानुसार) 5.9 Number of Retrenchments and Workers Retrenched there by (By States)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छंटनीअं संख No. Retrencl	पा of	प्रभा कर्मका संख No. Wor	रों की त्या . of	State/ Union Territory
	of A	ख B	affe	ख B	
1	2	3	4	5	1
		20	<u> 015*</u>		
केरल	1	-	24	-	Kerala
ओडिशा	-	10	-	422	Odisha
राजस्थान	-	1	-	87	Rajasthan
	1	11	24	509	Total

टिप्पणीः अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली के संबंध में वर्ष 2015 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शुन्य है।
Note: Information for the year 2015 in respect of Arunachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Nagaland, West Bengal and Delhi is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'

सारणी 5.9 Table 5.9

	ক A	ख B	ক A	ख B	
1	2	3	4	5	1
		20	<u>)16*</u>		
हिमाचल प्रदेश	1	-	5	-	Himachal Pradesh
महाराष्ट्र	-	2	-	66	Maharashtra
ओडिशा	-	1	-	3559	Odisha
तेलंगाना	1	-	15	-	Telangana
योग	2	3	20	3628	Total

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां)
Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)
क राज्य क्षेत्र स केन्द्रीय क्षेत्र

A State Sphere B Central Sphere
टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, जम्मु एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड एवं पश्चिम बंगाल के संबंध में वर्ष 2016 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शुन्य है।
Note: Information for the year 2016 in respect of Arunachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Nagaland and West Bengal is not available and remaining States/Union Territories is 'Nii'.

5.10 ईकाईयों में प्रभावित कामबन्दी, प्रभावित कर्मकार तथा मानव दिनों की हानि (राज्यानुसार)

5.10 No. of Units affecting Lay-off, Workers Laid –off and Mandays Lost (By States)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	की No	ाबन्दी संख्या o. of -Offs	की स No. of V	प्रभावित कर्मकारों मानव दिनों की S की संख्या हानि की संख्या U No. of Workers No. of Mandays affected lost		No. of Mandays	
_	कA	ख B	क A	ख B	 A	ख В	_
1	2	3	4	5	6	7	1
				2015*			
आन्ध्र प्रदे	য় 1	-	39	-	4134	-	Andhra Pradesh
कर्नाटक	23	-	345	-	901	-	Karnataka
केरल	20	-	1689	-	73684	-	Kerala
पुडुचेरी	2	: -	910	-	254639	-	Puducherry
तमिलनाड्	1	-	140	-	11480	-	Tamilnadu
तेलांगाना	1	-	307	-	2456	-	Telangana
उत्तर प्रदेश	3	-	224	-	16170	-	Uttar Pradesh
योग	51	_	3654	_	363464	-	Total

प्रोग 51 - 3654 - 363464 - Total

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, पश्चिम
बंगाल एवं दिल्ली के संबंध में वर्ष 2015 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष
राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शुन्य है।

Note: Information for the year 2015 in respect of Arunachal Pradesh, ,
Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra, Nagaland, West
Bengal and Delhi is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'.

सारणी 5.10 Table 5.10

1 abic 5.10										
1	2	3	4	5	6	7	1			
<u>2016*</u>										
आंध्र प्रदेश	1	-	39	-	12402	-	Andhra Pradesh			
बिहार	2	-	53	-	1401	-	Bihar			
हरियाणा	2	-	164	-	27976	-	Haryana			
कर्नाटक	4	-	41	-	146	-	Karnataka			
केरल	14	-	2431	-	424650	-	Kerala			
पुडुचेरी	2	-	911	-	206995	-	Puducherry			
तेलंगाना	2	-	321	-	95720	-	Telangana			
उत्तर प्रदेश	2	-	240	-	3090	-	Uttar Pradesh			
योग	29	-	4200	-	772380	-	Total			

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां)

Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947) क राज्य क्षेत्र ख केन्द्रीय क्षेत्र

A State Sphere

B Central Sphere

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मघ्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
मणिपुर, नागालैंड, एवं पश्चिम बंगाल के संबंध में वर्ष 2016 की सूचना अनुपलब्ध है

नागलुर, नागलिङ, एवं पश्चिम बंगाल के संबंध में वंध 2016 का सूचना अनुपलब्ध त्र तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शुन्य है। Note: Information for the year 2016 in respect of Arunachal Pradesh, , Jammu and Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Nagaland and West Bengal is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'.

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं 6 ACCIDENTS, SAFETY AND अनुपस्थिति ABSENTEEISM 6.1 (क) कारखानों में औद्योगिक क्षतियां, उनकी आपात एवं आवृत्ति दर (राज्यानुसार)

6.1 (a) Industrial Injuries in Factories, their Incidence and Frequency Rates (by States)

State/	क्षतियों	की	आपात दर (प्रति		आवृत्ति दर		राज्य/		
UT	संख्या	Г	हजार निय		(प्रति एक लाख कार्य		संघ राज्य		
	Numbe	r of	कर्मका	₹)	दिव	वस)	क्षेत्र		
	injuri	es	Incidence	e rate	Freque	ncy rate			
			(Per thou			ne lakh			
			worke employ		mandays	s worked)			
=	घातक	अघातक	घातक	अघातक	घातक	अघातव	7		
	Fatal	Non-	Fatal	Non-	Fatal	Non-			
		Fatal		Fatal		Fatal			
1	2	3	4	5	6	7	1		
<u>2013</u>									
आंध्र प्रदेश	152	562	0.25	0.93	0.16	0.6	Andhra Pradesh		
असम	4	101	0.02	0.51	0.04	0.95	Assam		
बिहार	4	156	0.02	0.83	0.08	3.3	Bihar		
चण्डीगढ़	-	2	-	0.16	-	0.09	Chandigarh		
छत्तीसगढ़	97	59	0.37	0.22	0.31	0.19	Chhattisgarh		
गोवा	10	45	0.14	0.63	0.05	0.22	Goa		
हरियाणा	41	37	0.05	0.04	0.01	0.01	Haryana		
झारखण्ड	37	93	0.14	0.36	0.3	0.75	Jharkhand		
मेघालय	-	15	-	1.44	-	1.68	Meghalaya		
पुडुचेरी	3	25	0.04	0.31	0.04	0.31	Puducherry		
राजस्थान	55	706	0.11	1.42	0.11	1.41	Rajasthan		

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति 6 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

	AD	SENTELISM					
			सारणी	6.1 (क)			
				6.1 (a)			
1	2	3	4	5	6	7	1
तेलंगाना	89	145	0.15	0.25	0.12	0.19	Telangana
त्रिपुरा	2	5	0.04	0.09	0.07	0.17	Tripura
योग	494	1951	0.14	0.53	0.08	0.3	Total
2014							
आंध्र प्रदेश	78	243	0.12	0.39	0.06	0.2	Andhra Pradesh
असम	13	58	0.06	0.28	0.1	0.45	Assam
बिहार	2	7	0.01	0.03	0.12	0.44	Bihar
छत्तीसगढ़	113	75	0.39	0.26	0.35	0.23	Chhattisgarh
गोवा	5	82	0.07	1.1	0.03	0.41	Goa
हरियाणा	41	37	0.05	0.04	0.07	0.07	Haryana
हिमाचल	11	125	0.03	0.4	0.02	0.24	Himachal
प्रदेश							Pradesh
झारखण्ड	31	96	0.12	0.37	0.17	0.53	Jharkhand
महाराष्ट्र	65	2271	0.03	1.1	0.02	0.53	Maharashtra
मेघालय	2	7	0.18	0.64	0.23	0.81	Meghalaya
नागालैंड	-	-	-	-	-	-	Nagaland
पुडुचेरी	6	12	0.07	0.14	0.08	0.16	Puducherry
राजस्थान	55	707	0.11	1.41	0.11	1.37	Rajasthan
तेलंगाना	71	167	0.12	0.28	0.08	0.19	Telangana
त्रिपुरा	2	6	0.03	0.1	0.09	0.26	Tripura
~							

	सारणी 6.1 (क) Table 6.1 (a)								
1	2	3	4	5	6	7	1		
अ० एवं नि० द्वीप समूह	-	55	-	9.37	-	3.92	A & N Islands		
चण्डीगढ़	-	-	-	-	-	-	Chandigarh		
दादर एवं नगर हवेली व दमन एवं दीव	20	36	0.1	0.18	0.08	0.14	D & N Haveli and Daman & Diu		
योग	515	3984	0.08	0.63	0.06	0.43	Total		

श्रम ब्यूरो (कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received from different States /U.Ts under

- Note: 1. The Factories Act 1948, is not implemented in four States /Union Territories viz. Arunachal Pradesh, Lakshadweep, Mizoram and Sikkim . 2. शेष रह गये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकडें प्राप्त नहीं हुए हैं।

 - 2. Data not received from rest of States / Union Territories.

टिप्पण: 1. चार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों यथा अरुणाचल प्रदेश, लक्षदीप, मिजोरम एवं सिकिकम में कारखाना अधिनयम, 1948 लागू नहीं है।

Note: 1. The Factories Act 1948 is not income.

6.1 (ल) महत्वपूर्ण उद्योगों के अनुसार औद्योगिक क्षतियां उनकी आपात एवं आवृति दर (समूहानुसार) 6.1 (b) Industrial Injuries, their Incidence and Frequency Rates by Important Industries (by groups)

उद्योग		ं की संख्या		त दर	क्षतियों की संख्या		
रा० औ०	Nu	mber of		र नियोजित	(प्रति लाख कर्मकार		
ৰ০ 2008	in	juries	कर्म	कार)	े दिवस)		
Industry				nce rate	Frequen		
NIC			d	ousand	(per or		
2008				employed)	mandays		
	घातक	अघातक	घातक	अघातक	घातक	अघातक	
	Fatal	Non-	Fatal	Non-	Fatal	Non-	
		Fatal		Fatal		Fatal	
1	2	3	4	5	6	7	
			<u>2013</u>				
01	-	1	-	0.01	-	0.03	
05	1	-	0.27	-	0.15	-	
07	1	1	0.78	0.78	279.33	279.3	
08	3	-	0.26	-	0.28	-	
10	38	296	0.07	0.57	0.09	0.7	
11	1	15	0.02	0.3	0.02	0.26	
12	1	6	0.04	0.26	0.03	0.18	
13	66	455	0.25	1.74	0.3	2.06	
15	2	6	0.05	0.14	-	-	
16	1	21	0.01	0.29	0.04	0.87	
17	14	35	0.24	0.59	0.18	0.44	
	40	21	0.56	0.3	0.71	0.37	

			able 6.1 (b)			
1	2	3	4	5	6	7
20	36	161	0.25	1.12	0.17	0.78
21	13	21	0.12	0.19	0.06	0.1
22	13	41	0.1	0.33	0.08	0.27
23	48	239	0.1	0.48	0.14	0.71
24	101	173	0.23	0.39	0.19	0.33
25	16	41	0.07	0.18	0.07	0.19
26	1	1	0.02	0.02	0.02	0.02
27	5	28	0.05	0.27	0.03	0.19
28	4	9	0.02	0.05	0.02	0.05
29	7	19	0.08	0.22	0.01	0.03
30	4	80	0.05	1.08	0.04	0.85
31	2	22	0.12	1.37	0.5	5.5
32	10	87	0.34	2.96	0.41	3.56
33	10	100	0.66	6.58	0.38	3.78
35	47	65	0.46	0.63	0.27	0.37
41	2	-	60.61	-	39.94	-
45	6	4	0.07	0.05	0.07	0.05
52	1	3	0.05	0.14	0.03	0.1
योग Total	494	1951	0.14	0.53	0.08	0.3

6 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM 6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

	सारणी 6.1 (ख)										
Table 6.1 (b)											
1	2	3	4	5	6	7					
			2014								
01	3	1	0.03	0.01	0.06	0.02					
05	1	-	0.21	-	0.15	-					
08	5	1	0.37	0.07	0.37	0.07					
10	43	331	0.05	0.42	0.04	0.34					
11	2	61	0.03	0.79	0.02	0.56					
12	3	8	0.1	0.27	0.08	0.23					
13	19	824	0.04	1.52	0.02	0.93					
14	-	1	-	0.01	-	-					
15	4	-	0.07	-	0.06	-					
16	-	18	-	0.16	-	0.27					
17	10	46	0.08	0.38	0.06	0.3					
18	8	15	0.09	0.17	0.07	0.14					
19	16	14	0.17	0.15	0.19	0.17					
20	31	306	0.1	1.01	0.06	0.57					
21	26	91	0.09	0.33	0.05	0.16					
22	19	119	0.06	0.4	0.04	0.27					
23	58	121	0.1	0.21	0.11	0.23					
24	134	469	0.22	0.79	0.14	0.5					
25	14	245	0.03	0.5	0.02	0.38					
26	4	3	0.04	0.03	0.03	0.02					
27	10	112	0.04	0.5	0.03	0.3					
28	9	284	0.03	0.9	0.02	0.53					
29	5	135	0.02	0.59	0.01	0.28					

68

सारणी 6.1 (ख) Table 6.1 (b)

		17	abie 6.1 (b)		
1	2	3	4	5	6	7
30	9	224	0.07	1.64	0.03	0.87
31	1	23	0.04	0.95	0.07	1.5
32	23	99	0.21	0.92	0.13	0.57
33	-	202	-	3.91	-	2.11
35	40	91	0.24	0.54	0.13	0.29
36	8	-	0.75	-	0.56	-
39	2	1	1.83	0.92	0.37	0.19
41	1	-	0.55	-	0.22	-
45	7	127	0.04	0.75	0.03	0.55
47	-	2	-	0.12	-	0.06
52	-	9	-	0.26	-	0.23
72	-	1	-	0.13	-	0.06
योग Total	515	3984	0.08	0.63	0.06	0.43

श्रम ब्यूरो (कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received from different States /U.Ts under Factories Act, 1948)

िप्पणी :1.पातक और अधातक क्षतियों की दरों के योग से कुल क्षतियों की दर प्राप्त होती है। क्षतियों की संख्या (धातक और अधातक) दुर्घटना की सूचना पर आधारित है, जबिक आपात दर कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तगत प्राप्त वार्षिक विवरणियां में रिपोर्ट की गई क्षतियों के आधार पर निकाली गई है।

Note: 1. The number of injuries (fatal and non-fatal) have been worked out on the basis of notices of accidents whereas the incidence rate has been worked out on the basis of injuries reported in the annual returns received under the Factories Act, 1948. उद्योग संकेतों का विवरण कृपया अनुबन्ध-क में देखें।

For details of Industry codes please see Annexure-A.

6.2 राज्य/संघ क्षेत्रों अनुसार प्रत्यक्ष रूप में नियोजित नियमित श्रमिकों की अनुपस्थिती की दरें 6.2 State/UT wise Absenteeism rates amongst directly employed regular workers

	प्रत्यक्ष रुप में		अनुपस्थिति सूचित	कार्य हे	तु अनुसुचित	State/
राज्य/	कर्मकारों को नि		करने वाले कारखान	ों मान	ाव दिवस	Union
संघ राज्य	वाले कारखानों	की संख्या	की प्रतिशतता	(00	00' में)	Territory
क्षेत्र	No. of factor		Percentage of	M	andays	
	ting directly		factories reporting		duled to	
	regular w		absenteeism		(in 000's)	
	1	2	3	4		1
	•		<u>2012</u>			
जम्मू एवं व		718	99.44	2930	J & K	
हिमाचल प्र	देश	2323	99.91	21876	H. P.	
पंजाब		8148	99.39	41826	Punjab	
चण्डीगढ़		261	100	1262	Chandig	arh
उत्तराखण्ड		1910	94	7389	Uttarakh	and
हरियाणा		4291	98.99	29569	Haryana	
दिल्ली		2679	99.81	10456	Delhi	
राजस्थान		6013	93.31	468539	Rajastha	n
उत्तर प्रदेश	Ī	10037	98.09	48343	U. P.	
बिहार		1158	96.93	2839	Bihar	
सिक्कम		53	100	1010	Sikkim	
नागालैंड		67	47.76	433	Nagalan	d
मणिपुर		22	100	46	Manipur	
त्रिपुरा		73	91.78	556	Tripura	
मेघालय		83	100	78	Meghala	ya
असम		1666	81.05	12060	Assam	

सारण	6.2
Table	- 62

		2		
1	2	3	4	1
पश्चिम बंगाल	5794	98.24	61611	West Bengal
झारखण्ड	1237	94.51	10729	Jharkhand
ओडिशा	1620	95.62	10666	Odisha
छत्तीसगढ	1966	98.44	19262	Chhattisgarh
मध्य प्रदेश	3022	99.31	21068	M. P.
गुजरात	15507	99.61	150106	Gujarat
दमन एवं दीव	1255	100	10454	Daman & Diu
दादर एवं नगर हवेली	912	100	10619	D & N Haveli
महाराष्ट्र	18212	98.52	134208	Maharashtra
आंध्र प्रदेश	7938	95.86	43111	A. P.
कर्नाटक	8445	98.93	107372	Karnataka
गोवा	454	99.56	2523	Goa
केरल	5703	98.92	51083	Kerala
तमिल नाडु	22226	99.33	193500	Tamil Nadu
पुडुचेरी	535	95.89	5230	Puducherry
अ० एवं नि० द्वीप समूह	12	100	7	A& N Islands
तेलंगाना	6872	91.62	47685	Telangana
अखिल भारत	141213	97.84	1528446	All India
सार्वजनिक	3129	97.8	106649	Public
निजी	138083	97.84	1421798	Private

सारणी 6.2 Table 6.2

राज्य/	अनुपस्थिति के कारण		ने दौरान	State/Union
संघ राज्य	मानव दिवसों की हानि	अनुपस्थिति की		Territory
क्षेत्र	(000' 羊)	प्रति	शतता	
	Mandays lost due to	Perce	ntage of	
	absence (in 000's)		ism durir	ng
			year	
		2012	2011	
I	5	6	7	1
जम्मू एवं कश्मी	र 184	5.92	5.71	J & K
हिमाचल प्रदेश	3786	14.75	9.72	Н. Р.
पंजाब	5289	11.23	9.98	Punjab
चण्डीगढ़	120	8.72	5.67	Chandigarh
उत्तराखण्ड	1689	18.61	8.39	Uttarakhand
हरियाणा	3282	9.99	10.95	Haryana
दिल्ली	1251	10.68	14.42	Delhi
राजस्थान	7045	1.48	9.14	Rajasthan
उत्तर प्रदेश	5334	9.94	9.21	U. P.
बिहार	289	9.25	5.25	Bihar
सिक्कम	10	0.95	1.96	Sikkim
नागालैंड	0	0.04	0.55	Nagaland
मणिपुर	3	5.20	5.80	Manipur
त्रिपुरा	24	4.10	0.87	Tripura
मेघालय	22	21.78	2.67	Meghalaya
असम	506	4.03	5.30	Assam

सारणी 6.2 Table 6.2

	Ta	able 6.2		
1	5	6	7	1
पश्चिम बंगाल	6457	9.49	8.43	West Bengal
झारखण्ड	990	8.45	7.30	Jharkhand
ओडिशा	727	6.38	9.40	Odisha
छत्तीसगढ	1122	5.51	5.23	Chhattisgarh
मध्य प्रदेश	2397	10.21	6.65	M. P.
गुजरात	16470	9.89	8.05	Gujarat
दमन एवं दीव	2019	16.18	10.32	Daman & Diu
दादर एवं नगर हवेली	1360	11.36	8.48	D & N Haveli
महाराष्ट्र	16740	11.09	11.07	Maharashtra
आंध्र प्रदेश	2665	5.82	5.64	A. P.
कर्नाटक	10406	8.84	9.76	Karnataka
गोवा	642	20.28	10.05	Goa
केरल	8914	14.86	12.02	Kerala
तमिल नाडु	15118	7.25	7.06	Tamil Nadu
पुडुचेरी	401	7.11	38.68	Puducherry
अ० एवं नि० द्वीप समूह	13	63.79	9.88	A& N Islands
तेलंगाना	2823	5.59		Telangana
अखिल भारत	118097	7.17	8.90	All India
सार्वजनिक	10386	8.87	8.10	Public
निजी	107712	7.04	8.95	Private

सारणी 6.2 Table 6.2

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	प्रत्यक्ष रुप में नियग् कर्मकारों को नियुक्त वाले कारखानों की स् No. of factories rej ting directly emplo regular workers	करने गंख्या por- oyed	अनुपस्थिति सूचित करने वाले कारखानों की प्रतिशतता Percentage of factories reporting absenteeism	मान (00 Ma sche	तु अनुसुचित व दिवस 0' में) indays duled to (in 000's)	State/ Union Territory
	1	2	3	4		1
			2013			
जम्मू एवं व		774	99.74	5182	J & K	
हिमाचल प्र	रे श	2307	99.91	15415	H. P.	
पंजाब		8189	98.84	47754	Punjab	
चण्डीगढ़		231	100.00	922	Chandiga	arh
उत्तराखण्ड		2162	90.31	10006	Uttarakh	and
हरियाणा		4553	99.55	28578	Haryana	
दिल्ली		2809	99.82	4899	Delhi	
राजस्थान		6314	99.41	27877	Rajasthai	n
उत्तर प्रदेश	1	0825	98.87	55129	U. P.	
बिहार		1179	99.66	1865	Bihar	
सिक्कम		58	100.00	1295	Sikkim	
नागालैंड		95	66.32	296	Nagalano	i
मणिपुर		32	100.00	52	Manipur	
त्रिपुरा		80	100.00	134	Tripura	
मेघालय		84	100.00	36	Meghala	ya
असम		1913	76.15	7079	Assam	

सारणी 6.2 Table 6.2

		Table 6.2		
1	2	3	4	1
पश्चिम बंगाल	6495	95.18	57346	West Bengal
झारखण्ड	1510	98.87	12657	Jharkhand
ओडिशा	1536	94.30	7082	Odisha
छत्तीसगढ	2067	97.42	18629	Chhattisgarh
मध्य प्रदेश	2991	98.58	28487	M. P.
गुजरात	15818	99.40	125566	Gujarat
दमन एवं दीव	1222	100.00	5589	Daman & Diu
दादर एवं नगर हवेली	855	100.00	7078	D & N Haveli
महाराष्ट्र	19309	98.92	124965	Maharashtra
आंध्र प्रदेश	7883	93.75	53451	A. P.
कर्नाटक	9021	98.63	102764	Karnataka
गोवा	496	100.00	4774	Goa
केरल	5034	99.02	51331	Kerala
तमिल नाडु	22881	98.96	193981	Tamil Nadu
पुडुचेरी	636	97.14	5817	Puducherry
अ० एवं नि० द्वीप समूह	13	100.00	0	A& N Islands
तेलंगाना	6917	97.46	102331	Telangana
अखिल भारत	146288	98.02	1108367	All India
सार्वजनिक	2919	98.44	106971	Public
निजी	143369	98.01	1001396	Private

सारणी 6.2 Table 6.2

राज्य/	अनुपस्थिति के कारण		ने दौरान	State/Union
संघ राज्य	मानव दिवसों की हानि	अनुपस्थिति की		Territory
क्षेत्र	(000' 苷)	प्रति	शतता	
	Mandays lost due to	Perce	ntage of	
	absence (in 000's)		ism durir	ng
			year	
		2013	2012	
	. 5	6	7	1
जम्मू एवं कश्मी	र 274	5.02	5.92	J & K
हिमाचल प्रदेश	4565	22.85	14.75	Н. Р.
पंजाब	5771	10.78	11.23	Punjab
चण्डीगढ़	110	10.67	8.72	Chandigarh
उत्तराखण्ड	2528	20.17	18.61	Uttarakhand
हरियाणा	3501	10.91	9.99	Haryana
दिल्ली	2275	31.71	10.68	Delhi
राजस्थान	7340	20.84	1.48	Rajasthan
उत्तर प्रदेश	5437	8.98	9.94	U. P.
बिहार	283	13.18	9.25	Bihar
सिक्कम	18	1.35	0.95	Sikkim
नागालैंड	0	0.11	0.04	Nagaland
मणिपुर	4	7.12	5.20	Manipur
त्रिपुरा	7	5.22	4.10	Tripura
मेघालय	15	29.28	21.78	Meghalaya
असम	331	4.46	4.03	Assam

सारणी 6.2 Table 6.2

1	able 6.2		
5	6	7	1
9508	14.22	9.49	West Bengal
1473	10.42	8.45	Jharkhand
902	11.30	6.38	Odisha
936	4.78	5.51	Chhattisgarh
2899	9.24	10.21	M. P.
15895	11.24	9.89	Gujarat
1114	16.62	16.18	Daman & Diu
1388	16.39	11.36	D & N Haveli
16459	11.64	11.09	Maharashtra
3040	5.38	5.82	A. P.
9904	8.79	8.84	Karnataka
724	13.17	20.28	Goa
7645	12.96	14.86	Kerala
13927	6.70	7.25	Tamil Nadu
365	5.91	7.11	Puducherry
10	100.00	63.79	A& N Islands
2992	2.84	5.59	Telangana
121642	9.89	7.17	All India
11726	9.88	8.87	Public
109916	9.89	7.04	Private
	5 9508 1473 902 936 2899 15895 1114 1388 16459 3040 9904 724 7645 13927 365 10 2992 121642 11726	9508 14.22 1473 10.42 902 11.30 936 4.78 2899 9.24 15895 11.24 1114 16.62 1388 16.39 16459 11.64 3040 5.38 9904 8.79 724 13.17 7645 12.96 13927 6.70 365 5.91 10 100.00 2992 2.84 121642 9.89	5 6 7 9508 14.22 9.49 1473 10.42 8.45 902 11.30 6.38 936 4.78 5.51 2899 9.24 10.21 15895 11.24 9.89 1114 16.62 16.18 1388 16.39 11.36 16459 11.64 11.09 3040 5.38 5.82 9904 8.79 8.84 724 13.17 20.28 7645 12.96 14.86 13927 6.70 7.25 365 5.91 7.11 10 100.00 63.79 2992 2.84 5.59 121642 9.89 7.17 11726 9.88 8.87

स्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक वार्षिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत विवरणियां) Source : Labour Bureau (Returns under the Annual Survey of Industry)

7 SOCIAL SECURITY

7.1 कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूरित क्षतियों की संख्या एवं क्षतिपूर्ति के लिए दी गई धन राशि

7.1 Number of Compensated Injuries and Amount of Compensation paid under the Employees' Compensation Act, 1923

1	2	3	1
	2014	2015	
क्षतिपूरित क्षतियों की संख्या	2542	2202	Number of compensated injuries
क) मृत्यु	2542	2302	a) Death
ख) स्थायी विकलांगता	1801	1981	b) Permanent disablement
ग) अस्थायी विकलांगता	3244	1697	c) Temporary disablement
कुल	7587	5980	Total
क्षतिपूर्ति के लिये दी राशी (रुपये लाख मे			Amount of compensation paid (Rs. In lakh)
क) मृत्यु	10647.05	12815.80	a) Death
ख) स्थायी विकलांगता	3619.49	4394.34	b) Permanent disablement
ग) अस्थायी विकलांगता	1132.38	564.24	c) Temporary disablement
कुल	15398.92	17774.38	Total

स्रोत : श्रम ब्यूरो (कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियाँ) Source : Labour Bureau (Annual Returns under Employees' Compensation

आंकडे केवल उत्तर देने वाले राज्यों से संबिन्धत हैं। तालिका में व्यवसायिक बिमारी के आंकडें शामिल नहीं है।

The data relate to the responding States only. Data relating to occupational Disease not included in table.

7.2 मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दिए गए मातृत्व लाभ 7.2 Maternity Benefits paid under the Maternity Benefit Act, 1961

	2014	2015	
1	2	3	1
कारलाने			Factories
(क) नियोजित महिलाओं की संख्या	445002	384683	a) No. of women employed
(ख) दावे (संख्या)	4110	4611	b) Claims (number)
(ग) प्रदत्त			c) Paid:
(i) संख्या	3905	3781	i) Number
(ii) धन राशी (रुपये लाख में)	3040.28	3228.17	ii) Amount (Rs. In Lakhs)
बागान			Plantations
(क) नियोजित महिलाओं की संख्या	115647	292325	a) No. of women employed
(ख) दावे (संख्या)	27806	31757	b) Claims (number)

सारणी 7.2

Table 7.2						
1	2	3	1			
(ग) प्रदत्त			c) Paid :			
i) संख्या	26761	17482	i) Number			
ii) धन राशी (रुपये लाख में)	802.97	7 758.69 ii) Amount (Rs.in lakh				
अन्य		Others				
(क) नियोजित महिलाओं की संख्या	238493	292251	a) No. of women employed			
(ख) दावे (संख्या)	3119	4755	b) Claims (number)			
(ग) प्रदत्त			c) Paid :			
i) संख्या	2116	2116 2997 i) Number				
ii) धन राशी (रुपये लाख में)			ii) Amount (Rs.in lakhs)			

रिजये लाख में)
स्रोत : श्रम ब्यूरो (मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियाँ)
Source : Labour Bureau (Annual Returns under the Maternity Benefit
Act, 1961)

आंकडें केवल विवरणियां सम्मिलित करने वाले राज्यो से संबंधित हैं। Data relates only to States submitting returns.

8 अन्तर्राष्ट्रीय चुलना 8 INTERNATIONAL COMPARISO 8.1 भिन्न-भिन्न देशों में चयनित मुख्य उद्योग समूहों में नियोजन (आर्थिक क्रियाशीलता के अनुसार) ('000 में) 8.1 Employment in Selected Major Groups of Industries in Different Countries (by Economic Activity) (in 000's)

खनन और खदान						
Mining & Quarrying						
देश	2016	2017	Country			
अफ्रीका			Africa			
मोरिशियस् +			Mauritius+			
अमेरिका			America			
कनाडा#	264		Canada#			
संयुक्त राष्ट्र	643	609	United States			
एशिया			Asia			
भारत			India			
जापान+	30	30	Japan+			
पाकिस्तान+	94		Pakistan+			
श्री लंका	60	63	Sri Lanka			
यूरोप			Europe			
फ्रांस+	28	21	France+			
जर्मनी+	85	79	Germany+			
इटली+	32	32	Italy+			
स्लोवाकिया+	11	13	Slovakia+			
ब्रिटेन+	115	122	United Kingdom+			
ओशेनिआ			Oceania			
आस्ट्रेलिया+	225		Australia+			
न्यूजीलैंण्ड+			New Zealand+			

8 INTERNATIONAL COMPARISON

सारणी 8.1 Table 8.1

	1 abic 6	. 1					
	विर्निमा	ग					
Manufacturing							
देश	2016	2017	Country				
अफ्रीका			Africa				
मोरिशियस+	114	109	Mauritius+				
अमेरिका			America				
कनाडा#	1742	1725	Canada#				
संयुक्त राष्ट्र	16382	16373	United States				
एशिया			Asia				
भारत			India				
जापान+	10670	10790	Japan+				
पाकिस्तान+	9069		Pakistan+				
श्री लंका	1421	1581	Sri Lanka				
यूरोप			Europe				
फ्रांस+	3231	3291	France+				
जर्मनी+	7904	7932	Germany+				
इटली+	4148	4188	Italy+				
स्लोवाकिया+	610	624	Slovakia+				
ब्रिटेन+	2991	2919	United Kingdom+				
ओशेनिआ			Oceania				
आस्ट्रेलिया+	975	888	Australia+				
न्यूजीलैंण्ड+	243	252	New Zealand+				

सारणी 8.1 Table 8.1

परिवहन एवं भंडारण Transport and Storage					
देश	2016	2017	Country		
अफ्रीका			Africa		
मोरिशियस+	35	38	Mauritius+		
अमेरिका			America		
कनाडा#	1105		Canada#		
संयुक्त राष्ट्र	8659	8836	United States		
एशिया भारत			Asia India		
जापान+	3710	3720	Japan+		
पाकिस्तान+	2956		Pakistan+		
श्री लंका	516	513	Sri Lanka		
यूरोप			Europe		
फ्रांस+	1463	1452	France+		
जर्मनी+	2017	2083	Germany+		
इटली+	1085	1110	Italy+		
स्लोवाकिया+	164	161	Slovakia+		
ब्रिटेन+	1611	1572	United Kingdom+		
ओशेनिआ			Oceania		
आस्ट्रेलिया+	623		Australia+		
न्यूजीलैंण्ड+			New Zealand+		

स्रोत : आई एल ओ वैबसाइट (www.ilo.org) on13 Mar, 2019 Source : ILO website (www.ilo.org) on 13 Mar, 2019 + अन्तराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 4 + ISIC Rev 4

ISIC Rev 3

[^] परिवहन, भंडारण एव संचार पर आधारित आंकडें ^ Transport, Storage and communication # अन्तराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 3

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना 8 INTERNATIONAL COMPARISON 8.2 चुने हुए देशों में विनिर्माण में कर्मचारियों का औसत माहवार अभिहित

उपार्जन (स्थानीय मुद्रा) (आर्थिक क्रियाशीलता के अनुसार) 8.2 Mean Nominal monthly Earnings of Employees in Manufacturing in Selected Countries (local Currency) (by Economic Activity)

देश	2016	2017	Country
अफ्रीका			Africa
मोरिशियस+	14742	15646	Mauritius+
मिस्त्र+	2000	2258	Egypt+
अमेरीका			America
कनाडा#	1000		Canada#
संयुक्त राष्ट्र^	1058	1085	United States^
एशिया			Asia
भारत			India
जापान+	295100	294500	Japan+
श्रीलंका	23339		Sri Lanka
पाकिस्तान+			Pakistan-
यूरोप			Europe
स्लोवाकिया+	1074	1142	Slovakia-
फ्रांस			France
ब्रिटेन+	2681	2712	United Kingdom-
जर्मनी+	4462	4552	Germany-
ओशेनिआ			Oceania
आस्ट्रेलिया			Australia
न्यूजीलैंण्ड+	5130	5250	New Zealand-
	म्रोत : आई एल अ	ो वैबसाइट (www.il	o.org) on13 Mar, 2019
			o.org) on 13 Mar, 2019
# अन्तराष्ट्रीय मानक औद्योर्		#ISIC Rev 3	
+ अन्तराष्ट्रीय मानक औद्यो	गेक वर्गीकरण संशोधन 4	+ISIC Rev 4	
^ कुल कार्यकलाप		^ Aggregate a	ctivity

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

र तुलना 8 INTERNATIONAL COMPARISON 8.3 चुने हुए देशों में औद्योगिक विवाद (आर्थिक कियाशीलता के अनुसार) 8.3 Industrial Disputes in Selected Countries (By Economic Activity)

देश	विवादों की	संख्या	अन्तर्ग्रस्त	कर्मकार	अकार्य दिवस		
Country	No.of dis	o.of disputes Workers involved++ Days not		Workers involved++		worked	
1	2	3	4	5 6		7	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
अफ्रीका							
Africa मोरिशियस	8		1		1764		
Mauritius+ अमेरीका							
America कनाडा	189	192	44391	206380	631870	1200700	
Canada+ संयुक्त राष्ट्र United states+ एशिया							
Asia							
भारत	102		579		1271552		
India+ जापान							
Japan मलेशिया	0	0	0	0	0	0	
Malaysia+ पाकिस्तान							
Pakistan फिलीपींस	15	9	3	1	116637	24784	
Philippines+ श्रीलंका	52	35	29	11		60079	
Sri Lanka+ यूरोप Europe							

8 अन्तर्राष्ट्रीय	तुलना	8 INTERNATIONAL COMPARISON				
	•	7	तारणी 8.3			
		1	Table 8.3			
1	2	3	4	5	6	7
स्लोवाकिया	2	2	17	5	15	9
Slovakia+						
इटली						
Italy						
स्विटंजरलैण्ड	8	11	2181	455	1004	3578
Switzerland+						
ब्रिटेन		79		33		276408
United						
Kingdom+ जर्मनी	718	1170	215	61	209435	128997
Germany+	/10	11/0	213	01	209433	120///
ओशेनिया						
Ocenia						
आस्ट्रेलिया	259		106		124500	
Australia+						
न्यूजीलैंड -यूजीलैंड						
New						
Zealand			अपूर्व गून ओ वै			12.16 20

Zealand

स्रोत : आई एल ओ वैबसाइट (www.ilo.org) on13 Mar, 2019

Source : ILO website (www.ilo.org) on 13 Mar, 2019

+ अन्तराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 4

+ International Standard Industrial Classification Rev 4

++ = इजारों में ++ = thousands
^ अन्तराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 3

^ International Standard Industrial Classification Rev 3

8 INTERNATIONAL COMPARISON

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना 8 INTERNATIONAL COMPARISO 8.4 चुने हुए देशों में व्यवसायिक घातक क्षति प्रति 1,00,000 नियोजित कर्मकार (प्रतिशत) (आर्थिक क्रियाशीलता के अनुसार) 8.4 Fatal Occupational Injuries in Selected Countries per 1,00,000 workers employed (percentage) (By Economic Activity)

देश	खनन एवं	Country	
	Mining & qu	arrying	
	2016	2017	
1	2	3	4
मिस्त्र+			Egypt+
ट्यूनिशिया			Tunisia+
कनाडा^			Canada^
संयुक्त राष्ट्र	12.7		United states
भारत			India
जापान+	35	43	Japan+
श्री लंका	7.3	8.1	Sri Lanka
पाकिस्तान			Pakistan
फिलीपींस			Philippines
इटली			Italy
पौलैंड+			Poland+
स्लोवाकिया+	0		Slovakia+
ब्रिटेन+			United Kingdom+
आस्ट्रेलिया^		1.6	Australia^

साारणे 8.4 Table 8.4

	विर्निमाण Ma	nufacturing	
	2016	2017	
1	2	3	4
मिस्र+	••		Egypt+
ट्यूनिशिया			Tunisia
कनाडा^			Canada^
संयुक्त राष्ट्र	2.4		United states
भारत			India
जापान+	1	1	Japan+
श्री लंका	1.6	1.7	Sri Lanka
पाकिस्तान			Pakistan
फिलीपींस			Philippines
इटली			Italy
पौलैंड+			Poland+
स्लोवाकिया+	1		Slovakia+
ब्रिटेन+			United Kingdom+
आस्ट्रेलिया^	••	0.7	Australia^

स्रोत : आई एल ओ वैबसाइट (www.ilo.org) on13 Mar, 2019 Source : ILO website (www.ilo.org) on 13 Mar, 2019 + अन्तराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संजोधन 4

- + International Standard Industrial Classification Rev 4 ^ अन्तराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन3 ^ International Standard Industrial Classification Rev 3

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना 8 INTERNATIONAL COMPARISON 8.5 राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- पूर्व वर्ष से प्रतिशत बदलाव (सामान्य) (वार्षिक)

8.5 National Consumer Prices Index- Percentage change from previous year (General) (Annual)

देश	2013	2014	2015	2016	2017	Country
1	2	3	4	5	6	1
अफ्रीका						Africa
घाना	11.67	15.49	17.15	17.45	12.37	Ghana
मिस्त्र	9.42	10.14	10.36	13.81	29.50	Egypt
मोरिशियस	3.54	3.22	1.29	0.98	3.67	Mauritius
अमेरिका						America
अर्जेंटीना						Argentina
कनाडा	0.94	1.91	1.13	1.43	1.6	Canada
संयुक्त	1.46	1.62	0.12	1.26	2.13	United
राष्ट्र						States
एशिया						Asia
भारत	10.91	6.35	5.87	4.94	2.49	India
जापान	0.35	2.76	0.79	-0.12	0.47	Japan
मलेशिया	2.11	3.14	2.1	2.09	3.87	Malaysia
पाकिस्तान	7.69	7.19	2.53	3.77	4.09	Pakistan
फिलीपाइन्स	2.58	3.6	0.67	1.25	2.85	Phillipine:
श्रीलंका	6.91	3.18	3.77	3.96	7.7	Sri Lanka
यूरोप						Europe
स्लोवाकिया	1.4	-0.08	-0.33	-0.52	1.31	Slovakia
फ्रांस	0.86	0.51	0.04	0.18	1.03	France

8 अ न्त र्राष्ट्री	य तुलना		8 IN	TERNATI	ONAL CO	OMPARISON
	•		साारणे 8.5			
			Table 8.5			
1	2	3	4	5	6	1
जर्मनी	1.5	0.91	0.23	0.48	1.74	Germany
इटली	1.22	0.24	0.04	-0.09	1.23	Italy
पोलैंड	0.99	0.05	-0.87	-0.66	2.08	Poland
स्विटजरलैंड	-0.22	-0.01	-1.14	-0.43	0.53	Switzerland
ब्रिटेन	2.29	1.45	0.37	1.01	2.56	United Kingdom
ओशेनिआ						Oceania
आस्ट्रेलिया	2.45	2.49	1.51	1.28	1.95	Australia
न्यूजीलैंड	1.13	1.23	0.29	0.65	1.85	New Zealand

स्रोत : आई एल ओ वैबसाइट (www.ilo.org) on13 Mar, 2019 Source : ILO website (www.ilo.org) on 13 Mar, 2019

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

क्र∘	अभिसमय शीर्षक एवं संख्या ः	अनुसमर्थन के पंजियन
सं०	No. & Title of Convention	की तिथि
Sl.	1	Date of Registration
No		of Ratification
1	2	3
1	सं० 1 कार्य के घंटे (उद्योग) अभिसमय, 1919	14-07-1921
	No. 1 Hours of Work (Industry) Convention, 1919	
2+	संo. 2, बेरोजगारी अभिसमय, 1919	14-07-1921
	No. 2, Unemployment Convention, 1919	
3	सं० 4 रात्रि-कार्य (महिलाएं) अभिसमय, 1919	14-07-1921
	No. 4, Night Work (Women) Convention, 19	19
4	सं० 5 न्यूनतम आयु (उद्योग) अभिसमय, 1919	09-09-1955
	No. 5 Minimum Age (Industry) Convention,	1919
5	सं० 6 तरुण व्यक्तियों का रात्रि-कार्य (उद्योग) अभिस	मय, 14-07-1921
	1919	
	No. 6, Night Work of Young Persons (Industr	ry)
6	Convention, 1919 सं० 11 संघ बनाने का अधिकार (कृषि), अभिसमय, 1	1921 11-05-1923
	No. 11 Right of Association (Agriculture)	
	Convention, 1921	
7	सं० 14 साप्ताहिक विश्राम (उद्योग) अभिसमय, 1921	11-05-1923
	No. 14, Weekly Rest (Industry) Convention,	1921

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

1	2	3
8	सं० 15 न्यूनतम आयु (ट्रिमर्स एवं स्टोकर्स) अभिसमय,	20-11-1922
	1921	
	No. 15, Minimum Age (Trimmers and Stokers)	
	Convention, 1921	
9	सं 16 तरुण व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच (समुद्र)	20-11-1922
	अभिसमय, 1921	
	No. 16, Medical Examination of Young Persons	
10	(Sea) Convention, 1921	20.00.1027
10	सं० 18 कर्मकार क्षतिपूर्ति (व्यावसायिक रोग) अभिसमय,	30-09-1927
	1925 No. 18. Workman's Commonstion (Occumational	
	No.18, Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925	
11	सं० 19 व्यवहार की समानता (दुर्घटना क्षतिपूर्ति)	30-09-1927
••	अभिसमय. 1925	30-07-1727
	No. 19, Equality of Treatment (Accident	
	Compensation), 1925	
12	सं० 21 प्रवासी निरीक्षण अभिसमय, 1926	14-01-1928
	No. 21, Inspection of Emigrants Convention,	
	1926	
13	सं० 22 नाविकों के अनुबन्ध संबंधी अन्तर्नियम अभिसमय,	31-10-1932
	1926	
	No. 22, Seamen's Articles of Agreement	
	Convention, 1926	
14	सं० 26 न्यूनतम मजदूरी नियतन तन्त्र अभिसमय, 1928	10-01-1955
	No. 26, Minimum Wage-Fixing Machinery	
	Convention, 1928	

1	2	3
15	सं० 27 भार अंकित करना (जलयानों द्वारा वाहित पैकेज) अभिसमय, 1929	07-09-1931
	No. 27, Marking of Weight (Packages	
16	Transported by Vessels) Convention, 1929 सं॰ 29 श्रम बेगार अभिसमय, 1930	30-11-1954
10	No. 29, Forced Labour Convention, 1930	50 11 170 .
17	सं॰ 32 दुर्घटनाओं से संरक्षण (गोदी मजदूर) अभिसमय, (संशोधित), 1932	10-02-1947
	No. 32, Protection Against Accidents (Dockers)	
18	Convention (Revised), 1932 सं॰ 41 रात्रि कार्य (महिलाएं) अभिसमय, (संशोधित),	22-11-1935
++	1934	22-11-1933
	No. 41, Night Work (Women) Convention	
10	(Revised), 1934	13-01-1964
19	सं॰ 42 कर्मकार क्षतिपूर्ति (व्यावसायिक रोग) अभिसमय, (संशोधित), 1934	13-01-1904
	No. 42, Workmen's Compensation (Occupational	
	Diseases) Convention (Revised), 1934	
20	सं० 45 सतह के नीचे कार्य (महिलाएं) अभिसमय, 1935	25-03-1938
	No. 45, Underground Work (Women) Convention, 1935	
21	सं० 80 निर्णायक अन्तर्नियम संशोधन अभिसमय, 1946	17-11-1947
	No. 80 Final Articles Revision Convention, 1946	
22&	सं० 81 श्रम निरीक्षण अभिसमय, 1947	07-04-1949
	No. 81, Labour Inspection Convention, 1947	
23	सं० 88 रोजगार सेवा अभिसमय, 1948	24-06-1959
	No. 88, Employment Service Convention, 1948	

1	2	3
24	सं० 89 रात्रि कार्य (महिलाएं) अभिसमय, (संशोधित), 1948	27-02-1950
	No. 89, Night Work (Women) Convention	
25	(Revised), 1948	27.02.1050
25	सं० 90 तरुण व्यक्तियों का रात्रि कार्य (उद्योग) अभिसमय, (संशोधित), 1948	27-02-1950
	No. 90, Night Work of Young Persons (Industry)	
	Convention (Revised), 1948	
26	सं॰ 100 समान पारिश्रमिक अभिसमय, 1951	25-09-1958
	No. 100, Equal Remuneration Convention, 1951	
27	सं॰ 105 श्रम बेगार उन्मूलन, 1957	18-05-2000
	No.105 Abolition of Forced Labour, 1957	
28	सं० 107 देशी एवं जनजातीय जनसंख्या,	29-09-1958
	अभिसमय, 1957	
	No. 107 Indigenous and Tribal Population	
29	Convention, 1957 सं० 108 समुद्रयात्री (नाविक) पहचान दस्तावेज अभिसमय,	17-01-2005
	1958	1, 01 2000
	No. 108 Seafarers Identify Document Convention 1958	
30	सं० 111 भेदभाव (रोजगार एवं व्यवसाय) अभिसमय, 1958	03-06-1960
	No. 111, Discrimination (Employment and	
21	Occupation) Convention, 1958	17 11 1075
31	सं० 115 विकिरण संरक्षण अभिसमय, 1960	17-11-1975
	No. 115, Radiation Protection Convention, 1960	

1	2	3
32	सं० 116 निर्णायक अन्तर्नियम संशोधन अभिसमय, 1961	21-06-1962
	No. 116 Final Articles Revision Convention,	
33#	1961 सं० 118 व्यवहार की समानता (सामाजिक सुरक्षा)	19-08-1964
	अभिसमय, 1962	1, 00 1,0.
	No. 118, Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962	
34	सं० 122 रोजगार नीति अभिसमय, 1964	17-11-1998
	No. 122, Employment Policy Convention, 1964	
35\$\$	सं० 123 न्यूनतम आयु (सतह के नीचे कार्य) अभिसमय,	20-03-1975
	1965	
	No. 123, Minimum Age (Under-ground Work)	
36	Convention, 1965 सं० 136 वेन्जीन अभिसमय, 1971	11-06-1991
30	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	11-00-1991
2.7	No. 136, Benzene Convention, 1971	10.00.1055
37	सं० 141 ग्रामीण कर्मकार संगठन, अभिसमय, 1975	18-08-1977
	No. 141, Rural Workers' Organisation	
38	Convention, 1975 सं० 144 त्रिपक्षीय परामर्श (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानक)	27-02-1978
30	अभिसमय, 1976	27-02-1978
	No. 144, Tripartite Consultation (International	
	Labour Standards) Convention, 1976	
39	सं० 147 व्यापारी पोत परिवहन (न्यूनतम मानक)	26-09-1996
	अभिसमय, 1976	
	No. 147 Merchant Shipping (Minimum Standard)	
	Convention, 1976	

1	2	3
40**	सं० 160 श्रम सांख्यिकी अभिसमय, 1985	01-04-1992
	No. 160, Labour Statistics Convention, 1985	
41	सं० 174 बडी औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम	06-06-2008
	No. 174 Prevention of Major Industrial Accidents	
42	सं० 142 मानव संसाधन विकास	25-03-2009
	No. 142 Human Resources Development	
43	सं० 127 अधिकतम भार	26-03-2010
	No. 127 Maximum Weight	
44	सं० 185 समुद्री यात्रा (नाविक) पहचान दस्तावेज अभिसमय	09-10-2015
	(संशोधित) 2003	
	No 185 Seafarers' Identity Documents Convention	
45 %	(Revised), 2003 समुद्री श्रम अभिसमय,2006 (एम एल सी 2006)	09-10-2015
TJ /0	Martime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006)	09-10-2013
46	सं० 138 न्यूनतम आयु अभिसमय 1973	13-06-2017
40	त्राप्त । १७४८ न्यूनतम् आयु आमसमय १९७७ (निर्धारित न्यूनतम् आयु: १४ वर्ष)	13-00-2017
	No. 138 Minimum Age Convention 1973	
	(Minimum age specified 14 years)	
46	सं० 182 बाल श्रम अभिसमय के निकृष्ट रुप 1999	13-06-2017
	(निधीरित न्यूनतम आयु: 14 वर्ष)	
	No. 182 Worst Forms of Child Labour Convention	
	1999	
प्रोटोक	ल 1 रात्रि कार्य (महिला) अभिसमय (संशोधित) 1948 के	21-11-2003
	लिये 1990 का प्रोटोकॉल पी 89	
Protoco	- 0701040-0	
	(Women) Convention (Revised), 1948	

- + बाद में समाप्त कर दिया गया। अभिसमय के तहत बेरोजगारी से संबंधित आंकडों को प्रत्येक तिमाही में आन्तरिक तौर पर प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसे व्यवहार्य नहीं समझा जाता।
- + Later denounced. The convention requires, internal furnishing of Statistics concerning unemployment every three months which is considered not practicable.
- ++ अभिसमय, संख्या 89 के अनुसमर्थन के फलस्वरूप परिवर्तन समाप्त
- ++ Convention denounced as a result of ratification of Convention No. 89
- & भाग II को छोड़कर
- & Excluding Part II
- # शाखाएं (ग) तथा (घ), तथा शाखाएं (क) से (ग) तथा (झ)
- # Branches (c) and (g) and branches (a) to (c) and (i)
- \$\$ प्रारम्भ में न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई थी लेकिन 1989 में इसे 18 वर्ष तक बढा दिया गया था।
- \$\$ Minimum age initially specified was 16 years but raised to 18 years in 1989
- ** भाग II का नियम 8
- ** Article 8 of Part II
- % मानक ए 4.5 (2) एवं (10) के अनुसार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की निम्निलिखित शाखार्थे चिन्छित की हैं: मातृत्व लाभ, असमान्यता लाभ, उत्तरजीविता लाभ % In accordance with Standard A4.5(2) and (10), the Government has specified the following branches of social security: maternity benefit; invalidity benefit and survivors' benefit.

10 Current Labour Activities

वर्ष 2017 के दौरान महत्वपूर्ण श्रम कार्यकलापों का अध्याय-वार ब्योरा इस प्रकार है। The Chapter presents in brief the important labour activities during the year 2017

- . 1 सम्मेलन/बैठकें
- 1 Conferences/meetings
- 1.1 अर्न्तराष्ट्रीय
- 1.1 International

अर्न्तराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 106वां अधिवेशन तथा शासी निकाय, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन का 330वां अधिवेशन

106th Session of the International Labour Conference & 330th Session of the Governing Body, ILO

अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के 330वं अधिवेशन के साथ अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 106वं अधिवेशन का 4 जून से 17 जून, 2017 के दौरान जेनेवा में आयोजन किया गया।

The 106^{th} Session of the International Labour Conference (ILC) along with 330th Session of Governing Body of ILO was held from 4^{th} June to 17th June, 2017 in Geneva.

सम्मेलन की कार्यसूची तथा सम्मेलन द्वारा कार्यसूची में रखी गई मदें

Agenda of the Conference and Items placed on the agenda by the Conference

स्थायी मदें i) शासी निकाय के अध्यक्ष तथा महानिदेशक की रिपोर्टे ii) वर्ष 2018-19 के लिए कार्यक्रम एवं बजट प्रस्ताव तथा अन्य प्रश्न iii)अभिसमयों तथा सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सूचना तथा रिपोर्टे

Standing Items i) Reports of the Chairperson of the Governing Body and of the Director General ii) Programme and budget proposals for 2018-19 and other questions iii) Information and reports on the application of Conventions and Recommendations.

10 Current Labour Activities

सम्मेलन अथवा शासी निकाय द्वारा कार्यसूची में रखी गई मदें i) श्रम प्रवासन (सामान्य चर्चा) ii) शान्ति तथा लचीलेपन हेतु रोजगार तथा समुचित कार्य : रोजगार (युद्ध से शान्ति की ओर पारगमन) सिफारिश, 1944 (सं. 71)(मानक स्थापना द्वितीय चर्चा) में संशोधन iii) आई एल ओ घोषणा-पत्र(1998) तथा निष्पक्ष वैश्वीकरण हेतु सामाजिक न्याय पर आई एल ओ घोषणा-पत्र (2008) पर अनुवर्ती कार्रवाई के तहत मौलिक सिद्धांत तथा कार्य के अधिकार के सामरिक उद्देश्य पर पुनरावर्ती चर्चा iv) अभिसमय सं. 4, 15, 28, 41, 60 और 67 का अभिनिषेध

Items placed on the agenda by the Conference or the Governing Body i) Labour Migration (general discussion) ii) Employment and decent work for peace and resilience: Revision of the Employment (Transition from War to Peace) Recommendation, 1944 (No. 71) (Standard setting second discussion) iii) A recurrent discussion on the strategic objective of fundamental principles and rights at work, under the follow-up to the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 2008 iv) Abrogation of Conventions No. 4, 15, 28, 41, 60 and 67.

अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 106वें अधिवेशन के दौरान साइड-लाइन बैठकें : नाम मन्त्रियों की बैठक, एसपाग मंत्रियों की बैठक, जी-20 बैठक, द्विपक्षीय बैठक सचिवीय(श्रम एवं रोज़गार) बैठक

Side-line Meetings during 106th session of ILC: NAM Ministerial Meeting, ASPAG Ministerial Meeting, G20 Meeting, Bilateral Meeting, Meeting of Secretary (L&E):

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 329वां अधिवेशन: अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 329 वां अधिवेशन 09 मीच से 24 मीच 2017, तक जेनेवा में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा शासी निकाय सत्र

329th Session of the Governing Body of ILO 329th Session of the Governing Body of the International Labour Organisation was held on 9th March to 24th March 2017 in Geneva. The Indian delegation participated in the Governing Body Session.

10 Current Labour Activities

शासी निकाय, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन का 330वां अधिवेशन: अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 330वां अधिवेशन जेनेवा में 17 जून, 2017 को आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा शासी निकाय में भाग लिया

 330^{th} Session of the Governing body, ILO: 330^{th} Session of the Governing Body of the International Labour Organisation was held on 17^{th} June 2017 in Geneva. The Indian delegation participated in the Governing Body.

शासी निकाय का 331वां अधिवेशन: अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 331वां अधिवेशन जेनेवा में 26 अक्तूबर से 9 नवम्बर, 2017 तक आयोजित किया गया। अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा जेनेवा में भारतीय स्थायी मिशन के अधिकारियों सहित शासी निकाय की बैठक में भाग लिया गया। संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक, श्रम कल्याण तथा सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य थे।

331st Session of the Governing Body: 331st Session of the Governing Body (GB) of the International Labour Organisation was held from 26 October - 9 November, 2017 in Geneva. The Indian delegation, led by Additional Secretary & Financial Adviser, participated in the Governing Body meeting along with officers from Permanent Mission of India in Geneva. Joint Secretary & Director General, Labour Welfare and Assistant Director, Ministry of Labour and Employment were the other members of the delegation.

जर्मनी की अध्यक्षता में 18-19 मई, 2017 को न्यूनाहर, जर्मनी में जी20 श्रम एवं रोज़गार तथा रोज़गार मंत्रियों की बैठक 2017: माननीय श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), श्रम एवं रोज़गार सचिव, संयुक्त सचिव तथा डी जी, एल डब्ल्यू तथा सीनियर फैलो, वीवीजीएनएलआई तथा निजी सचिव, एमओएस(स्वतंत्र प्रभार) द्वारा बैद न्यूनाहर, जर्मनी में 18-19 मई, 2017 के दौरान आयोजित जी20 श्रम एवं रोज़गार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया गया। भारत दवारा निम्नलिखित कार्यसूची

10 Current Labour Activities

मदों पर अंतःक्षेप किया गयाः कार्य भविष्य निर्धारण, महिलाओं की रोज़गार गुणवत्ता में सुधार द्वारा श्रम बल सहभागिता तथा वेतन में स्त्री-पुरूष अन्तर को कम करना, नियमित प्रवासियों तथा मान्यताप्राप्त शरणार्थियों के निष्पक्ष तथा प्रभावकारी श्रम बाजार समाकलन को प्रोत्साहन, युवा रोज़गार वर्धन, दीर्घकालिक वैश्विक आपूर्ति शृंखला के लिए समुचित कार्य प्रोत्साहन जी20 श्रम एवं रोज़गार मंत्रियों द्वारा मंत्रालयीय घोषणा के अभिग्रहण के साथ बैठक समाप्त हुई।

G20 Labour and Employment and Employment Ministers Meeting 2017 under German Presidency, 18-19 May 2017 in Neuenahr, Germany: Hon'ble Minister of State (IC), Labour and Employment, Secretary (Labour and Employment), JS & DGLW and Senior Fellow, VVGNLI and PS to MOS (IC), participated in the G20 Labour and Employment Ministerial Meeting, held at Bad Neuenahr, Germany during 18-19th May, 2017. India made interventions on the following agenda items: Shaping the Future of Work; Reducing Gender Gaps in Labour Force Participation and Pay by Improving Women's Job Quality; Promoting Fair and Effective Labour Market Integration of Regular Migrants and Recognised Refugees; Boosting Youth Employment and Fostering decent work for sustainable global supply chains. The meeting ended with the adoption of Ministerial Declaration by G20 Labour and Employment Ministers.

एचआईवी/एड्स पर संचालन समिति की बैठक: विश्व में एचआईवी/एड्स पर राष्ट्रीय नीति पर संचालन समिति की 5वीं बैठक दिनांक 04.10.17 को नई दिल्ली में संयुक्त सचिव (एमजी), श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय की अध्यक्षता में कार्यसूची मदों पर चर्चा करने तथा पिछली संचालन समिति की बैठक के उपरांत की गई कार्रवाई की स्थिति/अद्यतनीकरण की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई। टीबी को भी चर्चा हेतु इस संगोष्ठी में सम्मिलित किए जाने संबंधी इस बैठक में निर्णय लिया गया था। केन्द्रीय टीबी प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड तथा भारत में एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों के गठबंधन (एनसीपीआई+) से प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए संचालन समिति के पुनर्गठन पर भी समिति ने सहमित

10 Current Labour Activities

जताई थी। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन श्रम अभिसमयों में आगे और समर्थन की सम्भावनाओं को तलाशने हेतु तथा भारत के लिए समुचित कार्य राष्ट्रीय कार्यक्रम के विकास हेतु अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ नज़दीकी तालमेल से कार्य किया जा रहा है।

Steering Committee Meeting on HIV/AIDS: The Fifth Meeting of the Steering Committee on 'National Policy on HIV/AIDS in the World of Work' was held on 4th October 2017 at New Delhi, under the Chairmanship of Joint Secretary (MG), Ministry of Labour and Employment to discuss the agenda points and to review the status/updates on action arising out of previous Steering Committee Meeting. In this meeting, it was decided to include TB for discussion in this forum. The Committee also agreed to the reconstitution of Steering Committee by including representatives from Central TB Division, Ministry of Health and Family Welfare, Coal India Limited and National Coalition of People living with HIV in India (NCPI+).

तकनीकी सहयोग कार्यक्रम: रोजगार, संगठनात्मक सुरक्षा व स्वास्थ्य, कार्य दशाओं में सुधार, तकनीकी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में और कौशल विकास, प्रबंध परामर्श विकास, सामाजिक सुरक्षा और श्रम संबंधी अन्य मामलों पर विभिन्न तकनीकी कार्यक्रमों में भारत व अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन बहुत महत्वूपणं व उपयोगी आदान-प्रदान करते हैं। वी.वी.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, केन्द्रीय श्रम संस्थान (मुंबई), क्षेत्रीय श्रम संस्थान (कोलकाता, कानपुर और चेन्नई), रोजगार महानिदेशालय के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय अकादमी तथा देश के विभिन्न अन्य अग्रणी संस्थानां सहित भारत में श्रम व रोजगार मंत्रालय के तहत कई संस्थानों में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का भी अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा उपयोग किया जाता है।

Technical Co-Operation Programmes: India and ILO share a very significant and fruitful cooperation in various technical programmes in the areas of employment, occupational safety & health, improvement of working conditions, upgradation of technical facilities and skills

10 Current Labour Activities

development, management consultation development, social security, skill development and other labour related issues. ILO also utilizes the training facilities available in a number of institutions under the Ministry of Labour & Employment in India including V. V. Giri National Labour Institute, Central Labour Institute (Mumbai), Regional Labour Institutes (Kolkata, Kanpur & Chennai), Vocational Training Institutes under the Directorate General of Employment, Pandit Deen Dayal Upadhyaya National Academy of Social Security and various other premier institutes of the country.

उच्च-स्तरीय अन्तरराष्ट्रीय बैठकें: कुछ मुख्य अन्तरराष्ट्रीय बैठकें जिनमें भारत द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया गया निम्नवत हैं:

High-Level International Meeting: Some of the prominent International meetings where India participated actively include:

- महा निदेशक, डीजी फासली तथा अवर सचिव द्वारा निर्माण कार्यस्थल सुरक्षा पर यूएसटीडीए प्रतिकृल व्यापार मिशन में भाग लिया गया जिसका आयोजन 2-8 अप्रैल, 2017 के दौरान वाशिंगटन डीसी, शिकागो इलिनॉयस तथा सीटल वाशिंगटन, यूएसए में किया गया था।
- Director General, DGFASLI and Under Secretary attended USTDA Reverse Trade Mission on Construction workplace Safety during 2-8th April, 2017 in Washington DC, Chicago Illinois and Seattle, Washington, USA.
- उप महा निदेशक(ई) द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 06.04.2017 से 07.04.2017 तक युवा रोजगार प्रशिक्षुता तथा कार्य आधारित प्रशिक्षण के मार्ग पर ओईसीडी संयुक्त सम्मेलन में भाग लिया गया था।
- DDG (E) had attended OECD Joint Conference on Pathways to Youth Employment Apprenticeships and Work based Training from 06.04.2017 to 07.04.2017 at South Africa.
- संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, निदेशक, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय तथा

10 Current Labour Activities

सदस्य, वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा 19-20 अप्रैल, 2017 को प्रथम ब्रिक्स रोज़गार कार्य दल में भाग लिया गया।

- JS, MOL&E, Director, MOL&E and Fellow, VV Giri NLI attended 'First BRICS Employment Working Group (EWG)' on 19-20 April, 2017 in Yuxi, China
- निदेशक, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा 24-28 अप्रैल, 2017 को जेनेवा,
 स्विटज़रलैंड में स्वास्थ्य सेवाओं में रोज़गार तथा कार्य दशाओं में सुधार पर
 आयोजित अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन की त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया गया।
- Director, MoLE had attended ILO's Tripartite Meeting on Improving Employment and Working Condition in Health Services at Geneva, Switzerland on 24-28, April, 2017.
- तत्कालीन श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा श्रम एवं रोज़गार सचिव, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव तथा विरष्ठ साथी, वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा 16-19 मई, 2017 को बैद न्यूनाहर, जर्मनी में आयोजित जी20 रोज़गार कार्य दल बैठक तथा जी20 श्रम एवं रोज़गार मंत्रियों की बैठक की चौथी बैठक में भाग लिया गया।
- A high level Indian delegation led by the then Minister of State for Labour and Employment (Independent Charge) along with Secretary (L& E), Joint Secretary, MOLE, Private Secretary to the then Minister of State for Labour and Employment (Independent Charge) Sr. Fellow, VVG NLI attended the Fourth meeting of G20 Employment Working Group meeting and G 20 Labour & Employments Ministers' Meeting during 16-19 May, 2017 in Bad Neuenahr, Germany.
- अवर सचिव, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा 22-26 मई, 2017 को तुरिन, इटली में "बेगार तथा मानव अवैध व्यापार मामलों की पहचान तथा जाँच" पर आईटीसी-आईएलओ प्रशिक्षण में भाग लिया गया।

- Under Secretary, MoLE had attended ITC-ILO Training on "Identifying and Investigating cases of forced labour and human trafficking" on 22-26, May, 2017 in Turin, Italy.
- तत्कालीन श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा 4 जून से 17 जून, 2017 तक जेनेवा, स्विटजरलैंड में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के 330वें अधिवेशन तथा अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 106वें अधिवेशन में भाग लिया गया।
- A high level delegation led by the then Hon'ble Minister of State for Labour and Employment (Independent Charge) attended the 106th Session of International Labour Conference of ILO and 330th Session of Governing Body of ILO held at Geneva, Switzerland from 4th June to 17th June, 2017.
- तत्कालीन श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा श्रम एवं रोज़गार सचिव, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, निदेशक, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, तत्कालीन श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) का ओएसडी तथा वरिष्ठ सहकर्मी, वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा द्वितीय 25-27 जुलाई, 2017 के दौरान चौंगक्विंग, चीन में आयोजित ब्रिक्स रोज़गार कार्य दल बैठक तथा ब्रिक्स श्रम एवं रोज़गार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया गया।
- A high level delegation led by the then Hon'ble Minister of State for Labour & Employment (Independent Charge) along with Secretary (L&E), Joint Secretary, MoLE, Director, MoLE, OSD to the then Minister of State for Labour and Employment (Independent Charge) and Sr. Fellow, VVGNLI attended Second BRICS Employment Working Group (EWG) Meeting and BRICS Labour & Employment Ministers' Meeting from 25-27, July, 2017 in Chongquing, China.

- उप महा निदेशक, महा निदेशक, डी जी फासली एवं उप निदेशक, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के साथ 6 सितम्बर, 2017 को सिंगापुर में आयोजित जी20 रोज़गार कार्य दल तथा ओएसएच नेटवर्क परामर्श बैठक में भाग लिया गया।
- Dy. Director General, DG FASLI along with Dy. Director, MOLE attended the G20 EWG and OSH Network Consultative meeting on 6th September, 2017 in Singapore.
- अवर सचिव, महानिदेशक एल डब्ल्यू द्वारा 11-15 सितम्बर, 2017 को तुरिन, इटली में औपचारिक अर्थ-व्यवस्था की ओर पारगमन पर वैश्विक ज्ञान सांझा करने संबंधी मंच पर अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यक्रम में भाग लिया गया।
- Under Secretary, DGLW had attended ILO Programme on Global knowledge sharing forum on transition to formal economy from 11-15, September, 2017 in Turin, Italy.
- उप निदेशक, महानिदेशक, श्रम ब्यूरो द्वारा थाईलैंड में 11.09.2017 से 15.09.2017 तक समुचित कार्य को प्रोत्साहन देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य सांख्यिकी पर एशिया प्रशान्त देशों की क्षेत्रीय क्षमता निर्माण कार्यशाला में भाग लिया गया।
- Deputy Director, DG Labour Bureau had attended Regional Capacity Building workshop of Asia Pacific Countries on Work Statistics in Rural Areas for Promotion of Decent Work from 11.09.2017 to 15.09.2017 at Thailand.
- उप निदेशक, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा जेनेवा, स्विटज़रलैंड में 18 सितम्बर से 22 सितम्बर, 2017 तक प्रवासी मछुआरों से संबंधित मामलों पर अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन की त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया गया।
- Dy. Director, MOLE had attended ILO's Tripartite Meeting on Issues relating to Migrant Fishers on 18th September to 22nd September, 2017 in Geneva, Switzerland.

- उप निदेशक, जीई द्वारा जापान में 19.09.2017 से 21.09.2017 तक श्रम बाजार सूचना पर डब्ल्यू ए. पी. ई. एस. विशेषजों की बैठक में भाग लिया गया।
- DD GE had attended WAPES Experts Meeting on Labour Market Information from 19.09.2017 to 21.09.2017 in Japan.
- आर.एल.सी.(सी) तथा अवर सचिव द्वारा जेनेवा, स्विटजरलैंड में 25.09.2017 से 29.09.2017 तक अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन की मानक समीक्षा तंत्र पर कार्य दल की तीसरी बैठक में भाग लिया गया।
- RLC (C) and Under Secretary, attended the ILO's third meeting of the Working Group on Standard Review Mechanism from 25.09.2017 to 29.09.2017 at Geneva, Switzerland
- सहकर्मी, वी.वी.जी. एन.एल.आई. द्वारा जेनेवा, स्विटजरलैंड में 02.10.2017 से 03.10.2017 तक अनौपचारिक अर्थ-व्यवस्था सांख्यिकी पर यूनाईटेड नेशन्स दिल्ली समृह की 12वीं बैठक में भाग लिया गया।
- Fellow, VVG NLI had attended the twelfth meeting of the United Nations Delhi Group on Informal Economy Statistics from 02.10.2017 to 03.10.2017 at Geneva, Switzerland.
- वरिष्ठ सहकर्मी द्वारा लेबनान में 04.10.2017 से 05.10.2017 तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एशिया तथा अफ्रीका से मिडल ईस्ट तक श्रम प्रवासन पर अन्तरराष्ट्रीय परामर्श में भाग लिया गया।
- Sr. Fellow had attended ILO International Consultation on Labour Migration from Asia and Africa to Middle East from 04.10.2017 to 05.10.2017 in Lebanon.
- निदेशक द्वारा तुरिन, इटली में 2-13 अक्तूबर, 2017 को "व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणाली तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम" पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यक्रम में भाग लिया गया।
- Director had attended ILO Programme on 'National Programme and

10 Current Labour Activities

Systems of Occupation Safety and Health' from 2nd - 13th October, 2017 at Turin, Italy.

- उप निदेशक, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा बैंगकॉक, थाईलैंड में 10-11 अक्तूबर,
 2017 को 'एशिया में वस्त्र क्षेत्र आपूर्ति श्रंखला में समुचित कार्य को प्रोत्साहन' पर
 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्वीडन बहु पणधारी क्षेत्रीय बैठक में भाग लिया गया।
- Dy. Director, MOLE had attended ILO Sweden Multi Stakeholder Regional Meeting on 'Promoting Decent Work in Garment Sector Supply Chains in Asia' on 10th - 11th October, 2017 in Bangkok, Thailand.
- संयुक्त सचिव तथा निदेशक द्वारा वाशिंगटन डी.सी., यू.एस.ए. में 12.10.2017 को बाल देखभाल संबंधी उपक्रम करने पर पेनल चर्चा में भाग लिया गया।
- Joint Secretary and Director attended the Panel discussion on Tackling Childcare on 12.10.2017 at Washington DC, USA.
- अवर सचिव, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय तथा निदेशक, खान सुरक्षा द्वारा जेनेवा,
 स्विटज़रलैंड में 16-20 अक्तूबर, 2017 को अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन की ऑपनकास्ट माइन्स में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पर विशेषज्ञों की बैठक में भाग लिया गया।
- Under Secretary, MOLE and Director, Mines Safety attended ILO's meeting of Experts on Safety and health in Opencast mines on 16th 20th October, 2017 in Geneva, Switzerland.
- उप निदेशक तथा कल्याण प्रबन्धक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चीबा, जापान में 16 से 20 अक्तूबर, 2017 को अनौपचारिकता पर एशिया तथा प्रशान्त पाठ्यक्रम हेत् यू.एन. ईएससीएपी सांख्यिकीय संस्थान में भाग लिया गया।
- Deputy Director and Welfare Administrator, MoLE attended UN ESCAP Statistical institute for Asia and the Pacific's course on informality from 16th to 20th October 2017 in Chiba, Japan

- महानिदेशक, वी.वी.गिरी, एन.एल.आई, तथा उप सचिव, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय तथा सहकर्मी, वी.वी.गिरी, एन.एल.आई द्वारा तुरिन, इटली में 26-27 अक्तूबर, 2017 को अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की बोर्ड बैठक के 80वें अधिवेशन में भाग लिया गया।
- DG, V. V. Giri, NLI, Deputy Secretary, MoLE and Fellow, V. V. Giri, NLI attended 80th Session of the Board meeting of International Training Centre of ILO on 26th - 27th October, 2017 in Turin, Italy.
- ए.एस तथा एफ.ए.(श्रम एवं रोज़गार), संयुक्त सचिव, डीजीएलडब्ल्यू तथा सहायक निदेशक द्वारा जेनेवा, स्विटज़रलैंड में 30 अक्तूबर से 9 नवंबर, 2017 तक अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के 331वें अधिवेशन में भाग लिया गया।
- AS & FA (L&E), Jt. Secretary, DGLW and Asstt. Director attended 331st Session of Governing Body of ILO on 30th October, 2017 to 9th November, 2017 in Geneva, Switzerland.
- निदेशक, श्रम ब्यूरो द्वारा इटली में 30.10.2017 से 10.11.2017 तक श्रम बाजार सांख्यिकी तथा विश्लेषण शोध संस्थान पर आईटीसी आईएलओ प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग निया गया।
- Director, Labour Bureau had attended the ITC ILO training programme on Academy on Labour Market Statistics and Analysis from 30.10.2017 to 10.11.2017 at Italy.
- सहायक निदेशक, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा 6-8 नवंबर, 2017 को बैंगकॉक, थाईलैंड में सुरक्षित, व्यवस्थित तथा नियमित प्रवासन पर वैश्विक समझौते पर एशिया प्रशांत क्षेत्रीय प्रारंभिक बैठक में भाग लिया गया।
- Assistant Director, MoLE had attended Asia Pacific Regional Preparatory Meeting for the Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration at Bangkok, Thailand on 6th -8th, November, 2017.

- माननीय श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव तथा श्रीमती अनीता त्रिपाठी द्वारा ब्यूनोस एयरस, अर्जेन्टीना में 14-16 नवंबर, 2017 को बाल श्रम स्थायी उन्मूलन पर IV वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया गया।
- Hon'ble Minister of State for Labour & Employment (Independent Charge), Private Secretary to MoS(IC) for L&E and Smt. Anita Tripathi attended IV Global Conference on the Sustained Eradication of Child Labour on 14th -16th November, 2017 in Buenos Aires, Argentina.
- उप सचिव द्वारा तुरिन, इटली में 20.11.2017 से 24.11.2017 तक 'रोज़गर तथा समेकित विकास पर समष्टि आर्थिक नीतियाँ,' पर अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया गया।
- Deputy Secretary had attended ILO training programme on 'Macroeconomic Policies jobs and Inclusive Growth' from 20.11.2017 to 24.11.2017 at Turin, Italy.
- सी सी ए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यू.के. में 20.11.2017 से 24.11.2017 तक अन्तरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन केन्द्र, लंदन द्वारा आयोजित रणनीतिक, सार्वजनिक प्रशासनिक व्यावसायिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में भाग लिया गया।
- CCA, MoLE had attended Professional Certificate Course in Strategic Public Administrative by International Center for Parliamentary studies London from 20.11.2017 to 24.11.2017 at UK
- दो अवर सिचवों द्वारा तुरिन, इटली में 04.12.2017 से 15.12.2017 तक 'लघु तथा मध्यम उद्यमों में व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार' पर अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया गया।
- Two Under Secretaries attended ILO training Programme on 'Improving Occupation Safety and Health in Small and Micro Enterprises' from 04.12.2017 to 15.12.2017 at Turin, Italy.

10 Current Labour Activities

कुछ प्रतिष्ठित अन्तरराष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल जो श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने भारत आए इस प्रकार हैं:

Some of the prominent International Delegations visited India to meet officials of Ministry of Labour and Employment are :

- उप महानिदेशक(नीति), अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जेनेवा द्वारा 24-26 जुलाई, 2017 को भारत में अपने दौरे के दौरान 24.07.2017 को माननीय श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) के साथ शिष्टाचार मुलाकात की गई। उनके द्वारा बाल श्रम पर अभिसमय (सं. 138 तथा 182) के अभिसमर्थन पर भारत की सराहना की गई तथा भविष्य पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।
- Dy. Director General (Policy), ILO, Geneva had a courtesy visit with Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Labour & Employment on 24.07.2017 during her tour to India from 24-26 July 2017. She complimented India on ratification of Convention (No. 138 &182) of ILO on Child Labour, and exchanged her views on future of work.
- उप महानिदेशक, ईपीडब्ल्यूपी, लोक निर्माण मंत्रालय, दक्षिण अफ्रीका द्वारा अध्ययन दल के साथ 22.09.2017 को श्रम एवं रोज़गार अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लोक कल्याण कार्यक्रमों का कर्मकारों को सामाजिक सरक्षा लाभ पर बैठक में भाग लिया गया।
- DDG, EPWP, Ministry of Public Works, South Africa along with a study team had a meeting officials of the Ministry headed by Additional Secretary (L&E) on 22.09.2017 on social security benefits to workers of public welfare programmes.

2 सामाजिक सुरक्षा

2 Social Security

भारतीय सामाजिक सुरक्षा योजना की परिधि में संगठित श्रम बल का केवल एक हिस्सा आता है जिसे संगठन के भीतर प्रत्यक्ष एवं नियमित नियोक्ता कर्मचारी

10 Current Labour Activities

संबंध रखने वाले श्रीमकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भारत में सामाजिक सुरक्षा कानून अपनी शक्ति एवं उत्साह भारत के संविधान में दिए गए राज्य योजना के निदेशक सिद्धांतों से प्राप्त करते हैं। ये या तो अकेले नियोक्ता के खर्च पर या नियोक्ता तथा कर्मचारी के संयुक्त अंश के आधार पर सामाजिक सुरक्षा लाभ की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करते हैं। कर्मचारियों को उपलब्ध अधिकारों के संरक्षण तथा अनुपालन का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से नियोक्ता का होता है।

The social security schemes in India cover only a small segment of the organized work-force, which may be defined as workers who are having a direct regular employer–employee relationship within an organization. The social security legislations in India derives their strength and spirit from the Directive Principles of the State Policy as contained in the Constitution of India. These provide for mandatory social security benefits either solely at the cost of the employers or on the basis of joint contribution of the employers and the employees. While protective entitlements accrue to the employees, the responsibilities for compliance largely rest with the employers.

2.1 कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923

2.1 The Employee's Compensation Act, 1923

कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923 को पहले कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम के रुप में जाना जाता था जोिक एक पुराना लेिकन महत्वपूर्ण अधिनियमन है क्योंिक यह इस देश के कर्मकारों के लिए एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना को लागू करता है। यह कर्मचारी को तथा कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उसके आश्रितों को रोजगार के दौरान चोट के लिए उसके नियोक्ता के खर्च से प्रतिपूर्ति उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं पर नियोजन के दौरान होने वाली घटनाओं के लिए कामगारों को भुगतान करने हेतु बाध्य करना है। यदि कर्मचारी को नियोजन के दौरान व्यावसायिक बीमारी लग जाती है तो इसे भी अधिनियम के तहत दुर्घटना के कारण होने वाली चोट के रूप में माना जाता है। मृत्यु के मामले में प्रतिकर दर को 1,20,000/- रू तथा चोट के कारण होने वाली

10 Current Labour Activities

विकलांगता के मामले में 1,40,000/- रु. तक बढ़ा दिया गया है। दाह संस्कार व्यय की राशि को 5000/रु. तक बढ़ा दिया गया है। प्रतिकर गणना हेतु मज़दूरी सीमा 31.05.2010 से 8,000/रु. प्रति माह है। अधिनियम में 18.01.2010 से संशोधन के माध्यम से एक उपधारा का समावेश कर दिया गया है ताकि सरकार द्वारा सरकारी गज़ट में अधिसूचना द्वारा प्रतिकर, संस्कार व्यय तथा मजदरी सीमा को बढाया जा सके। संदर्भ तिथि से तीन माह के भीतर इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर से संबंधित मामलों को निपटाने हेत् तथा निर्णयों की सूचना देने हेत् आयुक्त के लिए एक नई धारा 25 ए को जोड़ दिया गया है। कर्मचारी प्रतिकर(संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार धारा 17 ए को जोड़ दिया गया है। अब "इस अधिनियम के तहत प्रत्येक नियोक्ता कर्मचारी की नियक्ति के समय लिखित या इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी में या नियोजन के क्षेत्र की सरकारी भाषा में जो भी कर्मचारी द्वारा समझी जा सके, प्रतिकर के उसके अधिकारों के बारे में कर्मचारी को सूचित करेगा"। प्नः धारा 18 ए के तहत अधिनियम के उल्लंघन के लिए आर्थिक दंड को वर्तमान में 5000/रु. से बढ़ाकर 50,000/रु. कर दिया गया है जिसे 1 लाख रु. तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 30 के अनुसार अपील करने के लिए विवाद की राशि को 300/रु. से 10,000/रु. या केन्द्रीय सरकार दवारा अधिस्चित इससे अधिक राशि तक संशोधित कर दिया गया है ताकि मुकदमेबाजी को कम किया जा सके।

The Employees' Compensation Act, 1923, earlier known as "Workmen's Compensation Act" is an old but an important enactment, as it introduced a kind of social security scheme for the workers of this country. It enables an employee, and in case of death of an employee, his dependents, to get, at the cost of his employer compensation for employment injury. The object of the Act is to provide for the payment of compensation by employers to their employees for injury caused to them by accident while in employment. If an employee contracts an occupational disease while in employment, it is also treated under the Act as injury caused by accident. The compensation has been enhanced to Rs. 1,20,000/- in case of death and Rs. 1,40,000/- in case of disablement resulting from injury. The amount of funeral expenses has been enhanced to Rs.5,000/-. Wage ceiling for calculation of compensation is Rs.8,000/-

10 Current Labour Activities

p.m. w.e.f. 31.5.2010. Through the amendment carried out in the Act w.e.f. 18.01.2010, a clause has been inserted in the Act to enable the Government to raise the compensation, funeral expenses and wage limit by notification in the official Gazette. A new Section 25A has been added for the Commissioner to dispose of the matter relating to compensation under this Act within a period of three months from the date of reference and intimate the decision. As per the Employee's Compensation (Amendment) Act, 2017, Section 17A has been added. Now, "Every employer shall immediately at the time of employment of an employee, inform the employee of his rights to compensation under this Act, in writing as well as through electronic means, in English or Hindi or in the official language of the area of employment, as may be understood by the employee." Further, under Section 18A, penalty for contravention of Act has been increased from present Rs.5,000/- to Rs.50,000/- which may extend to one lakh rupees. As per Section 30, the amount of dispute has been revised to go for an appeal from Rs.300/- to Rs.10,000/- or such higher amount notified by the Central Government, so as to reduce litigation.

2.2 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

2.2 The Employees State Insurance Act, 1948

यह अधिनियम 10 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों पर लागू होता है। इस अधिनियम के प्रावधानों को क्षेत्र-वार चरणों में लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम के प्रावधानों को क्षेत्र-वार चरणों में लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम में समाहित प्रावधान के अनुसार "सक्षम सरकार" इस अधिनियमों के प्रावधानों को स्थापनाओं की अन्य श्रेणियों जैसे औद्योगिक, वाणिज्य, कृषि अथवा अन्य तक भी विस्तार कर सकती है। इन प्रावधानों के उपबंधों के तहत राज्य सरकारों ने इनका विस्तार दुकानों, होटलों, रेस्तरांओं, सिनेमा जिसमें प्रीव्यू थियेटर शामिल हैं, सड़क मोटर परिवहन उपक्रम, अखबार स्थापनाएँ, शैक्षणिक तथा चिकित्सा संस्थानों जिनमें 10 अथवा इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों, तक कर दिया है। 21,000 रु मासिक आय प्राप्त कर रहे कारखानों तथा स्थापनाओं के कामगार इस अधिनियम के अधीन आते हैं। पहले 25,000 रु मासिक प्राप्त कर रहे स्थायी विकलांगता वाले व्यक्ति इस स्कीम के तहत आते थे लेकिन अब

10 Current Labour Activities

स्थायी विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए ईएसआई स्कीम के तहत कवरेज हेतु कोई मासिक मज़दूरी सीमा नहीं है। ईएसआई स्कीम अब 33 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जाती है।

The Employees' State Insurance Act, 1948 applies to factories employing 10 or more persons. The provisions of the Act are being brought into force area-wise in stages. The Act contains an enabling provision under which the "appropriate government" is empowered to extend the provisions of the Act to other classes of establishments' industrial, commercial agricultural or otherwise. Under these provisions, the State Governments have extended the provisions of the Acts of shops, hotels, restaurants, cinemas including preview theatres, road motor transport undertaking, newspaper establishments, educational and medical institutions employing 10 or more employees. Employees of factories and establishments covered under the Act drawing monthly wages up to Rs. 21,000 per month are covered under the Scheme. Earlier, persons with permanent disabilities earning up to Rs. 25,000/- per month were covered under ESI Scheme but now, there is no monthly wage ceiling for coverage under ESI Scheme for persons with permanent disabilities. The ESI Scheme is now operated in 33 States/Union Territories.

प्रशासनर: इस स्कीम को एक सांविधिक निकाय नामतः कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से लागू किया जाता है जिसमें कर्मचारियों, नियोक्ताओं, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, चिकित्सा व्यवसाय तथा संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल होते हैं। संघ का श्रम एवं रोजगार मन्त्री इसका अध्यक्ष होता है। एक स्थाई समिति, जिसका गठन निगम के सदस्यों में से ही किया जाता है, जो स्कीम के संचालन हेतु कार्यकारी निकाय के रूप में काम करती है जिसका अध्यक्ष सचिव, श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय, भारत सरकार होता है।

Administration: The ESI Scheme is administered by a statutory body called the Employees' State Insurance Corporation (ESIC), which has members representing Employers, Employees, Central

10 Current Labour Activities

and State Governments, Medical Profession and the Parliament. The Union Minister for Labour & Employment is the Chairman. A Standing Committee, constituted from among the members of the Corporation, acts as the executive body for administration of the Scheme and is chaired by the Secretary, Ministry of Labour & Employment.

स्कीम को धन उपलब्ध करवाना तथा कार्यान्वयन: ईएसआई स्कीम को मुख्यतः नियोक्ताओं तथा कामगारों से प्राप्त अंशदान से चलाया जाता है। नियोक्ताओं तथा कामगारों के अंशदान के भाग की दर क्रमशः 4.75% तथा 1.75% है। दिनांक-06.10.2016 से नए कार्यान्वित क्षेत्रों के लिए प्रथम 24 माह के लिए अंशदान दर 4% (1%कर्मचारी अंश तथा 3 % नियोक्ता अंश) है।

Funding and Operation of the Scheme: The ESI Scheme is mainly financed by contributions from the employers and employees. The rates of the employers' and the employees' share of contribution are 4.75% and 1.75%, respectively. For the newly implemented areas w.e.f. 06.10.2016, the rate of contribution is 4% (1% being employee's share & 3% Employer's share) for the first 24 months.

ईएसआई स्कीम के तहत स्वास्थ्य एवं नकद लाभः चिकित्सा देखभाल के साथ-ही, ईएसआई स्कीम के तहत लाभार्थियों को कुछ नकद लाभ भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। इनका भुगतान अस्थाई अस्वस्थता अथवा स्थाई अपंगता के कारण शारीरिक क्षति जिसके परिणामस्वरूप उपार्जन क्षमता समाप्त हो जाती है, बीमाकृत महिलाओं के संबंध में प्रसृति इत्यादि की स्थिति में किया जाता है। बीमा प्राप्त व्यक्तियों के आश्रितों जिनकी मृत्यु व्यावसायिक बीमारी अथवा नियोजन के दौरान दुर्घटना के कारण होती है, को मासिक भुगतान किया जाता है जिसे आश्रित लाभ कहा जाता है। ईएसआई स्कीम के तहत दिए जाने वाले नकद लाभों की सूची इस प्रकार है:-अस्वस्थता लाभ: अस्वस्थता लाभ, विस्तृत अस्वस्थता लाभ, विस्तारित अस्वस्थता लाभ, अपंगता लाभ: अस्थाई अपंगता लाभ, स्थाई अपंगता लाभ, आश्रित लाभ:

10 Current Labour Activities

मातृत्व नाभ, चिकित्सा नाभ, अन्य नाभ: प्रसृति नाभ, दाह-संस्कार प्रभार, व्यावसायिक पुनर्वास, शारीरिक पुनर्वास, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ते के तहत कौशल उन्नयन प्रशिक्षणश्, सेवा निवृत्त (IP) तथा उसके परिवार को चिकित्सा सुविधा।

Health & Cash Benefits under ESI Scheme: Besides from medical care, the beneficiaries under ESI Scheme are also provided an array of cash benefits. It is payable in times of physical distress due to sickness, temporary or permanent disablement resulting in loss of earning capacity, confinement in respect of insured women etc. Dependents of insured persons who die of employment injury caused by accident or occupational disease are entitled to monthly payments called the dependent benefits. . The list of Cash Benefits provided under the ESI Scheme are as following: Sickness benefit: Sickness Benefit; Enhanced Sickness Benefit; Extended Sickness Benefit; Disablement benefit: Temporary Disablement Benefit and Permanent Disablement Benefit Dependant's Benefit, Maternity Benefit, Medical Benefit Other Benefit: Confinement Expenses, Funeral Expenses, Vocational Rehabilitation, Physical Rehabilitation, Unemployment Allowances (RGSKY), Skill Upgradation Training under RGSKY and medical facilities to retired IP and his spouse.

चिकित्सा देखभाल इस स्कीम के तहत बीमा प्राप्त व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को प्राईमरी हेल्थ केयर से बेहतर स्वास्थ्य उपचार तक पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ दी जाती है।

Medical Care The Scheme provides reasonable medical facilities from primary health care to super speciality treatment in respect of the insured persons and their family members.

- 2.3 कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- 2.3 Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952

10 Current Labour Activities

कर्मचारी अविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 कारखानों तथा अन्य संस्थानों में कार्यरत्त कर्मचारियों के लिए अविष्य निधि पेंशन फण्ड तथा लिंक्ड इंश्योरेन्स बीमा फण्ड प्रारम्भ करने के उद्देश्य से अधिनियमित कल्याण कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य औद्योगिक कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को जब वे विपत्ति में होते हैं तथा/या परिवार तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के अयोग्य होते हैं तथा बुढ़ापे में उन्हें सुरक्षा देने हेतु विकलांगता, कमाने वाले की अकाल मृत्यु की स्थिति में तथा कुछ अन्य आकस्मिक घटनाओं के समय सामाजिक सुरक्षा तथा समय पर वित्तीय सहयोग देना है। इस समय अधिनियम के तहत कर्मचारी अविष्य निधि संगठन के माध्यम से निम्नलिखित 3 योजनाएं लागू है: कर्मचारी अविष्य निधि योजना, 1955।

The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is a welfare legislation enacted for the purpose of instituting provident funds, pension fund and deposit linked insurance fund for employees working in factories and other establishments. The Act aims at providing social security and timely monetary assistance to industrial employees and their families when they are in distress and/or unable to meet family and social obligations and to protect them in old age, disablement, early death of the bread winner and in some other contingencies. Presently, the following three Schemes are in operation under the Act through the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO): Employees' Provident Funds Scheme, 1952, Employees: Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, Employees' Pension Scheme, 1995.

स्थापनाओं की कवरेज तथा सदस्य यह अधिनियम वर्तमान में अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट अथवा किसी गतिविधि हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में यथाअधिसूचित तथा 20 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले 197 विनिर्दिष्ट उद्योगों/स्थापनाओं के वर्गों पर लागू होता है। अनिवार्य

10 Current Labour Activities

कवरेज के प्रावधान के अलावा इस अधिनियम की धारा 1(4) के अन्तर्गत स्वैच्छिक कवरेज का भी प्रावधान है।

Coverage of establishments and members Presently, the Act is applicable to 197 specified industries/classes of establishments as is specified in Schedule I of the Act or any activity notified by the Central Government in the Official Gazette and employing twenty or more persons. Apart from the provision for compulsory coverage, provision also exists under section 1(4) of the Act for voluntary coverage.

सदस्यों को प्राप्त सेवा कर्मचारी अविष्य निधि स्कीम का सदस्य नौकरी छोड़ने पर उसके खाते में जमा राशि को ब्याज सहित प्राप्त करने का हकदार होता है। स्कीम के अन्तर्गत अविष्य निधि खाते से कुछ आकस्मिक जरूरतों जैसे कि बीमारी, अशक्तता आदि को पूरा करने के लिए तथा इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की सामाजिक दायित्वों जैसे कि स्वयं की शादी, बच्चों की शादी अथवा बच्चों की उच्च शिक्षा और मकान निर्माण आदि को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु भी आंशिक निकासी की जा सकती है।

Service to Members A member of the Employees Provident Fund Scheme is entitled to withdraw the amount lying in his account together with interest on quitting service. The scheme also provides for partial withdrawals from the Provident Fund Account to meet contingencies like illness, invalidation and also to provide financial assistance to discharge their social responsibilities like marriage of self, children or higher education of children and construction of dwelling house.

कर्मचारी डिपोजिट-लिंक्ड बीमा स्कीम, 1976 (ईडीएलआई): यह स्कीम 1 अगस्त, 1976 से सभी कारखानों/स्थापनाओं पर लागू है। वे सभी कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य हैं, उनको इस स्कीम का सदस्य बनना वाखंनीय है। कर्मचारियों को अपने वेतन का 0.5 प्रतिशत हिस्सा अर्थात मूल मजदूरी, महंगाई

10 Current Labour Activities

भत्ता जिसमें खाद्य छूट तथा प्रतिधारित भत्ता यदि कोई है, बीमा निधि में अंशदान के रूप में जमा करना वांछनीय होता है। इस स्कीम के पैरा 22 के अधीन लाभ के तहत एक कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में यह 20% तक बढ़ जाता है जो इसमें दिए गए लाभों से अतिरिक्त होता है।

Employees deposit linked insurance scheme, 1976: Employees deposit-linked insurance scheme, 1976 (EDLI) is applicable to all factories / establishments with effect from 1st August, 1976. All the employees, who are members of the employees' provident fund scheme, are required to become members of this scheme. Employers are required to pay contributions to the insurance fund at the rate of 0.5 per cent of pay i.e., basic wages, dearness allowance including cash value of food concession and retaining allowance, if any. The benefit under para 22 of this scheme on the death of an employee has been further increased by 20% in addition to the benefits already provided therein.

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995: 16.11.1995 से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 लागू कर दी गई है।

Employees' pension scheme, 1995 The Employees' Pension Scheme, 1995 has been introduced w.e.f. 16-11-1995.

स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ: कर्मचारी पेशन योजना, 1995 के अन्तर्गत सदस्यों तथा उनके परिवारों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। मासिक सदस्य पेशन, अपंगता पेशन, विधवा/विधुर पेशन, बालक पेशन, अनाथ पेशन, विकलांग बालक/अनाथ पेशन, मनोनीत पेशन, आश्रित अभिभावकों को पेशन, निकासी लाभ।

Benefits under the scheme The Employees' Pension Scheme, 1995 provides the following benefits to the members and their families: Monthly member pension; Disablement pension; Widow/ widower pension; Children pension; Orphan pension; Disabled Children/Orphan Pension; Nominee pension; Pension to dependent

10 Current Labour Activities

parents; Withdrawal benefit.

पंशन निधि में योगदान इसका वित्तीय प्रबंध नियोक्ता के हिस्से से भविष्य निधि अंशदान के 8.33 प्रतिशत की दर पर नियोक्ता से योगदान लेकर किया जाता है तथा केन्द्रीय सरकार भी कर्मचारियों की मज़दूरी का 1.16 प्रतिशत योगदान देती है

Contribution to Pension Fund The Scheme is financed by transferring 8.33% of the Provident Fund contributions from employers' share and by contribution @ 1.16% of basic wages of employees by the Central Government.

2.4 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

2.4 The Maternity Benefit Act, 1961

प्रस्ति प्रस्विधा लाभ 1961 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत शामिल महिलाओं को छोड़कर 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों, खननों, सर्कस उद्योग, बागान इकाइयों तथा द्कानों या संस्थानों में महिलाओं के रोजगार को जन्म से पहले तथा बाद में निश्चित अविध के लिए नियंत्रित करता है तथा प्रसूति और अन्य प्रसुविधाओं का प्रावधान करता है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। यह अधिनियम महिला श्रमिकों को गर्भावस्था की अवधि के दौरान रोजगार से बाहर होने के कारण निश्चित शर्तें पूरा करने पर प्रसूति अवकाश तथा कई मौद्रिक लाभों के भगतान की व्यवस्था भी करता है । अशिष्ट कदाचार को छोड़कर गर्भावस्था के कारण महिला श्रमिक की अन्पस्थिति के दौरान उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकती। प्रसूति प्रसुविधा(संशोधित) अधिनियम, 2017 की धारा 5 में संशोधन के अनुसार महिला दो जीवित बालकों तक के लिए अधिकांशतः 26 सप्ताहों के लिए प्रसूति प्रस्विधा ले सकती है। गोद लेने वाली/कमिशनिंग महिलाओं के लिए तथा दो जीवित बच्चों से आधिक के लिए, 12 सप्ताह का प्रदत्त प्रसृति अवकाश भी उपलब्ध है। 19.12.2011 से इस अधिनियम के तहत 3500 रू का चिकित्सा बोनस दिया जा रहा है। प्रसूति प्रसुविधा(संशोधित) अधिनियम, 2017 द्वारा नई धारा-11ए के समावेश के पश्चात क्रेश स्विधा भी उपलब्ध करवाई गई है जिसके अन्सार प्रत्येक संस्थान जिसके 50 या उससे अधिक

10 Current Labour Activities

कर्मचारी हैं, में निर्धारित दूरी पर अलग से या उसके साथ ही सामान्य सुविधाओं के साथ क्रेश की सुविधा होगी।

The Maternity Benefit Act,1961 regulates the employment of women in factories, mines, the circus industry, plantation units and shops or establishments employing 10 or more persons except the employees covered under the Employees State Insurance (ESI) Act, 1948 for certain period before and after birth and provides for maternity and other benefits. It extends to the whole of India. It also provides for maternity leave and payment of certain monetary benefits to women workers subject to fulfillment of certain conditions during the period when they are out of employment on account of pregnancy. The services of a woman worker cannot be terminated during the period of her absence on account of pregnancy except for gross misconduct. As per amendment of Section 5 of the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017, maximum period for which a woman can get paid maternity benefit is twenty-six weeks upto two surviving children. For adopting / commissioning mothers and for more than two surviving children, 12 weeks of paid maternity leave is also available. A medical bonus of Rs.3,500/- is being provided from 19.12.2011 under the Act. The crèche facility has also been provided by the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 after insertion of new Section-11A, according to which every establishment having fifty or more employees shall have the facility of crèche within such distance, as may be prescribed, either separately or along with common facilities.

2.5 उपदान भ्गतान अधिनियम, 1972

2.5 The Payment of Gratuity Act, 1972

उद्देश्य उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, बन्दरगाहों, रेलवे कम्पनियों, मोटर परिवहन उपक्रमों एवं दुकानों या अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कर्मचारी की कम से कम पाँच वर्ष की निरंतर सेवा पर सेवानिवृत्ति अथवा उसकी सेवामुक्ति अथवा त्यागपत्र अथवा दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण उसकी मृत्यु अथवा निशक्त होने पर उसका नियोजन समाप्त किए जाने पर

10 Current Labour Activities

उपदान के आवश्यक भुगतान की योजना की व्यवस्था करता है। बशर्ते कि पाँच वर्ष की नियमित सेवा का पूर्ण होना वहाँ वांछनीय नहीं होगा जहाँ किन्हीं कर्मचारियों का नियोजन मृत्यु अथवा निशक्तता के कारण समाप्त हो जाता है। उपदान के भुगतान का दायित्व इस अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत नियोक्ता का होगा।

Objective: The Payment of Gratuity Act, 1972 provides for a scheme of compulsory payment of gratuity to employees engaged in factories, mines, oil-fields, plantations, ports, railway companies, motor transport undertakings, shops or other establishments on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than five years on his superannuation, or on his retirement or resignation, or on his death or disablement due to accident or disease. Provided that the completion of continuous service of five years shall not be necessary where the termination of the employment of any employees is due to death or disablement. Payment of Gratuity is an employer's liability under the extant provisions of the PG Act.

कवरेज: प्रत्येक कारखाना, खनन, ऑयल फील्ड, बागान, बंदरगाह तथा रेलवे कंपनी ; प्रत्येक दुकान अथवा स्थापना जो एक राज्य में दुकान अथवा स्थापना से संबंधित कुछ समय के लिए लागू किसी कानून की परिभाषा के अधीन आती हो तथा जहाँ 10 अथवा 10 से अधिक व्यक्ति पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान नियोजित थे अथवा हैं; इस प्रकार की कोई अन्य स्थापना अथवा स्थापना की श्रेणी जहाँ 10 अथवा दस से अधिक व्यक्ति पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान नियोजित थे अथवा हैं जैसा कि केन्द्रीय सरकार इसकी ओर से अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें; कोई भी दुकान अथवा स्थापना एक बार कवर होने के उपरांत, ऐसा होते हुए भी कि उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या दस से कम हो जाए, तो भी कवर ही माना जाएगा।

Coverage: Every factory, mine, oil-field, plantation, port and railway company; Every shop or establishment within the meaning of any law for the time being in force in relation to shops and establishments in a State, in which ten or more persons are employed or were employed on any day of the preceding twelve months, Such other establishments or class of

10 Current Labour Activities

establishments in which ten or more employees are employed or were employed on any day of the preceding twelve months as the Central government may, by notification, specify in this behalf. A shop or establishment once covered shall continue to be covered notwithstanding that the number of persons employed therein at any time falls below ten. पात्रता: प्रशिक्षु को छोड़कर प्रत्येक कर्मचारी, चाहे उसकी मजदूरी कुछ भी हो, पाँच वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक नियमित सेवा करने के उपरांत उपदान हेतु पात्र होगा। उपदान का भुगतान उसकी सेवा पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति पर सेवामुक्ति अथवा त्यागपत्र दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण निशक्तता अथवा मृत्यु, होना है। सेवा समाप्त होने में छंदनी भी शामिल है। तथापि, पाँच वर्षों की निरंतर सेवा की शर्त वहाँ पर लागू नहीं होती जहाँ सेवाएँ निशक्तता अथवा मृत्यु के कारण समाप्त हो जाती हैं। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपदान का भुगतान उसके मनोनीत सदस्य को किया जाता है, और अगर इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है तो उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाता है।

Entitlement Every employee, other than apprentice irrespective of his wages is entitled to receive gratuity after he has rendered continuous service for five years or more. Gratuity is payable at the time of termination of his service either (i) on superannuation or (ii) on retirement or resignation or (iii) on death or disablement due to accident or disease. Termination of services includes retrenchment. However, the condition of five years' continuous service is not necessary if services are terminated due to death or disablement. In case of death of the employee, the gratuity payable to him is to be paid to his nominee, and if no nomination has been made, then to his heirs.

संचालन इस अधिनियम को केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों के द्वारा लागू किया जाता है। धारा 3 उपयुक्त सरकार को प्राधिकृत करती है कि वो किसी अधिकारी को इस अधिनियम के संचालन हेतु नियत्रंण अधिकारी के रूप में नियुक्त करे। खनन, बड़ें बंदरगाहों, ऑयल फील्ड, रेलवे कंपनियों तथा स्थापनाएँ जिनका स्वामित्व अथवा नियत्रंण केन्द्र सरकार का है और स्थापना जिनकी शाखा एक से अधिक राज्यों में है,

10 Current Labour Activities

का नियत्रंण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। शेष कारखानों और/तथा स्थापनाओं का नियत्रंण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय/राज्य सरकारें विभिन्न क्षेत्रों के लिए, यह सुनिश्चित करने हेतु कि अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना हो, नियत्रंण प्राधिकारियों तथा निरीक्षकों की नियुक्ति करती हैं। केन्द्र/राज्य सरकारें इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियम भी बनाती है।

Administration The Act is enforced both by the Central and State Governments. Section 3 authorizes the appropriate government to appoint any officer as a controlling authority for the administration of the Act. Mines, major ports, oilfields, railway companies and establishment owned or controlled by the Central Government and establishment having branches in more than one State are controlled by the Central Government. The remaining factories and/establishments are looked after by the State Governments. The Central/State Governments appoint the Controlling Authorities and Inspectors for different areas, to ensure that the provisions of the Act are complied with. The Central/State Governments also frame rules for administration of the Act.

3 वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान

3 V.V. Giri National Labour Institute

जुलाई, 1974 में स्थापित वी.वी.िगरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय श्रम के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा शिक्षा का शीर्ष संस्थान है। 2017 (अप्रैल से अक्तूबर, 2017) के दौरान संस्थान द्वारा 77 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 09 कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय(आईटीईसी/एससीएएपी, भूटान, अफगानिस्तान) स्तर के थे तथा इन सभी कार्यक्रमों में विभिन्न देशों से अन्तरराष्ट्रीय सहभागियों सहित 2431 सहभागियों दवारा हिस्सा लिया गया।

V.V. Giri National Labour Institute (VVGNLI), an autonomous body of the Ministry of Labour and Employment, Government of India set up in July, 1974, is a premier institute of Research, Training and Education in the area of Labour. During the year from April 2017 -

10 Current Labour Activities

October 2017, the Institute has conducted 77 training programmes including 09 International programmes (ITEC/SCAAP, Bhutan, Afghanistan) and 2431 participants including international participants from different countries have also attended these programmes.

वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान को विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा आईटीईसी-एससीएएपी के तहत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु स्चीबद्ध किया गया है। अप्रैल से अक्तूबर 2017 की अविध के दौरान संस्थान ने विभिन्न विषयों जैसे कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, श्रम तथा नेतृत्व विकास के क्षेत्र में 02 अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा अनुरोध पर श्रम प्रशासन, रोजगार सेवा तथा भूटान राजकीय सरकार के अधिकारियों के लिए कैरियर कांउसलिंग पर एक विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा 'कमजोर राज्यों में महिला सशक्तिकरण की ओर लिंग तथा श्रम'; 'युवा रोजगार:योजना से कार्रवाई तक'; 'उद्यम विकास'; 'प्रवासन तथा रोजगार', 'कौशल तथा रोजगार योग्यता', 'महिला सशक्तिकरण की ओर लिंग तथा श्रम'; 'कार्यान्वयन हेतु डिज़इन: 'रोजगार योजना संस्थान' जैसे विभिन्न विषयों पर आई एल ओ प्रशिक्षण केन्द्र, तुरिन के सहयोग से 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का आयोजन अफगानिस्तान सरकार के अधिकारियों के लिए किया गया। 53 देशों से कुल 241 विदेशी अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

अप्रैल से अक्तूबर, 2017 तक संस्थान द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 9 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों को राज्य सरकार के अधिकारियों, केन्द्रीय श्रम संगठन के नेताओं तथा गैर सरकारी संगठनों के लिए आयोजित किया गया।इन कार्यक्रमों में 298 सहभागियों दवारा भाग लिया गया।

The Institute has been empanelled by Ministry of External Affairs, Government of India for conducting various international training programmes under ITEC/SCAAP. During the period April 2017-October, 2017, the Institute organized 02 International training programmes under ITEC/SCAAP on subjects like Skill Development and

10 Current Labour Activities

Employment Generation and Enhancing Leadership Skills. In addition to this, on the request, the institute conducted one specialized training programme on Labour Administration, Employment Services and Career Counseling for Officials of Royal Government of Bhutan. Besides this, the institute conducted 06 training programmes in collaboration with ILO International Training Centre, Turin on various subject such as 'Gender and Labour towards Empowering Women in Fragile States'; 'Youth Employment: From Policy to Action'; 'Entrepreneurship Development'; 'Migration and Employment', 'Skills and Employment Ability', 'Gender and Labour Towards Empowering Women'; 'Design to Implementation: Institutions for Employment Policies'. These programmes were conducted for officials of Government of Afghanistan. In all 241 foreign officials from 53 countries participated.

During April, to October, 2017, the Institute organized 09 training programmes for North-East Region. These programmes were designed for State Government Officials, Central Trade Union Leaders and NGOs. 298 participants participated in these programmes.

4 श्रम अन्संधान तथा सांख्यिकी

4 Labour Research and Statistics

अखिल भारतीय स्तर पर श्रम विषयों पर तथ्य तथा आंकड़ों के संग्रहण, समाकलन तथा प्रकाशन से संबंधित मुख्य कार्य श्रम ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। रोजगार, मजदूरी, उपार्जन, औद्योगिक विवाद, अनुपस्थिति, श्रम आवर्त्त तथा कार्यकारी स्थितियों पर आंकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण तथा प्रकाशन के अतिरिक्त श्रम ब्यूरो श्रम के विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण तथा स्थितियों पर आंकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण तथा प्रकाशन के अतिरिक्त श्रम ब्यूरो श्रम के विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण तथा प्रकाशन के अतिरिक्त श्रम ब्यूरो श्रम के विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण तथा अनुसंधान अध्ययन भी आयोजित करता है। ब्यूरो के नियमित प्रकाशनों में मासिक प्रकाशन जैसे इण्डियन लेबर स्टैटिसटिक्स तथा पॉकेट बुक ऑफ लेबर स्टैटिसटिक्स सम्मिलित हैं। ब्यूरो महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट भी

10 Current Labour Activities

निकालता है। श्रम ब्यूरो के कुछ महत्वपूर्ण जारी परियोजनाओं की निम्नवत चर्चा की गई है:

A major part of work relating to collection, collation and publication of facts and figures on labour matters on All India basis is being carried out by the Labour Bureau. Besides collecting, analyzing and publishing data on employment, wages, earnings, industrial disputes, absenteeism, labour turnover and working conditions, the Labour Bureau also conducts surveys and research studies on various aspects of labour. The regular publications of Bureau include the monthly publication 'Indian Labour Journal' and annual publications 'Indian Labour Year Book', 'Indian Labour Statistics' and 'Pocket Book of Labour Statistics'. The Bureau also brings out annual reports on the working of important Labour Laws. Some of the major continuing projects of the Labour Bureau are discussed below:

4.1 औद्योगिक श्रमिकों तथा खेतिहर श्रमिकों/ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मृल्य सूचकांक

4.1 Consumer Price Index Numbers for IW and AL/RL

औद्योगिक श्रीमकों (चुनिन्दा 78 केन्द्रों तथा अखिल भारत) के लिए आधार 2001=100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी, 2006 से प्रतिमाह संकलित तथा प्रकाशित किए जाते हैं। ब्यूरो 20 राज्यों तथा अखिल भारत के लिए खेतिहर तथा ग्रामीण श्रीमकों के लिए अलग-अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की आधार 1986-87=100 पर दो श्रंखलाएं भी निकाल रहा है। श्रम ब्यूरों की जारी कुछ मुख्य परियोजनाओं पर की गई चर्चा निम्नानुसार है

अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों के अनुसार एफआईईएस को आयोजित करने का अन्तराल 10 वर्षों से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये सर्वेक्षण मूल्य एवं निर्वाह लागत आंकड़ों पर तकनीकी सलाहकार समिति के मार्गदर्शन के तहत आयोजित किए जाते हैं। तदनुसार श्रम ब्यूरों ने अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों का कड़ाई से पालन करते हुए वर्तमान श्रंखला को संभावित आधार

10 Current Labour Activities

2016=100 के साथ अद्यतन करने हेतु कार्य शुरू कर दिया है। जुलाई, 2017 से जून, 2018 तक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित किए जाने वाले उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर खेतिहर/ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृंखला को भी नए आधार 2019 के साथ अद्यतन किया जा रहा है।

Consumer Price Index (CPI) Numbers for Industrial Workers (78 selected centres and All India) on base 2001=100 are being compiled from January, 2006 onwards and published every month. The Bureau is also bringing out two series of CPI Numbers on base 1986-87=100 separately for Agricultural and Rural Labourers for 20 States and All-India

As per the recommendation of the ILO, the Family Income & Expenditure Survey should be conducted at intervals not more than 10 years. These surveys are conducted under the guidance of the TAC on Statistics of Price and Cost of Living Accordingly. Labour Bureau, adhering to the recommendation of ILO, has undertaken the work to update the existing series of CPI-IW to base 2016=100. The CPI-AL/RL series is also being updated with new base 2019 on the basis of results of the Consumer Expenditure Survey conducted by NSSO during July, 2017 to June, 2018.

4.2 31 आवश्यक वस्तुओं के लिए खुदरा मूल्य सूचकांक

4.2 Retail Price Indices for 31 Essential Commodities

शहरी क्षेत्रों में 31 चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के संबंध में खुदरा मूल्य स्चकांकों का प्रतिमाह संकलन किया जाता है तथा इन चुनिन्दा वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर की जाँच करने तथा समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को भेजे जाते हैं। ये सूचकांक श्रंखला के तहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा एकत्रित मूल्य आंकड़ों से निर्धारित भारों से प्राप्त किए गए भारण आरेखों के आधार पर संकलित किए जाते हैं। नई शृंखला के आधार पर 31 चुनिन्दा मदों के संबंध में आधार

10 Current Labour Activities

2001=100 के साथ खुदरा मूल्य सूचकांक भी जनवरी, 2006 सूचकांक से प्रतिमाह संकलित किया जा रहा है। अक्तूबर, 2017 तक के सूचकांकों को संकलित कर लिया गया है तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नई दिल्ली को भैज दिए गए है।

Retail Price Indices in respect of 31 selected essential commodities in urban areas are also compiled every month and supplied to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution every month with the objective to monitor the movement in prices of these selected commodities and to take timely remedial action. These indices are compiled on the basis of Weighting Diagrams derived from the Weights determined under Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers and Price data collected under these series. Retail Price Indices in respect of 31 selected items on the basis of New Series on base 2001=100 are also being compiled every month with effect from January, 2006 index. The indices up to October, 2017 have been compiled and supplied to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, New Delhi

4.3 व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण

4.3 Occupational Wage Survey

व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य मजदूरी तथा उपार्जन में अन्तः उद्योग, अन्तरा उद्योग तथा अन्तःक्षेत्रीय विभिन्नताओं से संबंधित अध्ययनों के लिए तथा मजदूरी दर सूचकांक श्रंखला के आधार के अद्यतन हेतु डेटाबेस उपलब्ध करवाना है। सभी 56 उद्योगों को शामिल करते हुए व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के सांतवें दौर के सर्वेक्षण हेतु प्रस्ताव को मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2016 में मंजूरी दी जा चुकी है। फील्ड सर्वेक्षण जुलाई, 2016 में आरंभ किया गया था तथा दिसंबर, 2017 तक सभी 56 उदयोगों में पुरा कर लिया गया है।

The Occupational Wage Surveys, inter-alia, aim to provide data base for studies relating to inter-industry, intra-industry and inter-regional differences in wages and earnings and for updation of the base of Wage Rate Index series. Proposal for conducting the 7th round of Occupational

10 Current Labour Activities

Wage Survey by covering all the 56 industries was approved by the Ministry during February, 2016. The field survey was launched in July, 2016 and has been completed in all the 56 industries in December, 2017.

4.4 ग्रामीण श्रमिक अन्वेषण:

4.4 Rural Labour Enquiry:

ग्रामीण श्रम अन्वेषण ग्रामीण श्रमिकां की निर्वाह तथा कार्य दशाओं को सुधारने के उद्देश्य से नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण में अत्यधिक उपयोगी है । इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आंकड़ों का संग्रहण पंचवर्षीय आधार पर आयोजित इसके रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षणों के भाग के रूप में किया जाता है । सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्टों की तैयारी तथा प्रकाशन का उत्तरदायित्व श्रम ब्यूरों को सौंपा गया है । यह संगठन ग्रामीण श्रम परिवारों के विभिन्न पहलुओं अर्थात् ऋणग्रस्तता, उपभोग व्यय, मजद्री, उपार्जन, रोजगार एवं बेरोजगारी तथा ग्रामीण श्रम परिवारों की मुख्य विशेषताओं पर रिपोर्टे निकालता है। 66वें (2009-10) दौर के ऑकड़ों के आधार पर उल्लिखित सभी 5 ग्रामीण श्रम अन्वेषण रिपोर्टों को जारी कर दिया गया है।

Rural Labour enquiries are of great assistance in designing the policies and programmes with the objective of ameliorating the living and working conditions of rural labour. The data for the purpose is collected by the NSSO as a part of its general Employment & Unemployment Surveys conducted on quinquennial basis. The responsibility of preparation and publication of reports on the findings of the survey is entrusted to Labour Bureau. The Organization brings out five reports on different aspects of Rural Labour Households viz., Indebtedness, Consumption Expenditure, Wages & Earnings, Employment & Unemployment and General Characteristics of Rural Labour Households. All the five above-mentioned RLE Reports based on 66th round of NSS (2009-10) have been released.

4.5 उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के तहत श्रम आंकड़ों का संग्रहण

4.5 Collection of Labour Statistics under Annual Survey of Industries

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां 10 Current Labour Activities

(ASI):

(i) अनुपस्थित (ii) श्रम आवर्त (iii) प्रति समय इकाई घटकों द्वारा औसत उपार्जन (iv) श्रम लागत तथा (v) नियोजन से संबंधित श्रम आंकड़े विनिर्माण उद्योगों में प्रतिदर्श के साथ गणना आधार पर आयोजित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित किए जा रहे हैं। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (गणना तथा प्रतिदर्श) के तहत रोजगार तथा श्रम लागत पर आंकड़े भाग ।। (2013-14) तथा "अनुपस्थिति, श्रम आवर्त्त, रोजगार तथा श्रम लागत" खंड-॥ (2013-14) पर रिपोर्ट प्रकाशित करने की तैयारी की जा रही है।

Labour Statistics relating to (i) Absenteeism (ii) Labour Turnover (iii) Average earnings by components per unit of time (iv) Labour Cost and (v) Employment are being collected through the Annual Survey of Industries conducted on sample as well as on census basis in manufacturing industries. Under ASI (Census and Sample), the preparation of Reports on "Statistics on Employment and Labour Cost" Vol. I (2013-14) and "Absenteeism, Labour Turnover, Employment and Labour Cost" Vol. II (2013-14) remained in progress.

4.5 श्रम के विभिन्न समूहों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण:

इस स्कीम के तहत निम्न प्रकार के सर्वेक्षण आयोजित किए जा रहे हैं:

4.5 Socio -economic surveys of different segments of labour Under this scheme following surveys are being conducted:-

उद्योगों/नियोजनों के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों का सर्वेक्षण: इस सर्वेक्षण का उद्देश्य उद्योगों/नियोजनों के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की स्थितियों में सुधार हेतु उनकी कार्यकारी तथा निर्वाह स्थितियों पर आंकड़े एकत्रित करना है। अब तक 31 सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं तथा सभी पर रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। 2017 में अंतिम सर्वेक्षण असंगठित क्षेत्र के तैयार वस्त्र उद्योग में आयोजित किया गया है तथा रिपोर्ट मंत्रालय को अनुमोदनार्थ भेज दी गई है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन पर मूल्यांकन अध्ययन: इस

10 Current Labour Activities

सर्वेक्षण का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में विभिन्न सूचीबद्ध नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के क्रियान्वयन की सीमा का मूल्यांकन करना है । अब तक ऐसे 28 अध्ययन आयोजित किए गए है तथा सभी रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी हैं । अंतिम सर्वेक्षण वर्ष 2014-15 में बीझी उद्योग में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के घटकों के मूल्यांकन के अन्तर्गत किया गया था। सर्वेक्षण का आयोजन मध्य प्रदेश में दिसम्बर, 2014 के दौरान किया गया था। इसकी रिपोर्ट अगस्त, 2015 में जारी कर दी गई है।

अनुस्चित जाति तथा अनुस्चित जनजाति से संबंधित श्रीमकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों पर सर्वेक्षणः श्रम ब्यूरों ने अनुस्चित जाति श्रीमकों तथा अनुस्चित जनजाति श्रीमकों दोनों के लिए 9 सर्वेक्षण आयोजित किए हैं । अंतिम सर्वेक्षण सितम्बर, 2009 माह में उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगिर तथा कोरापूत जिलों के अनुस्चित जनजाति क्षेत्र में आयोजित किया गया। इसकी रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है। 4 अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत अनुस्चित जाति कामगारों के लिए नवीनतम सर्वेक्षण से संबंधित आरंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

उद्योगों में महिला श्रीमकों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर सर्वेक्षण: इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य महिला श्रीमकों पर आंकड़ों का एकत्रण संगत श्रम कानूनों की तुलना में उन्हें उपलब्ध कार्यकारी, निर्वाह स्थितियों तथा कल्याण सुविधाओं का अध्ययन करने की दृष्टि से करना है। अब तक ऐसे 22 सर्वेक्षण आयोजित किए जा चुके हैं तथा उन पर सभी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हैं। अंतिम सर्वेक्षण 2014 के दौरान दीयासलाई उदयोग में आयोजित किया गया था तथा रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई थी।

Survey of Working & Living Conditions of Workers in Unorganised Sector of Industries/Employments: The aim of the survey is to collect data on working and living conditions of workers engaged in the Unorganised Sector of Industries/employment for amelioration of their lot. So far, 31 surveys have been conducted and all the reports have been released. Latest survey in unorganised sector has been conducted in 2017 in the Readymade Garments Industry and the report has been submitted to the Ministry for approval.

10 Current Labour Activities

Evaluation Studies on Implementation of the Minimum Wages Act, 1948: The surveys aim at evaluating the extent to which the Minimum Wages Act, 1948 has been implemented in various scheduled employments in different parts of the country. So far, 28 such studies have been conducted and all the reports released.

The last Survey was conducted in Beedi Industry during the year 2014-15 under the component of Evaluation of the Minimum Wages Act, 1948. The survey was launched in the month of December, 2014 in Madhya Pradesh. The report has been released in the month of August, 2015.

Survey on the Working and Living Conditions of Labour belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes: Labour Bureau has conducted 9 surveys each for Scheduled Castes workers and Scheduled Tribes workers. The last ST survey was conducted in Scheduled Tribes Belt of Kalahandi, Bolangir & Koraput districts of Orissa in the month of September, 2009. The report of the same was released. The preliminary work relating to the latest survey for Scheduled Castes Workers engaged in four unclean occupations has been initiated.

Survey on the Socio-Economic Conditions of Women Workers in Industry: These surveys aim at collecting data on women workers with a view to study their working and living conditions and welfare facilities available to them vis-a-vis the relevant Labour Laws. So far 22 surveys have been conducted under the segment and all the reports thereon have been released. The last survey was conducted in Match Industry during 2014 and report was released.

4.6 तिमाही रोज़गार सर्वेक्षण (नई शृंखला)

4.6 Quarterly employment survey (New Series)

श्रम ब्यूरो द्वारा लघु अन्तराल पर रोज़गार के आंकड़े एकत्रित करने के संदर्भ में आंकड़ा अन्तराल को समाप्त करने संबंधी समस्या के समाधान हेतु विस्तृत कार्य क्षेत्र तथा कवरेज़ के साथ वर्ष 2016 में तिमाही रोज़गार सर्वेक्षण (नई शृंखला) आरंभ किया गया। तिमाही रोज़गार सर्वेक्षण (नई शृंखला) का मुख्य उद्देश्य 10 या उससे अधिक कामगारों वाले 8 महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन,

10 Current Labour Activities

शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तरां तथा आईटी/बीपीओ को शामिल करते हुए गैर-खेतिहर अर्थ-ट्यवस्था के बड़े भाग के लिए रोज़गार आकलन उपलब्ध करवाना है तथा अनुवर्ती तिमाहियों में रोज़गार स्थित में सापेक्ष बदलावों का पता लगाना है। तिमाही रोज़गार सर्वेक्षण (नई शृंखला) के चार दौरों से संबंधित रिपोर्टों को प्रकाशित कर दिया गया है। तिमाही रोज़गार सर्वेक्षण (नई शृंखला) के 5वं तथा 6वं दौरों की रिपोर्टें अनुमोदन हेतु मंत्रालय को प्रस्तुत की गई हैं। तिमाही रोज़गार सर्वेक्षण (नई शृंखला) के 7वं दौर हेतु आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ा संवीक्षा तथा आंकड़ा प्रविष्टि को पूरा कर लिया गया है तथा आंकड़ा संसाधन कार्य प्रगति पर हैं।

Labour Bureau initiated QES (New series) in 2016 with extended scope and coverage with an aim to address the issue of bridging the data gap with reference to producing statistics on employment at short interval. The main objective of Quarterly Employment Survey (QES) new series is to provide employment estimates for a sizeable segment of Nonfarm economy covering 8 important sectors viz. Manufacturing, Construction, Trade, Transport, Education, Health, Accommodation & Restaurants and IT/BPO having 10 or more workers and measure relative change in employment situation over successive quarters. Till date, reports pertaining to four rounds of QES (New Series) have been submitted to the Ministry for approval. The work relating to data collection, data scrutiny and data entry for 7th round of QES (New Series) has been completed and data processing work is in progress.

4.7 वार्षिक रोज़गार-बेरोजगारी सर्वेक्षण

4.7 Annual employment-unemployment survey

देश में रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण परिदृश्य के निर्धारण हेतु आंकड़ा अन्तराल को समाप्त करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण आयोजित करने का कार्य श्रम ब्यूरो को सौंपा गया है। श्रम ब्यूरो द्वारा अब तक वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 के लिए पांच वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं तथा सभी पांच सर्वेक्षणों की रिपोटीं

10 Current Labour Activities

को प्रकाशित कर दिया गया है। छठे वार्षिक रोज़गार-बेरोजगारी सर्वेक्षण के फील्ड कार्य तथा संवीक्षा कार्य को पूरा कर लिया गया है तथा आंकड़ा प्रमाणीकरण कार्य प्रगति पर है। कार्यबल के दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्षिक रोज़गार-बेरोजगारी सर्वेक्षण का स्थान सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण द्वारा ले लिया गया है।

In order to fill the data gap for ascertaining the Employment-Unemployment Scenario in the country, Labour Bureau has been entrusted by the Ministry the task of conducting Annual Employment-Unemployment (EUS) Surveys. Till now, five annual employment-unemployment surveys have been conducted by Labour Bureau for the years 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 & 2015-16 and reports of all five surveys have been released. The field work and scrutiny work of Sixth Annual Employment Unemployment Survey has been completed and data validation work remained in progress. Further, as per guidelines of Task Force, the Annual Employment Unemployment Survey has been replaced by Periodic Labour Force Survey (PLFS) being conducted by Ministry of Statistics & Programme Implementation (MOSPI).

4.8 प्रधान मंत्री मुद्रा योजना पर सर्वेक्षण

4.8 SURVEY ON PRIME MINISTER MUDRA YOJNA (PMMY)

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से सृजित रोज़गार की सीमा पर आंकलन उपलब्ध न होने के कारण श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा श्रम ब्यूरो को प्राथमिक आधार पर प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए। मंत्रालय द्वारा 29 दिसम्बर, 2017 के आदेश द्वारा श्रम एवं रोज़गार विरष्ठ सलाहकार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय की अध्यक्षता में मुद्रा, नीति आयोग तथा श्रम ब्यूरो से सदस्यों सहित विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। मंत्रालय के पूर्वोक्त निर्देश की अनुपालना करते हुए श्रम ब्यूरो द्वारा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत सृजित रोज़गार के आंकलन हेतु सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए प्रारम्भिक कार्य आरम्भ किया गया।

Ministry of Labour & Employment directed Labour Bureau to

10 Current Labour Activities

conduct a survey under the Prime Minister Mudra Yojna (PMMY) on priority basis as there is no estimate available on the extent of employment generated through PMMY. The Ministry constituted an Expert Group under the Chairmanship of Senior Labour and Employment Advisor, MOL&E and Members from MUDRA, NITI Aayog, and Labour Bureau vide its order dated 29th December, 2017. In compliance of aforesaid Ministry's direction, Labour Bureau initiated the preliminaries to launch the survey to estimate the employment created under the Pradhan Mantri Mudra Yojna (PMMY).

5 श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण

5 Taining in Labour Statistics:

ब्यूरो द्वारा सांख्यिकीय सूचना के प्रवाह में गुणवता तथा समयबद्धता में सुधार के उद्देश्य से श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2017 के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए: i) श्रम ब्यूरो, शिमला में 06.09.2017 से 08.09.2017 तक श्रम सांख्यिकी में 55वां केन्द्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/केन्द्रीय विभागों से 23 प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। ii) आयुध निर्माणी, मेडक के 25 कर्मचारियों के लिए 17.08.2017 को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। iii) आयुध निर्माणी, मेडक के कर्मचारियों के लिए 02.11.2017 एवं 11.11.2017 को दो प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तथा महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, मुम्बई के कर्मचारियों के लिए 17.11.2017 को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। iv) अन्तरराष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षण केन्द्र, कोलकाता से 25 सहभागियों के लिए 21.12.2017 को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

The Bureau imparts training in Labour Statistics with the objective of improving the quality and timeliness in the flow of statistical information. The following training programmes were conducted during 2017. i) The 55th Central Training Course in Labour Statistics was held in Labour Bureau, Shimla from 06/09/2017 to 08/09/2017. Twenty three

10 Current Labour Activities

delegates from various State Governments / Union Territories / Central Departments attended the said training programme. ii) Training programme for 25 employees of Ordinance Factory, Medak was organized on 17/08/2017. iii) Two training programmes for employees of Ordinance Factory, Medak were organized on 02/11/2017 & 11/11/2017 and a training programme for employees of Maharashtra Institute of Labour Studies, Mumbai was organized on 17/11/2017. iv) A Training programme for 25 participants from International Statistical Education Centre (ISEC), Kolkata was organised on 21/12/2017.

वर्ष 2017 के दौरान जारी/अंतिम रूप दिए गए प्रकाशनों की सूची

List Of Publications Released/Finalised During 2017

- इंडियन लेबल जरनल (मासिक)
 - Indian Labour Journal (Monthly)
- 2 वर्ष 2016 के लिए 2001=100 आधार पर औदयोगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट
 - Annual Report on Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers Base 2001=100 for the year 2016.
- 3 वर्ष 2015-16 के लिए 1986-87=100 आधार पर खेतीहर एवं ग्रामीण श्रीमकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट
 - Annual Report on Consumer Price Index Numbers for Agricultural & Rural Labourers Base 1986-87=100 for the year 2015-16.
- 4 वर्ष 2014 के लिए बागान श्रम अधिनियम, 1951 की वार्षिक समीक्षा The Annual Review on the Plantation Labour Act, 1951 for the year 2014.
- 5 वर्ष 2014 के लिए औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946 की समीक्षा
 - The Review on the Industrial employments Act (Standing orders), Act 1946 for the year 2014.
- 6 मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 की समीक्षा (2014)

10 Current Labour Activities

The Review on the Motor Transport Workers' Act, 1961 – 2014.

- 7 वर्ष 2014 के लिए कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की वार्षिक समीक्षा The Review on the Employees Compensation Act, 1923 – 2014.
- 8 वर्ष 2014 के लिए औदयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की समीक्षा The Review on the Industrial Disputes Act, 1947 for the year 2014.
- 9 वर्ष 2014 के लिए प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 की कार्य-प्रणाली की वार्षिक समीक्षा
 - The Review on the Working of the Maternity Benefit Act, 1961 for the year 2014.
- 10 वर्ष 2015-16 के लिए ग्रामीण भारत में मजदूरी दरें संबंधी रिपोर्ट The Report on Wage Rates in Rural India for the year 2015-16.
- 11 श्रम सांख्यिकी पॉकेट बुक-2015 Pocket Book of Labour Statistics 2015.
- 12 इंडियन लेबर स्टैटिस्टिक्स 2015 Indian Labour Statistics 2015.
- 13 इंडियन लेबर ईयर बुक 2015 Indian Labour Year Book 2015.

तदर्थ सर्वेक्षण

Adhoc Surveys

 i) नए त्वरित रोज़गार सर्वेक्षण के दूसरे से चौथे दौर तक की रिपोर्ट The Report of the 2nd to 4th Round of Revamped QES.

भाग - II PART - II

140

1.1 जनसंख्या का वितरण (जनगणना 2011) 1.1 Distribution of Population (2011 census)

जनसंख्या (000 में) Population (in 000's)

	Рор	ulation (in 00	0 S)	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल Total	ग्रामीण Rural	शहरी Urban	State/ Union Territory
1	2	3	4	1
भारत	1210855	833749	377106	INDIA
जम्मू व कश्मीर	12541	9108	3433	Jammu & Kashmir
हिमाचल प्रदेश	6865	6176	689	Himachal Pradesh
पंजाब	27743	17344	10399	Punjab
चण्डीगढ़	1055	29	1026	Chandigarh
उत्तराखण्ड	10086	7037	3049	Uttarakhand
हरियाणा	25351	16509	8842	Haryana
एन सी टी दिल्ली	16788	419	16369	NCT Delhi
राजस्थान	68548	51500	17048	Rajasthan
उत्तर प्रदेश	199812	155317	44495	Uttar Pradesh
बिहार	104099	92341	11758	Bihar
सिक्किम	611	457	154	Sikkim
अरुणाचल प्रदेश	1384	1066	317	Arunachal Pradesh

सारणी 1.1 Table 1.1

1	2	3	4	1
नागालैंड	1979	1408	571	Nagaland
मणिपुर	2856	2022	834	Manipur
मिजोरम	1097	525	572	Mizoram
त्रिपुरा	3674	2712	961	Tripura
मेघालय	2967	2371	595	Meghalaya
असम	31206	26807	4399	Assam
पश्चिम बंगाल	91276	62183	29093	West Bengal
झारखण्ड	32988	25055	7933	Jharkhand
ओड़ीशा	41974	34971	7004	Odisha
छत्तीसगढ़	25545	19608	5937	Chhattisgarh
मध्य प्रदेश	72627	52557	20069	Madhya Pradesh
गुजरात	60440	34695	25745	Gujarat
दमन एवं दीव	243	60	183	Daman & Diu
दादर एवं नगर हवेली	344	183	161	D & N Haveli
महाराष्ट्र	112374	61556	50818	Maharashtra
आन्ध्र प्रदेश	84581	56362	28219	Andhra Pradesh
कर्नाटक	61095	37469	23626	Karnataka

1 जनसंख्या एवं श्रम शक्ति

1 POPULATION AND LABOUR FORCE

सारणी 1.1

Table 1.1					
1	2	3	4	1	
गोवा	1459	552	907	Goa	
लक्षद्वीप	64	14	50	Lakshadweep	
केरल	33406	17471	15935	Kerala	
तमिलनाडु	72147	37230	34917	Tamil Nadu	
पुडुचेरी	1248	395	853	Puducherry	
अ० एवं नि०द्वीप समूह	381	237	143	A & N Islands	

स्रोत : भारत के महापंजियक एवं जनगणना आयुक्त Source : Registrar General & Census Commissioner of India

1.2 कर्मी एवं गैर-कर्मी जनसंख्या का वित्तरण (जनगणना 2011) 1.2 Distribution of Working and Non-Working Population (2011 Census) (दस लाख में) (In millions)

कर्मकार श्रेणी	पुरुष	महिलाएं	योग	Workers Category
	Males	Females	Total	
1	2	3	4	1
क-कर्मी जनसंख्या				A. Working Population
कृषक	82.76	36.05	118.81	Cultivators
कृषि श्रमिक	82.74	61.59	144.33	Agricultural Labourers
पारिवारिक उद्योग कर्मकार	9.78	8.56	18.34	Household Industry Workers
अन्य कर्मकार	156.66	43.75	200.41	Other Workers
कुल कर्मी जनसंख्या	331.94	149.95	481.89	Total Working Population
(मुख्य एवं सीमान्त)				(Main + Marginal)
ख-गैर-कर्मी	291.33	437.64	728.97	B. Non-Working Population
कुल जनसंख्या	623.27	587.59	1210.86	Total Population
(क+ख)				(A+B)

सारणी 1.2 Table 1.2

कर्मकार श्रेणी	कुल जनसंख्या में प्रतिशत वितरण % distribution to total population	कुल पुरुष जनसंख्या में पुरुष कर्मकारों की प्रतिशतता % of male workers to total male population	Working category
1	5	6	1

क-कर्मी जनसंख्या		A- Working	
			Population
कृषक	9.81	13.28	Cultivators
कृषि श्रमिक	11.92	13.27	Agricultural Labourers
पारिवारिक उद्योग कर्मकार	1.52	1.57	Household Industry Workers
अन्य कर्मकार	16.55	25.14	Other Workers
कुल कर्मी जनसंख्या (मुख्य एवं	39.80	53.26	Total Working Population (Main + Marginal)
सामान्त)			(mani - marginar)

1	जनसंख्या	एव	श्रम	शक्ति

1 POPULATION AND LABOUR FORCE

सारणी	1.2
Table	1.2

1	- 5	6	1	

ख-गैर-कर्मी जनसंख्या	60.20	46.74	B- Non Working Population
कुल जनसंख्या (क+ख)	100.00	100.00	Total Population (A+B)

स्रोत : भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त

/www.censusindia.gov.in

Source : Registrar General & Census Commissioner of India /www.censusindia.gov.in

टिप्पणी :आंकडों की परिसीमाओं, परिधी, कार्य प्रणाली एवं अन्य विवरण के लिए वैबसाईट का अवलोकन करें

Note: For limitations of data, coverage, methodology and other details, kindly refer to the website.

पूर्णांक करने के कारण योग सम्भवतः न मिले।

Total may not tally due to rounding off figures.

1.3 जनसंख्या का श्रम शक्ति की स्थिति के अनुसार प्रतिशत वितरण (कार्यरत एवं बेरोजगार जनसंख्यां में सामान्य मुख्य स्थिति

एवं वर्तमान साप्ताहिक स्थिति)
(ग्रामीण एवं शहरी) राठ पठ सठ के 59 वें से 68 वें दौर तक
1.3 Percentage distribution of population by Labour Force status (employed and unemployed in the population in usual principal status and current weekly status) (Rural & Urban)
59th to 68th round

सर्वेक्षण अवधि	संदर्भ काल	(क) ग्रार्म	ोण जनसंख्या	का प्रतिशत
Survey Period	Reference	(a) F	ercentage (of Rural
	Period		Populatio	
		श्रम शक्ति	नियोजित	अनियोजित
		Labour	Emp-	Unem-
		Force	loyed	ployed
1	2	3	4	5
जनवरी,03 से दिसम्बर,03	वर्ष	44.47	43.74	0.73
Jan, 2003 to Dec, 2003	Year			
	साप्ताह	44.29	43.20	1.09
	Week			
जनवरी , 04 से जून, 04	वर्ष	43.98	42.96	1.02
Jan, 2004 to June, 2004+	Year			
	साप्ताह	45.07	43.00	2.07
	Week			
जुलाई, 04 से जून, 05	वर्ष	45.07	43.96	1.10
July, 2004 to June, 2005	Year			
•	साप्ताह	47.04	45.19	1.85
	Week			

			_
 जनसंख 	ग गव	श्रम	शक्ति

1 POPULATION AND LABOUR FORCE

सारणी 1.3

Table 1.3				
1	2	3	4	5
जुलाई, 05 से जून, 06	वर्ष	43.90	42.84	1.07
July, 2005 to June, 2006	Year			
	साप्ताह	45.71	43.88	1.83
	Week			
जुलाई, 07 से जून, 08	वर्ष	43.37	42.42	0.96
July, 2007 to June, 2008	Year			
	साप्ताह	44.53	42.79	1.74
	Week			
जुलाई, 09 से जून, 10	वर्ष	42.19	41.32	0.87
July, 2009 to June, 2010	Year			
	साप्ताह	43.46	42.01	1.45
	Week			
जुलाई, 11 से जून, 12	वर्ष	40.35	39.42	0.93
July, 2011 to June, 2012	Year			
	साप्ताह	42.04	40.62	1.42
	Week			

1 जनसंख्या एवं श्रम शक्ति

1 POPULATION AND LABOUR FORCE

सारणी 1.3 Table 1.3

	140101			
सर्वेक्षण अवधि	संदर्भ काल	(ख) श	हरी जनसंख	या का
Survey Period	Reference	. ,	प्रतिशत	
	Period	(b) Per	centage of	Urban
]	Population	
		श्रम	नियोजित	अनि-
		शक्ति	Emp-	योजित
		Labour	loyed	Unem-
		Force		ployed
1	2	6	7	8
जनवरी 04 से जून, 04	वर्ष	38.85	36.78	2.07
Jan, 2004 to June, 2004	Year			
	साप्ताह	39.77	37.23	2.53
	Week			
जुलाई, 04 से जून, 05	वर्ष	40.00	37.88	2.12
July, 2004 to June, 2005	Year			
	साप्ताह	41.05	38.57	2.48
	Week			
जुलाई, 05 से जून, 06	वर्ष	38.72	36.64	2.08
July, 2005 to June, 2006	Year			
	साप्ताह	39.37	36.95	2.42
	Week			
जुलाई, 07 से जून, 08	वर्ष	38.99	37.24	1.75
July, 07 to June, 08	Year			
	साप्ताह	39.55	37.56	1.99
	Week			

1 जनसंख्या एवं श्रम श	1 POPULATION AND LABOUR FORCE			
	सारणी 1.3 Table 1.3		ABOOKTO	AKCL
जुलाई, 09 से जून, 10	वर्ष	38.17	36.75	1.41
July, 2009 to June, 2010	Year			
	साप्ताह	38.79	37.14	1.65
	Week			
जुलाई, 11 से जून, 12	वर्ष	38.35	36.88	1.47
July, 2011 to June, 2012	Year			
	साप्ताह	39.13	37.41	1.72
	Week			

स्रोत : रा० प्र० स० स० Source : N.S.S.O. टिप्पण: प्रतिशतता की गणना डिनोमिनेटर में 5 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या से की गई है। Note : Percentages are colored : '

ानसंख्या स का ग्रह ह। Note: Percentages are calculated by taking population for age 5 years and above in the denominator. वर्ष का संबन्ध सामान्य मुख्य स्थिति एवं सप्ताह का साप्ताहिक स्थिति से है। Year corresponds to usual principal status and week correspond to current weekly status.

2.1(क) सार्वजनिक क्षेत्र में अनुमानित नियोजन (शास्तानुसार) मार्च के अंत में

माच क अत भ 2.1(a) Estimated Employment in Public Sector (By Branches) at the end of March (लाखों में) (In lakhs)

शाखा	2011	2012	Branch
केन्द्रीय सरकार	24.63	25.20	Central Government
राज्य सरकारें	72.18	71.84	State Governments
अर्ध- सरकारी (केन्द्रीय + राज्य)	58.14	57.98	Quasi Government (Central +State)
स्थानीय निकाय	20.53	21.07	Local Bodies
योग	175.48	176.09	Total

म्रोत : म० नि० रो० एवं० प्र०

Source: DGE&T

2.1(ख) संगठित क्षेत्र में नियोजन (मुख्य उद्योगानुसार) मार्च के अन्त में 2.1(b) Employment in Organised Sector (By Major Industries) at the end of March

(लाखों में) (in lakhs)

उद्योग	20	<u>11</u>	201	2012		
भाग	सार्वजनिक	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक	निजी क्षेत्र	try sect-	
कोड	क्षेत्र	Private	क्षेत्र	Private	ion	
	Public	Sector	Public	Sector	Code	
	Sector		Sector			
1	2	3	4	5	1	
क	4.62	9.16	4.58	9.21	A	
ख	0.15	0.02	0.16	0.03	В	
ग	10.90	1.32	10.75	1.38	C	
घ	10.16	53.97	10.71	55.26	D	
ਵ	8.31	0.70	8.20	0.62	E	
च	8.47	1.02	8.32	1.18	F	
छ	1.59	3.38	1.60	3.75	G	
ল	0.11	2.08	0.12	2.24	H	
झ	23.84	1.89	24.93	2.14	I	
স	10.99	4.26	10.99	4.57	J	
ਟ	2.62	12.91	2.63	14.58	K	
ਠ	47.51	0.14	47.56	0.15	L	
ड	26.54	18.06	26.26	18.37	M	
ढ	13.72	2.79	13.46	3.12	N	
ण	2.70	1.44	2.67	1.74	O	

सारणी 2.1 (ख)

Table 2.1(b)						
1	2	3	4	5	1	
त	0.01	0.09	0.02	0.10	P	
थ	0.46	0.98	0.39	0.97	Q	
योग	172.71	114.22	173.32	119.40	Total	

स्रोत : (वार्षिक नियोजन संकलन वर्ष 2011 तथां 2012) म०नि०रो० Source : (Annual Employment Review, 2011 & 2012)DGE

टिप्पण :

Note:

- 1. वर्ष 2011 व 2012 के लिए जम्मु एवं कश्मीर, मणिपुर और दमन एवं दीव के संबंध में रा० औ० व० 1998 के अनुसार सूचना योग में शामिल नहीं है अत: उद्योगानुसार आंकडें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के साथ आपस में न मिलें।
- उद्यागानुसार आंकड सावजानिक एवं । नंशा क्षेत्र के साथ आपस म न मिल ।

 1. Industry wise break up may not tally with the Public and Private Sector due to non inclusion of data as per NIC 1998 in respect of J&K, Manipur & Daman & Diu in 2011 & 2012

 2. सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दादर एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह प्रोग्राम से बाहर है।
- 2. Excludes Sikkim, Arunachal Pradesh, Dadar & Nagar Haweli and Lakshadweep as these are not yet covered under the

2.2 (क) खानों में खनिजानुसार नियोजन (नियोजित कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या) 2.2(a) Employment in Mines by Minerals (Average Daily No. of Workers Employed) ('000 羊) (in 000's)

खनिज पदार्थ	2014	2015	Mineral
कोयला	356	340	Coal
तांबा	4	3	Copper
क्रोमाइट	11	11	Chromite
हीरा	-	-	Diamond
सोना	4	4	Gold
जिप्सम	-	-	Gypsum
खनिज लोहा	51	52	Iron Ore
चूना पत्थर	33	38	Lime Stone
मैंगनिसाइट	1	2	Magnesite
खनिज मैगनीज	19	23	Manganese Ore
अभ्रक	1	1	Mica
पत्थर	7	8	Stone
अन्य	52	53	Others

2.2(ल) खानों में राज्यानुसार कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या

(वर्गानुसार) 2.2(b) State-wise Average Daily No. of Workers Employed in Mines (By Category)

('000 羊) (in 000's)

राज्य/संघ	सतह के	खादान	सतह प	
राज्य क्षेत्र	नीचे	कार्य	Above	-
	Below	Open	Ground	İ
	Ground	Cast		
1	2	3	4	1
		<u>2014</u>		
आन्ध्र प्रदेश	2.5	16.3	10.7	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश	-	-	0.2	Arunachal Pradesh
असम	0.3	1.2	7.2	Assam
बिहार	-	0.5	0.1	Bihar
छत्तीसगढ़	20.3	12.8	12.7	Chhattisgarh
गोवा		3.2	0.9	Goa
गुजरात		5.5	11.9	Gujarat
हरियाणा		1.1	0.6	Haryana
हिमाचल प्रदेश	2.1	1.5	1.7	Himachal Pradesh
जम्मू व कश्मीर	0.2	0.048	0.16	Jammu & Kashmir
झारखण्ड	39	33	32.1	Jharkhand
कर्नाटक	0.5	11.9	7.5	Karnataka
केरल	_	2.1	1.1	Kerala

2 नियोजन				2 EMPLOYMENT
	सारणी 2.2(ख)			
		Table 2.2		
1	2	3	4	1
मध्य प्रदेश	25.1	18.5	17.5	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	9	11.7	15.5	Maharashtra
मणिपुर				Manipur
मेघालय	••	0.7	0.5	Meghalaya
मिजोरम				Mizoram
नागालैंड				Nagaland
ओड़ीसा	4	22	11.4	Odisha
पंजाब				Punjab
राजस्थान		13.5	11.3	Rajasthan
तमिलनाडु	0.5	17.5	8.6	Tamil Nadu
तेलंगाना	39.5	16.4	9.5	Telangana
त्रिपुरा			0.223	Tripura
उत्तराखण्ड	0.269	2.4	0.755	Uttrakhand
उत्तर प्रदेश		4.336	5.078	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	33.14	5.3	17.8	West Bengal
अ० एवं नि० द्वीप समूह			0.06	A & N Islands

2. EMPLOYMENT

सारणी 2.2(ख) Table 2.2(b)

1	2	3	4	1
		2015		
आन्ध्र प्रदेश	0.32	9.62	5.51	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश			0.23	Arunachal Prades
असम	0.30	0.70	10.02	Assam
बिहार	0.04	0.31	0.15	Bihar
छत्तीसगढ़	0.24	16.09	12.89	Chhattisgarh
गोवा		3.22	2.23	Goa
गुजरात		5.87	10.86	Gujarat
हरियाणा		3.85	0.64	Haryana
हिमाचल प्रदेश	0.02	1.03	0.19	Himachal Prades
जम्मू व कश्मीर	0.20	0.13	0.09	Jammu & Kashm
झारखण्ड	36.12	34.68	36.21	Jharkhand
कर्नाटक	1.76	10.43	4.84	Karnataka
केरल	0.01	1.12	0.94	Kerala
मध्य प्रदेश	26.56	16.82	15.18	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	10.99	11.94	13.09	Maharashtra
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	Manipur
मेघालय	0.00	0.36	0.11	Meghalaya
मिजोरम				Mizoram

सारणी 2.2(ख) Table 2.2(b)

1	2	3	4	1
नागालैंड				Nagaland
ओड़ीसा	4.54	32.56	28.80	Odisha
पंजाब		••		Punjab
राजस्थान	4.63	16.26	9.48	Rajasthan
तमिलनाडु	0.02	16.94	1.87	Tamil Nadu
तेलंगाना	36.80	11.54	7.77	Telangana
त्रिपुरा		••	0.31	Tripura
उत्तराखण्ड	0.07	1.39	0.48	Uttrakhand
उत्तर प्रदेश	0.10	4.34	5.51	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	30.94	6.39	16.78	West Bengal
अ० एवं नि० द्वीप समूह		0.13	0.02	A & N Islands

स्रोत : म० नि० खा० सु० Source : DGMS 2.3 रेलवे, डाक, दूर संचार, बीमा तथा बैंकों में नियोजन (31 मार्च को)

2.3 Employment in Railways, Posts, Telecommunications, Insurance and Banks (As on 31st March) ('000 में) (in 000's)

	2015	2016	2017	
रेलवे ++	1326	1330£	1308	Railways ++
डाक	460.46	448.84	433.42	Posts
दूर संचार ##				Telecommuni- cations ##
बीमा				Insurance
i) जीवन	117.45	114.77	115.39	i) Life
ii)गैर जीवन ^	63	64	61	ii) Non-Life ^
i) बैंक़ #&	1291.54£	1300.93£	1349.89	i)Banks#
ii) भारतीय रिजर्व बैंक &	16.67	15.69	14.68	ii) Reserve Bank of India &

स्रोतः रेलवे बोर्ड, तार विभाग, दूरसंचार विभाग, जी० बी० नि०, भा० स० बी० सा० क्षे० सं० एवं भा० रि० बैक Source : Railway Board; Deptt. Of Posts; Deptt. Of Telecommunications; LIC, GIPSA & RBI.

⁺⁺ रेलवे संरक्षण विशेष बल के कर्मचारी भी शामिल हैं।

⁺⁺ Includes Railways Protection Special Force personnel also

सारणी 2.3 Table 2.3

इसमें 2001 से आगे भारतीय संचार निगम लिमिटेड तथा 2000 से आगे एम टी एन एल

Includes BSNL from 2001 onwards and MTNL from 2000 onwards.
^ आंकडें केवल चार सार्वजिनक क्षेत्र गैर जीवन बीमा साधारण बीमा कम्पनियों(भा० बी० सार्व० क्षे० संघ की सहयोगी कम्पनियों) नामतःनेशनल इंशोरेंस कम्पनी लि०, न्यू इंडिया इंशोरेंस कम्पनी लि०, ओरिएन्टल इंशोरेंस कम्पनी लि० और युनाइटिड इंडिया इंशोरेंस कम्पनी लि० से संबंधित हैं।

- ^ The statistics relate only to four non life general Insurance Companies in public Sector (GIPSA member companies) namely National Insurance Co. Ltd., New India Insurance Co. Ltd., The Oriental Insurance Co. Ltd., and United India Insurance Co. Ltd.
- # आंकडों में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकं सहित के आंकडें शामिल हैं।
- # Figures includes data of all Scheduled Commercial Banks including Regional Rural Banks
- & वर्ष 2013 से आंकडें जून के अन्त से दिये जा रहे हैं।
- & from 2013, data are furnished as on end June

2 EMPLOYMENT

2.4 अनुमानित नियोजन सूचकांक

2.4 Index Numbers of Estimated Employment

क्षेत्र	आधार				Sector
দাস	Base	2015	2016	2017	Sector
1	2	3	4	5	1
दूर संचार	1960=100		••		Tele communi- cations
रेल	1960=100	114.9	115.3	113.0	Railways
डाक	1990=100	78.7	76.7	74.1	Posts
बैंक^%	1961=100	983.7£	990.0£	1026.1	Banks^%
कारखानें	1980=100				Factories
खाने	1970=100	95.01			Mines
कोयला खानें	1970=100	87.19			Coal Mines
बागान	1970=100				Plantation
i) चाय		96.56			i) Tea
ii) काफी		32.20			ii) Coffee
iii) रबड़		43.75			iii) Rubber

बड़ स्रोत : श्रम ब्यूरो, मoनि०ला०सु०, रेलवे बोर्ड, डाक विभाग, दुरसंचार विभाग, एवं भा०रि० बैं० Source : Labour Bureau; DGMS; Railway Board; Deptt. Of Posts; Deptt. Of Telecommunication and RBI

[^] बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रिय ग्रामिण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक शामिल हैं।

शास्ति है। A Banks include all Scheduled Commercial Banks including Regional Rural Banks and Reserve Bank of India % श्रृंखलाबद्ध सूचकांक के लिए योजक संबन्धित पद्वती पर आधारित नियोजक सुचकांक % Employment index based on link relative method for chain indices

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

3.1 रोजगार कार्यालय एवं उनके कार्यकलाप 3.1 Employment Exchanges and their Activities

1	2	3	4	1
_	2013	2014	2015*++	
रोजगार कार्यालयों की संख्या +	956	978	978	No. of Employment Exchanges +
पंजीकरण ('000 में)	5969	5957	5173	Registration (in 000's)
अधिसूचित रिक्तियां ('000 में)	511	762	566	Vacancies notified (in 000's)
नियुक्तियां ('000 में)	348	338	254	Placements (in 000's)
चालू पंजियों में आवेदक ('000 में)+	46802	48261	44852	Total number of applicants on Live Register (in 000's) +

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

सारणी 3.1

	7	Table 3.1		
1	2	3	4	1
क) अनुसूचित जाति आवेदक ('000 में)	7292	7644		a) Scheduled Castes applicants (in 000's)
(ख) अनुसूचित जनजाति आवेदक ('000 में)	2487	2517		b) Scheduled Tribes applicants (in 000's)
(ग) अन्य आवेदक ('000 में)	33082			c) Other applicants (in 000's)

स्रोत : म० नि० रो० Source : DGE

- + वर्ष के अन्त में + At the end of the year ++ सितम्बर 2015 तक ++ till September, 2015

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

3.2 रोजगाार कार्यालयों की चालू पंजी में व्यावसायिक मुख्य समूहानुसार आवेदक

3.2 Job Seekers on Live Register of Employment Exchanges classified by Broad Occupational Groups (31 दिसम्बर को)(000 में) (as on 31 December) (in 000's)

व्यवसायिक समूह	चलु पंजियों में संख्या			Occupational
एन सी ओ 2004	Number on Live Registers			Groups NCO 2004
	2012	2013	2014*	
1	2	3	4	1
विधायक, वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंधक	109.6	96.0	195.8	Legislators, Senior Officials & Managers
पेशेवर	2929.3	2592.7	2932.7	Professional,
तकनीकी एवं सम्बंधित पेशेवर	1831.7	1743.7	1815.0	Technicians and Associate Professionals
लिपिक	865.3	1520.7	2164.7	Clerks
सेवा संबंधी कर्मकार तथा दुकान एवं बाजार विक्रय कर्मकार	341.0	332.0	378.1	Service workers and shops and market sales workers
कुशल कृषक एवं मत्स्य कर्मकार	137.4	70.3	105.3	Skilled Agriculture and Fishery workers

सारणी 3.2 Table 3.2

		1 able 3.2		
1	2	3	4	1
ष्टिप तथा संबंधित व्यवसाय कर्मकार	1330.8	1369.0	1395.2	Craft and related trade workers
पलांट एवं मशीन चालक एवं असैम्बलर	737.5	872.0	862.3	Plant and machine operators and assemblers
प्रारंभिक व्यवसाय	290.4	390.8	447.8	Elementary occupations
व्यवसाय अवृगीकृत	36217.1	37815.0	37964.1	Workers not classified by
कर्मकार				Occupations
योग	44790.1	46802.5	48261.1	Total

स्रोत : म० नि० रो०

Source: DGE

3.3 रोजगार कार्यालयों की चालू पंजी में शिक्षित्त आवेदकों की संख्या 3.3 No. of Educated Applicants on Live Register of Employment Exchanges (000' में) (in 000's)

आवेदक वर्ग		्पंजी में संख on Live R		Category of Applicants
	2012	2013	2014	•
दसवीं पास	16836	18760	18054	10 th passed
उच्चतर माध्यमिक, इटरमीडिएट और अवर	11744	12113	12713	10+2 passed
स्नातक सहित				
स्नातक तथा उससे उच्च	8918	9142	9637	Graduates and above
योग	37497	40015	40404	Total

स्रोत : म० नि० रो० Source : DGE

+ वर्ष के अन्त में + at the end of the year

3.4 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक के अधीन प्रशिक्षण कार्यकलाप शिल्पकार प्रशिक्षण योजनाओं के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में स्थान-क्षमता और शिक्षु अधिनियम, 1961 के अर्न्तगत शिक्षुओं की संख्या 3.4 Training Activities under the DGE&T Seating capacity of Industrial Training/Centres under the Craftsmen Training Schemes and the number of Apprentices engaged under the Apprentice Act, 1961

प्रशिक्षण योजना	संख्य	Τ	Scheme/Activity
	Numb	er	
	2013	2014	
1	2	3	1
क शिल्पकार प्रशिक्षण A. Craftsman Train			
रा० व्य० प्र० प० से सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थानों∕केन्द्रों की संख्या	10750		No. of Training Institutes/ Centres affiliated to N.C.V.T
सरकारी औ०प्र०सं०	2275		Govt. ITI
निजी औ० प्र० के०	8475		Pvt. ITC
स्थान-क्षमता	1523696		Seating capacity

सारणी 3.4 Table 3.4

ख शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन प्रशिक्षण

B. Training under the Apprentices Act 1961

प्रतिष्ठानों की 28500 28500* No. of संख्या जो शिक्षुओ को रखती है Establishments engaging Trade apprentices
प्रशिक्षण प्राप्त कर 359396 384000* No. of Trade Apprenticeship seats located

स्रोत : म० नि० प्र०

Source: DGT

राञ्च०प्र०प० = राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT = National Council of Vocational Training औo प्र० सं० = औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI = Industrial Training Institute औo प्र० केo = औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

ITC = Industrial Training Centre

3.5 कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

(केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय श्रम संस्थानों और गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों में) 3.5 Training Programmes conducted by DGFASLI (Central, Regional Labour Institutes and Dock Safety Inspectorate)

निम्न प्रशिक्षण द्वारा कार्यक्रमों संचालित संख्या कार्यक्रम No. ol Trainin Progr amme:	की f Org g re	ोहित संस्था की संख्या No. of ganisation presented	वाले संग s No Pa	लेने Progra- i की mmes व्या Conduct . of ed by rti- ants
1	2	3	4	1
		2016		
के०श्र०सं० मुम्बई	171	383	4197	CLI, Mumbai
क्षे०श्र०स० कोलकाता	18	92	341	RLI Kolkata
क्षे०श्र०स०, कानपुर	14	172	359	RLI Kanpur
क्षे०श्र०स०, चेन्नई	26	59	753	RLI Chennai
क्षे०श्र०स०फरिदाबाद	14	35	326	RLI Faridabad
गोदी सुरक्षा	3	11	40	Dock Safety

सारणी 3.5 Table 3.5

1	2		3	4	4 1
			2017		
के०श्र०सं० मु	म्बई	195	513	4917	CLI, Mumbai
क्षे०श्र०स० को	ालकाता	19	150	424	RLI Kolkata
क्षे०श्र०स०, क	गनपुर	27	449	810	RLI Kanpur
क्षे०श्र०स०, चे	न्नई	21	201	702	RLI Chennai
क्षे०श्र०स०फरि	दाबाद	16	142	646	RLI Faridabad
गोदी सुरक्षा		-	-	-	Dock Safety

स्रोत : म० नि० का० स० से० एवं० श्र० सं० Source : DGFASLI CLI = Central Labour Institute RLI = Regional Labour Institute

के०श्र०सं० = केन्द्रीय श्रम संस्थान क्षे०श्र०स० = क्षेत्रीय श्रम संस्थान

SERVICES AND TRAINING
3.6 दत्तोपन्त ठॅगडी राष्ट्रीय श्रीमक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम
एवं व्यवसाय संघो तथा अन्य संस्थानों हेतु सहायता अनुदान 31-3-2016 तक
3.6 Training Programmes conducted by Dattopant Thengadi
National Board for Workers Education and Development
(erstwhile CBWE) and Grants in aid to Trade Unions and other
Institutions upto 31-3-2016

_	योजना/	खोले गये	शिक्षा	प्रशि–	व्यक्तित्व	Plan/
	वर्ष	क्षेत्रीय	अधि-	क्षार्थी	विकास	Year
		निदे-	कारी	Train-	कार्यक्रम	
		शालय	Educ	ers	Person-	
		Regi-	ation		ality	
		onal	Offi- cers		Devel-	
		Direc-	ccis		opment	
		torates			Prog- rammes	
-	1	opened	2	4	5	1
_	1	2	3	4	3	1
	सातवीं					Seventh
	योजना					Plan
	1985-90	1	78	6588	19677	1985-90
	वार्षिक यो	जनाएं				Annual Plans
	1990-91	1	0	1209	3957	1990-91
	1991-92	3	24	1305	3904	1991-92
	आठवीं					Eighth
	योजना					Plan
	1992-97	0	75	5721	17397	1992-97

सारणे 3.6 Table 3.6

		T	able 3.6		
1	2	3	4	5	1
नौवीं योजना					Ninth Plan
1997- 2002	1	0	2737	16495	1997- 2002
दसवीं योजना					Tenth Plan
2002-07	1	81	1470	10606	2002-07
ग्यारवी योजना					Eleventh Plan
2007-12	0	0	1134	7275	2007-12
(बाहरवीं योजना)					(Twelfth Plan)
वार्षिक योजनाएं					Annual Plans
1012-13	0	0	204	1158	2012-13
2013-14	0	0	195	988	2013-14
2014-15	0	0	185	1075	2014-15
2015-16	0	0	83	417	2015-16
2016-17	0	0	16	468	2016-17

सारणे 3.6 Table 3.6

कर्म	कार		Plan/Year
कक्षाएं	कार्यक्रम		
Unit	Short	सेवक	
		Rural	
Classes		Volun-	
		teers	
6	7	8	1
			Seventh Plan
279194	170485	236	1985-90
नाएं			Annual Plans
52385	46041	169	1990-91
52424	47504	124	1991-92
			Eighth Plan
230281	240562	1054	1992-97
	Workd इकाई स्तर कक्षाएं Unit Level Classes 6 279194 नाएं 52385	कक्षाएं कार्यक्रम Unit Short Level Term Classes Progra- mmes 6 7 279194 170485 नाएं 52385 46041 52424 47504	Workers in इकाई स्तर कम अविध कार्यक्रम ग्रामीण स्वंय dashive and a same of the color

सारणे 3.6 T-1-1- 2.6

		Table 3.6		
1	6	7	8	1
नौवीं योजना				Ninth Plan
1997- 2002	112171	706939	149	1997-2002
दसवीं योजना				Tenth Plan
2002-07	28071	336173	0	2002-07
ग्यारवी योजना				Eleventh Plan
2007-12	15361	281622	0	2007-12
(बाहरवीं योजना)				(Twelfth Plan)
वार्षिक योजनाएं				Annual Plans
2012-13	2318	46542	0	2012-13
2013-14	1757	47169	0	2013-14
2014-15	2306	43437	0	2014-15
2015-16	1726	43607	0	2015-16
2016-17	1199	53860	0	2016-17

सारणे 3.6 Table 3.6

योजना/वर्ष	•	कर्मकार	•	Plan/Year
-		Workers in		_
	ग्रामीण	असंगठित	कार्यात्मक	
	जानकारी	क्षेत्र कैम्प	व्यस्क	
	कैम्प	Unorga-	साक्षरता	
	Rural	nised	कक्षाएं	
	Aware-	Sector	Functio-	
	ness	Camps	nal Adult	
	Camp		Literacy	
			Classes	
1	9	10	11	
सातवीं योजना				Seventh Plan
1985-90	451936	60027	64749	1985-90
वार्षिक योजनाएं				Annual Plans
1990-91	139798	17138	13607	1990-91
1991-92	136861	18321	9972	1991-92
आठवीं योजना				Eighth Plan
1992-97	494239	84909	40258	1992-97

सारणे 3.6 Table 3.6

नौवीं योजना				Ninth Plan
1997-2002	403588	187672	9310	1997-2002
दसवीं योजना				Tenth Plan
2002-07	516765	623111	1698	2002-07
ग्यारवी योजना				Eleventh Plan
2007-12	500276	700578	343	2007-12
(बाहरवीं योजना)				(Twelfth Plan)
वार्षिक योजनाएं				Annual Plans
2012-13	90442	281710	366	2012-13
2013-14	91742	285942	185	2013-14
2014-15	66564	237208	51	2014-15
2015-16	83696	337099	0	2015-16
2016-17	58736	217278	0	2016-17

सारणे 3.6 Table 3.6

	व्यवसायिक संघ/ संस्थ		
योजना/वर्ष	सहायता	*	Plan/Year
	Grants-in-aid to		
	Institut		
	अनुदान प्राप्त संघों	दी गई राशी	
	/ संस्थानों की	Amount paid	
	संख्या	(in Rs)	
	Number of		
	Unions /		
	Institutions		
	receiving grant		
1	12	13	1
सातवीं			Seventh Plan
योजना			
योजना 1985-90	1072	4158329.00	1985-90
	1072	4158329.00	1985-90 Annual Plans
1985-90 वार्षिक	1072	4158329.00	
1985-90	1072	4158329.00 637841.00	
1985-90 वार्षिक योजनाएं 1990-91	122	637841.00	Annual Plans
1985-90 वार्षिक योजनाएं 1990-91 1991-92			Annual Plans 1990-91 1991-92
1985-90 वार्षिक योजनाएं 1990-91	122	637841.00	Annual Plans
1985-90 वार्षिक योजनाएं 1990-91 1991-92 आठवीं	122	637841.00	Annual Plans 1990-91 1991-92

सारणे 3.6 Table 3.6

Table 3.0						
1	12	13	1			
नौवीं योजना			Ninth Plan			
1997-2002	366	2325711.90	1997-2002			
दसवीं योजना			Tenth Plan			
2002-07	255	3351626.00	2002-07			
ग्यारवी योजना			Eleventh Plan			
2007-12	192	5011108.00	2007-12			
(बाहरवीं योजना)			(Twelfth Plan)			
वार्षिक योजनाए			Annual Plans			
2012-13	51	782928.00	2012-13			
2013-14	39	593961.00	2013-14			
2014-15	35	512325.00	2014-15			
2015-16	31	571120.00	2015-16			
2016-17	4	59310.00	2016-17			

स्रोत : द०ठें०रा०श्र०शि०वि०बो० Source : DTNBWED

4.1 रेलवे की औद्योगिक क्षतियों की संख्या एवं आपात दर 4.1 Number of Industrial Injuries and Incidence Rates in Railways

2015	2016	2017	
			No. of Injuries
188	89	73	Fatal
1097	1050	1052	Non-Fatal
			Incidence rates of Injuries (per 1000 workers)
0.14	0.07	0.06	Fatal
0.84	0.80	0.82	Non-Fatal
	188 1097 0.14	188 89 1097 1050 0.14 0.07	188 89 73 1097 1050 1052 0.14 0.07 0.06

स्रोत : रेलवे बोर्ड

Source: Railway Board

4 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

4 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

4.2 खानों **में औद्योगिक क्षतियां** 4.2 Industrial Injuries in Mines (खनिज श्रेणी अनुसार) (By Class of Minerals)

खनिज	7	नंख्या		प्रति हजार	Mineral
	Number		व्यक्ति	ा नियोजित	
				per 1000	
				s employed	
	घातक	गम्भीर	घातक	गम्भीर	
	Fata-	क्षति	Fata-	क्षति	
	lity	Seri-	lity	Seri-	
		ously Injured		ously Injured	
1	2	3	4	5	1
			015		-
कोयला	5	5 316	0.16	0.93	1. Coal
गैर -कोयला					2. Non-Coal
तेल्		5 25	0.18	0.88	Oil
एस्बैस्टस		4 -			Asbestos
चिनी मिट्टी, मिट्टी, सफेद मिट्टी		- 1	-	0.41	China Clay, Clay, White Clay
तांबा		1 2	0.39	0.79	Copper
डोलोमाइट			_	-	Dolomite
गैलेना एवं					Galena &
स्फेलेराइट		3 4	0.59	0.79	Sphalerite
सोना		1 4	0.28	1.11	Gold

4 दुर्घटनाएं,	सुरक्षा	एवं
अनपस्थिति		

सारणी 4.2

		Tabl	e 4.2		
1	2	3	4	5	1
ग्रेनाइट	4	1	0.30	0.07	Granite
लोहा	5	9	0.10	0.17	Iron
चुना पत्थर	5	1	0.13	0.03	Limestone
ू मैगनेसाईट	2	1	0.13	0.03	Magnesite
मैंगनीज -	1	1	0.04	0.42	Manganese
मार्बल	8	1	4.41	0.04	Marble
 सैंड स्टोन	1	-		-	
सिलिका	1	-	3.23 0.34		Sand Stone
सिलिमेनाइट			0.54	0.20	Silica
सटीआटाइट	-	1	-	0.28	Sillimanite
	7	- 1	0.84	0.12	Steatite Stone
पत्थर गैर कोयला	48	51	0.84	0.12	Non-Coal
गर कायला कोयला और	103	367	0.22	0.23	Coal & Non-
कायला आर गैर-कोयला	103	30/	0.18	0.65	Coal & Non-
ग र-पगपरा।					Cour
		201	6*		
कोयला गैर -कोयला	94	278	0.28	0.75	Coal Non-Coal
तेल तेल	9	8	0.32	0.28	Oil
एस्बैस्टस एस्बैस्टस	1	-	0.32	0.28	Asbestos
चिनी मिट्टी,	•				China Clay,
मिट्टी, सफेद	_	_	-		Clay, White
मिट्टी					Clay
तांबा	1	2	0.39	0.79	Copper
डोलोमाइट	4	1	1.29	0.32	Dolomite

सारणी 4.2 Table 4.2

		1 au			
1	2	3	4	5	1
गैलेना एवं					Galena &
स्फेलेराइट	1	3	0.20	0.59	Sphalerite
सोना	-	1		0.28	Gold
ग्रेनाइट	7	1	0.52	0.07	Granite
लोहा	3	9	0.06	0.17	Iron
चूना पत्थर	4	3	0.11	0.08	Limestone
मैंगनेसाइट	-	-	_	_	Magnesite
मैंगनीज़	2	5	0.09	0.22	Manganese
मारबल	_	-	-	_	Marble
सैडस्टोन	-	-	_	-	Sandstone
सिलिका	-	-	-	-	Sillica
सिलिमेनाइट	1	6	0.28	1.71	Sillimanite
सटीआटाइट	1	-	0.21	_	Steatite
पत्थर	14	9	1.67	1.07	Stone
परमाणु खनिज	3	-	-	-	Atomic
					Mineral
गैर कोयला	51	48	0.23	0.22	Non-Coal
कोयला और	145	326	0.26	0.58	Coal & Non-
गैर-कोयला					Coal
		201	17*		
कोयला	61	188	01.18	0.55	Coal
a 1					Non-Coal
गैर -कोयला					

182

सारणी 4.2 Table 4.2

Table 4.2							
2	3	4	5	1			
2	-			Asbestos			
1	1	0.13	0.13	Bauxite			
				China Clay,			
-	-	-		Clay, White			
				Clay			
1	1	0.09	0.09	Chromite			
0	2	-	0.79	Copper			
-	-	-	-	Dolomite			
				Galena &			
5	3	0.98	0.59	Sphalerite			
-	1		0.28	Gold			
8	0	0.59	_	Granite			
4	11	0.08	0.21	Iron			
6	0	0.16	_	Limestone			
-	-	_	_	Magnesite			
4	2	0.18	0.09	Manganese			
7	_	3.86	_	Marble			
1	0		-	Rhyolite			
_	_	_	_	Sandstone			
_	_	_	_	Sillica			
	2 1 0 - 5 - 8 4 6 - 4 7	2 3 2 - 1 1 1 1 0 2 5 3 - 1 8 0 4 11 6 0 4 2 7 -	2 3 4 2 1 1 0.13 1 1 0.09 0 2 - 5 3 0.98 - 1 8 0 0.59 4 11 0.08 6 0 0.16 4 2 0.18 7 - 3.86	2			

4 दुर्घटनाएं,	सुरक्षा	एवं
अनपस्थिति	-	

सारणी 4.2 Table 4.2

1 aoic 4.2						
2	3	4	5	1		
0	2	-	0.57	Sillimanite		
-	-	-	-	Steatite		
26	6	3.10	0.72	Stone		
-	-	-	-	Atomic Mineral		
66	48	0.23	0.22	Non-Coal		
127	231	0.21	0.39	Coal & Non- Coal		
	0 - 26 - 66	2 3 0 2 26 6 66 48	0 2 - 26 6 3.10 	2 3 4 5 0 2 - 0.57 26 6 3.10 0.72 66 48 0.23 0.22		

म्रोत : मर्गनिश्खार्सुर Source : DGMS

4.3 बंदरगाहों में रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं 4.3 Reportable Accidents in Ports

	2015-16 2016-17				
बंदरगाह	घातक	अघातक	घातक	अघातक	Port
	Fatal	Non-	Fatal	Non-	
		Fatal		Fatal	
मुम्बई	3	30	2	12	Mumbai
जवाहर लाल	0	0	1	1	J.N. Port
नेहरु पतन	Ü	O		1	J.14. 1 Oft
काण्डला	2	4	4	1	Kandla
मोर्मुगोआ	2	7	1	2	Mormugao
कोलकाता	0	11	2	5	Kolkata
पारादीप	0	2	0	2	Paradip
विशाखापतनम	0	4	0	0	Visakha-
					patnam
चेन्नई	1	2	1	3	Chennai
कोचीन	0	2	0	1	Cochin
नया मैंगलौर	0	1	0	2	New
					Mangalore
टूातीकोरन	0	4	2	3	Tuticorin
योग	8	67	13	32	Total

स्रोत : म०नि०का०स०से.एवं श्र०सं०

Source : DGFASLI

4.4 जलयानों पर रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं तथा आवृत्ति दर 4.4 Reportable Accidents on Board Ships and Frequency Rate

बंदरगाह	प्रतिवेद्य		आवृत्ति	न दर	Port
	दुर्घट	नाएं	Frequen	cy Rate	
	Repor	table			
	Accio	lents			
	2015-	2016-	2015-	2016-	
	2016	2017	2016	2017	
मुम्बई	15(1)	7	8.19	4.55	Mumbai
जवाहर लाल	0	0	0.00	-	J.N. Port
नेहरु पतन					
काण्डला	1(1)	1(1)	0.41	0.57	Kandla
मोर्मुगोआ	2(2)	1(1)	5.74	2.56	Mormugao
कोलकाता	7	3(1)	5.49	2.18	Kolkata
पारादीप	0	0	0.00	-	Paradip
विशाखापतनम	2	0	2.1	-	Vishakapatnam
चेन्नई	2(1)	0	1.77	-	Chennai
कोचीन	1	1	8.26	7.70	Cochin
नया मैंगलौर	1	1	4.53	3.92	New
					Mangalore
टूातीकोरन	0	0	0.00	<u>-</u>	Tuticorin

स्रोत : म०नि०का०स०से.एवं श्र०सं०

Source : DGFASLI कोप्डकों में दिये गए आंकडें घातक क्षतियों को दशति हैं और कुल दुर्घटनाओं की संख्या मे

Figures in brackets indicate no. of fatal accidents and are included in total no. of accidents.

5.1(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्य 5.1(a) Working of the Employees State Insurance Act सम्मिलित कारखानों एवं कर्मचारियों की संख्या No. of Factories & Employees covered (31 मार्च को) (as on 31st March)

	2016	2017	
केन्द्रों की संख्या	843	+	No. of Centres
सम्मिलित कारखानों की संख्या	783786	898138	No. of Factories covered
सम्मिलित कारखानों में कर्मचारियों की संख्या ('000 में)	18921	29321	No. of Employees in factories covered
(000 1)			(in 000's)
बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या ('000 में)	21362	31962	No. of Insured persons
पारिवारिक इकाइयों की संख्या (बीमाकृत व्यक्ति) ('000 में)	21362	31962	(in 000's) No. of Family Units (Insured Persons)
(000 1)			(in 000's)
सम्मिलित लाभान्वितों की संख्या ('000 में)	82884	124016	No. of beneficiaries covered (in 000's)

म्रोत: क० रा० बी० नि० Source : ESIC

⁺ गणना नहीं की जा रही है।

⁺Not compiled

5.1 (ख) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं उपस्थिति (31मार्च को) 5.1(b) ESI Dispensaries and Attendance (as on 31^{st} March)

	2016	2017	
औषधालयों की संख्या			No. of Dispensaries
पूर्णकालिक	1416	1445	Full Time
अंशकालिक	17	10	Part Time
चलते फिरते	18	8	Mobile
नियोजकों के उपयोग	16	26	Employer's
के लिये			Utilisation
उपस्थिति			Attendance
(क) संख्या (000 में)			a) Number (in 000's)
बीमाकृत व्यक्ति	20789	24008	Insured Persons
पारिवारिक सदस्य	22788	25886	Family members
(ख) प्रति हजार			b) Per thousand
बीमाकृत व्यक्ति	997	901	Insured Persons
पारिवारिक सदस्य	1093	971	Family members
अस्पतालों में दाखिल	3541686	3221941	Cases admitted in
किये मामले			Hospital
घर पर दौरा			Home Visits
बीमाकृत व्यक्ति	+	+	Insured Persons
पारिवारिक सदस्य	+	+	Family members
			स्रोत : क० रा० बी० नि०
. 2014 7			Source : ESIC

^{+ 2014} से अनुपलब्ध + Not available from 2014

5.1 (ग) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/उपगृष्टों/अन्य अस्पतालों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या (31मार्च को) 5.1(c) Number of Beds available in ESI Hospitals/ Annexes/ other Hospitals (as on 31st March)

	2016	2017	
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में			In ESI Hospitals
सामान्य	16015	16451	General
प्रसूति	2435	2315	Maternity
तपेदिक	1013	999	T.B.
उपगृह			In Annexes
सामान्य	375	375	General
प्रसूति	12	12	Maternity
तपेदिक	147	135	T.B.
अन्य अस्पतालों में			In Other Hospitals
सामान्य	2006	1996	General
प्रसूति	154	154	Maternity
तपेदिक	447	447	T.B.

म्रोत : क० रा० बी० नि०

5.1 (घ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमारी एवं प्रसूति लाभ (31 मार्च को) 5.1 (d) Sickness and Maternity Benefits under the ESI Scheme (as on 31 st March)

	2016	2017	•
बीमारी लाभ			Sickness Benefit
दी गई धन-राशि	25903	27521	Amount paid
(रुपये लाख में)			(Rs. in lakh)
औसतन दैनिक दर	261.72	251.43	Average daily rate
(रुपये)			(Rs.)
दीर्घकालीन लाभ			Extended Benefit
दी गई धन राशि	3653.84	3837.29	Amount paid
(रुपये लाख में)			(Rs. in lakh)
प्रसुति लाभ			Maternity Benefit
प्रसंवों की संख्या	31564	31365	No. of
			confinements
नियोजित प्रति 100	8.34	7.67	Rate of
महिला कर्मचारियों			confinement per
पर प्रसव दर			100 women
6			employees
प्रसूति लाभ के	893562	907192	Amount paid as
फलस्वरूप दी गुई			Maternity benefit
धन राशि (रुपये			(Rs.in 000's)
000' में)			
प्रति प्रसव पर दी	28310	28924	Average amount
गई औसत धनराशि			paid per
(रुपये)			confinement (Rs.)

स्रोत : क० रा० बी० नि०

5.1 (ङ)कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अन्तर्गत अंगहानि एवं

आश्रितों को लाभ (31 मार्च को) 5.1 (e) Disablement and Dependants Benefits under ESI Scheme (as on 31st March)

	2016	2017	
अस्थायी विकलांगता लाभ के फलस्वरूप दी गई धन-राशि (रु '000' में)	918842	987315	Amount of temporary disablement benefit paid (Rs.in 000's)
स्थायी विकलांगता के स्वीकृत मामलों की संख्या	12331	11692	No. of permanent disablement cases admitted
स्थायी विकलांगता लाभ का पंजीकृत मूल्य (रुपये 000' में)	2459821	257653	Capitalised value of permanent disablement benefit (Rs.in 000's)
मृत्यु मामलों की स्वीकृत संख्या	1890	1796	No. of death cases admitted
स्वीकृत आश्रित लाभ दावों का पंजीकृत मूल्य (रुपये 000' में)	1940573	1976094	Capitalised value of dependants benefit claims admitted (Rs.in 000's)

स्रोत : क० रा० बी० नि०

5.1(च) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आय एवं व्यय (31मार्च को) 5.1(f) Income and Expenditure of the ESI (as on 31^{st} March) (रुपये लाख में) (Rs. in lakh)

	2016	2017	
आय			Income
नियोजकों और कर्मचारियों	1145557	1363839	Contribution from
का अंशदान			both employer's
	••••	*****	and employee's
ब्याज एवं लाभांश	2807.60	2404.96	Interest and
	4020	5571	dividends Rent
किराया <u> </u>	4939	0071	10111
शुल्क व अर्थदण्ड	3376	3222	Fee & Fine
चिकित्सा शिक्षा	531.75	1432	Medical
			Education
विविध	2058	1849	Miscellaneous
व्यय			Expenditure
चिकित्सा लाभ	599567	612420	Medical Benefit
नकद लाभ	70398	151793	Cash Benefit
अन्य लाभ	251	245	Other Benefits
प्रशासनिक व्यय	139061	173204	Administrative
			expenses
अस्पतालों आदि के मूल्य	28326.48	13662.43	Provision for
हास मरम्मत और अनुरक्षण			depreciation of
के लिये व्यवस्था तथा			hospitals etc.,
आरक्षित निधि			repair and
जाराकारा । ।।।व			maintenance and
			reserve funds

म्रोत : क० रा० बी० नि०

5.2 (क) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के कार्य

(परिधि 31मार्च को) 5.2(a)Working of the Employees Provident Fund Scheme (Coverage as on 31st March)

	2015-16	2016-17	
सम्मितित प्रतिष्ठान वर्ग			Classes of Establishments covered
छूट प्राप्त	4365	4305	Exempted
अमुक्त	921932	1019883	Unexempted
योग	926297	1024188	Total
सदस्यों की संख्या (लाख में)			No. of Members (in lakh)
छूट प्राप्त	84.42	92.56	Exempted
अमुक्त	1629.72	1841.36	Unexempted
योग	1714.14	1933.92	Total

म्रोत : क० भ० नि० सं० Source : E.P.F.O

5.2 (ख) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अंशदाता एवं क्षेत्रवार परिधि (31 मार्च को)

5.2(b)Region-wise coverage and subscribers of the Employees' Provident Fund Scheme (as on 31st March)

क्षेत्र		गर्ने /		दस्य	Region
	प्रति	ष्ठाने	(लार	वों में)	
		ories/		nbers	
		shments		akhs)	
	2015 -16	2016- 17	2015- 16	2016- 17	
1	2	3	4	5	1
अ०नि० दीव समूह		776		0.35	A & N Islands
आन्ध्र प्रदेश	36928	39524	32.63	37.55	Andhra Pradesh
असम (अरुणाचल मिणपुर, मेजोरम, नागालैंड, सेक्कम, त्रेपुरा, नेघालय झहित)		15054		9.45	Assam (including Arunachal, Manipur, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripra & Meghalaya)
बिहार	11505	14542	10.39	12.36	Bihar
चण्डीगढ़		22321	••	31.60	Chandigarh
छत्तीसगढ	12171	13962	13.30	15 47	Chhattisgarh

सारणी 5.2 (ख) Table 5.2 (b)

		- 44.	710 C12 (D)		
1	2	3	4	5	1
दिल्ली	58568	62930	139.73	155.47	Delhi
गोवा	4515	4828	11.89	13.17	Goa
^गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीयु सहित	81605	88829^	134.20	152.60^	^Gujarat including Dadra & Nagar Haveli, Daman and Diu
हरियाणा	44571	48686	123.92	140.42	Haryana
हिमाचल प्रदेश	9960	13474	11.66	13.63	Himachal Pradesh
झारखण्ड	16924	18624	18.12	19.98	Jharkhand
कर्नाटक	65551	73196	201.61	224.97	Karnataka
^केरल लक्षदीव सहित	25728	27108^	26.36	29.74^	^Kerala including Laksha- dweep
मध्य प्रदेश	31492	36499	38.39	44.04	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	142910	159398	341.28	384.17	Maharashtra
ओडिशा	22383	25589	26.30	29.25	Odisha

	सारणी 5.2 (ख)						
	Table 5.2 (b)						
1	2	3	4	5	1		
पंजाब	42539	22874	56.36	30.51	Punjab		
राजस्थान	33194	37867	42.73	49.23	Rajasthan		
तमिलनाडु पुडुचेरी सहित	104369	111768	210.13	236.53	Tamil Nadu including puducherry		
तेलंगाणा	42666	46997	93.93	106.92	Telangana		
उत्तर प्रदेश	64423	72344	72.43	83.49	Uttar Pradesh		
उत्तराखण्ड	8497	9897	22.74	27.15	Uttarakhand		
पश्चिम बंगाल	52317	57101	77.37	85.86	West Bengal		

योग 926297 1024188 1714.14 1933.92 Total

स्रोत : क० भ० नि० स० Source : E.P.F.O

5.2 (ग) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अर्न्तगत प्राप्त अंशदान (31मार्च को)

5.2(c) Contributions received under Employees' Provident Fund Scheme (as on 31st March) (रूपये करोड़ में) (Rs. in crore)

	2015-16	2016-17	
वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अंशदान एवं अन्य प्राप्तियां			Total contribution and receipts during the year
छूट-प्राप्त	19509.73	16446.53	Exempted
अमुक्त	70236.17	81289.37	Unexempted
योग	89745.90	97735.90	Total
आरोही योग-			Progressive Total
छूट-प्राप्त	217444.15	233890.68	Exempted
अमुक्त	460147.86£	541437.23	Unexempted

म्रोत : क० भ० नि० सं०

Source : E.P.F.O

5.2 (घ) निधि निवेश और कर्मचारी भविष्य-निधि के सदस्यों को अनुमत ब्याज (31मार्च को)
5.2(d) Investment of Funds and Interest allowed to the Employees' Provident Fund Members (as on 31st March) (रुपये करोड़ में) (Rs. in crore)

	2015-16	2016-17	
क शूद्व निवेश			A Net Investment
1 छूट-प्राप्त			1 Exempted Estts.
प्रतिष्ठान			
वर्ष के दौरान	63137.02	54589.71	During the year
आरोही योग	304433.94	359023.65	Progressive Total
2 अमुक्त प्रतिष्ठान			2 Unexempted Estts.
वर्ष के दौरान	64481.85	71232.56	During the year
आरोही योग	443940.36	515172.92	Progressive Total
3 कुल निवेश -			3 Total
9			Investment
वर्ष के दौरान	127618.87	125822.27	During the year
आरोही योग	748374.43	874196.70	Progressive Total
<u>ख ब्याज की</u> अनुमानित दर	8.80	8.65	B Rate of Interest allowed (percent)
(प्रतिशत)			

म्रोत : क० भ० नि० सं०

Source: E.P.F.O

5.2 (ड़) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गयें ऋण एवं अग्रिम राशियों सहित धन-वापसी 5.2(e) Refunds including Loans and Advances Granted under the Employees' Provident Fund Scheme (रूपये करोड़ में) (Rs. in crore)

	2015-16	2016-17	
छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान वर्ष के दौरान	17095.51	23946.27	Exempted Estts. During the year
अमुक्त प्रतिष्ठान वर्ष के दौरान	30008.21	32867.01	Un-exempted Estts. During the year
कुल ऋण आदि वर्ष के दौरान	47103.72	56813.28	Total Loans, etc. During the year

स्रोत : क० भ० नि० सं० Source : E.P.F.O 5.2 (च) राज्यवार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गयें ऋण एवं अग्रिम राशियों सहित धन वापसी (31मार्च को) 5.2(f) State-wise Refunds including Loans and Advances Granted under the Employees' Provident Fund Scheme (as on 31st March) (रुपये करोड में) (Rs.in crore)

राज्य / क्षेत्र	2015-16	2016-17	State/Region
1	2	3	1
आन्ध्र प्रदेश	837.35	860.22	Andhra Pradesh
असम	222.33	203.69	Assam
बिहार	126.47	188.62	Bihar
छत्तीसगढ	213.64	74.54	Chhattisgarh
दिल्ली	2300.50	2313.54	Delhi
गोवा	198.88	202.29	Goa
गुजरात	1706.95	1621.09	Gujarat
हरियाणा	1595.94	1668.95	Haryana
हिमाचल प्रदेश	208.25	239.72	Himachal Pradesh
झारखण्ड	184.20	203.91	Jharkhand
कर्नाटक	2922.75	4407.68	Karnataka
केरल	1148.02	1247.49	Kerala

सारणी 5.2 (च) Table 5.2(f)

1	2	3	1
मध्य प्रदेश	680.36	837.43	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	7566.49	7920.23	Maharashtra
ओडिशा	414.23	495.26	Odisha
पंजाब	1117.65	1167.61	Punjab
राजस्थान	637.53	755.77	Rajasthan
तमिलनाडु	3288.94	3548.59	Tamil Nadu
तेलंगाना	1804.99	2127.47	Telangana
उत्तर प्रदेश	1192.12	1289.28	Uttar Pradesh
उत्तराखण्ड	289.21	313.58	Uttarakhand
पश्चिम बंगाल	1374.41	1180.06	West Bengal
योग	30031.22	32867.01	Total

स्रोत : क० भ० नि० सं० Source : E.P.F.O

5.2(छ) राज्यवार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत निर्णीत दावे और भुगतान की गई धनराशि (अमुक्त वर्ग) 5.2(g) State-wise Claims settled and Amount Paid under the Employees' Provident Fund Scheme (Unexempted Sector) (31 मार्च को) (As on 31st March)

राज्य / क्षेत्र	निर्णीत	त दावे	दी गई	धनराशि	State/ Region
	(000)' में)	(रुपए क	रोड़ में)	
		settled	Amou	nt Paid	
		00's)	(Rs.in		
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	
1	2	3	4	5	1
आन्ध्र प्रदेश	192.72	184.79	530.63	939.23	Andhra Pradesh
असम(NER)	39.69	35.58	172.62	139.26	Assam(NER)
बिहार	37.02	41.72	191.32	239.89	Bihar
चण्डीगढ		80.18		680.47	Chandigarh
छत्तीसगढ	56.42	56.78	200.13	294.36	Chhattisgarh
दिल्ली	462.97	489.13	2380.33	3301.27	Delhi
गोवा	40.00	32.72	195.13	221.21	Goa
गुजरात	427.32	423.42	1723.04	2325.78	Gujarat
हरियाणा	484.41	505.49	1447.47	2170.12	Haryana
हिमाचल प्रदेश	53.38	54.28	212.73	288.42	Himachal Pradesh
झारखण्ड	61.75	55.05	190.72	254.98	Jharkhand

सारणी 5.2 (छ) Table 5.2(g)

1	2	3	4	5	1
कर्नाटक	759.60	842.36	3443.41	2863.02	Karnataka
केरल	203.82	205.52	697.70	1368.19	Kerala
मध्य प्रदेश	175.93	175.57	645.04	998.03	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	1409.80	1377.22	7573.51	9768.02	Maharashtra
ओडिशा	124.21	138.38	599.98	702.93	Odisha
पंजाब	248.00	146.38	998.81	583.69	Punjab
राजस्थान	157.28	170.92	648.71	962.80	Rajasthan
तमिलनाडु	806.19	858.43	3101.56	4212.25	Tamil Nadu
तेलंगाना	402.89	404.34	1647.15	2770.14	Telangana
उत्तर प्रदेश	343.88	354.75	1187.33	1852.76	Uttar Pradesh
उत्तराखण्ड	95.05	86.86	232.97	343.63	Uttarakhand
पश्चिम बंगाल	272.21	290.90	1498.82	1832.88	West Bengal
योग	6854.51	7010.74	29519.12	39113.33	Total

स्रोत : क० भ० नि० सं० Source : E.P.F.O

5.2 (ज) कर्मचारी-भविष्य निधि योजना के अर्न्तगत प्रदान किया गया वापस न किये जाने वाला अग्रिम धन (अमुक्त वर्ग) 5.2(h) Non-Refundable Advances granted under the Employees' Provident Fund Scheme (Un-exempted Sector)

प्रयोजन	मामलों की	राशी	Purpose
	संख्या	Amoun	•
	No. of Cases	(रु० लाख	/
		(Rs. in La	/
1	2	3	1
	<u>2015</u>	<u>5-16</u>	
1 जीवन बीमा	27581	1444.01	1 Life Insurance
2 आवास	201668	411238.21	2 Housing
3 बीमारी	89565	40726.59	3 Illness
4 अस्थायी बंदी	10737	6032.5	4 Temporary Closure
5 लड़की की शादी और बच्चों की दसवीं के बाद शिक्षा	139474	107814.82	5 Daughter's marriage and post matriculation education of children
6 आपवादिक प्रकृति के कारण क्षतिग्रस्त सम्पति	0	0	6 Damaged property due to calamity of exceptional nature
7 कारखानों/ प्रतिष्ठानों में विद्युत आपूर्ति में कटौती	0	0	7 Cut in supply of Electricity to the Factory/ Estts.
8 विकलांग सदस्यों को अग्रिम राशि की मंजूरी	0	0	8 Grant of advance to members who are physically handicapped
9 अन्य	23558	47645.2	9 Others
योग	492583	614901.33	Total

सारणी 5.2 (ज) Table 5.2(h)

1	2	3	1			
<u>2016-17</u>						
1 जीवन बीमा	25173	1506.99	1 Life Insurance			
2 आवास	217613	410368.11	2 Housing			
3 बीमारी	94268	42182.86	3 Illness			
4 अस्थायी बंदी	11198	8155.16	4 Temporary Closure			
5 लड़की की शादी और बच्चों की दसवीं के बाद शिक्षा	126052	95676.32	5 Daughter's marriage and post matriculation education of children			
6 आपवादिक प्रकृति के कारण क्षतिग्रस्त सम्पति	0	0	6 Damaged property due to calamity of exceptional nature			
7 कारखानों / प्रतिष्ठानों में विद्युत आपूर्ति में कटौती	0	0	7 Cut in supply of Electricity to the Factory/ Estts.			
8 विकलांग सदस्यों को अग्रिम राशि की मंजूरी	0	0	8 Grant of advance to members who are physically handicapped			
9 अन्य	19268	38309.23	9 Others			
योग	493572	596198.67	Total			

म्रोत : क० भ० नि० सं०

Source : E.P.F.O

5.2(झ) कर्मचारी-भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत आय और व्यय 5.2(i) Income and Expenditure under the Employees' Provident Fund Organization (रुपये करोड में) (Rs. in crore)

	2015-16	2016-17	
1 आय			1 Income
क) प्रशासनिक प्रभार, निरीक्षण प्रभार और दण्डविषयक क्षतियां	3649.21	4058.71	a) Administrative charges, Inspection charges & Penal damages
ख) निवेशों पर ब्याज	1207.71	1456.45	b) Interest on investments
ग) सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन, प्रशासन व्यय की प्रतिपूर्ति			c)Reimbursement towards Family Pension, Administration Expenses by the Government
घ)अन्य लेखाओं से प्राप्ति	35.21	125.4	d) Receipt from other accounts
ड़) विविध प्राप्तियां	16.37	17.98	e) Misc. Receipt
कूल आय	4908.50	5658.54	Total Income
2 व्यय	2080.67	3708.63	2 Expenditure
3 अधिशेष	2827.83	1949.91	3 Surplus

स्रोत : क० भ० नि० सं०

Source : E.P.F.O

5.3 अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य 5.3 Working of the Mica Mines Labour Welfare Fund

	2015-16	2016-17	
निर्यात पर उपकर की दर (यथा-मूल्य प्रतिशत)	4.5	4.5	Rate of cess on exports (percent ad valorem)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(रुपये लाख में)	(Rs. in lakh)	
आय	273.00	0#	Income
व्यय			Expenditure
क) स्वास्थय	130.65	195.78	a) Health
ख) शिक्षा	70.77	83.26	b) Education
ग) आवास			c) Housing
र्घ) जल प्रदाय			d) Water supply
ङ) मनोरंजन	4.42	5.32	e) Recreation
च) प्रशासन	45.34	54.81	f) Administration
योग (क से च)	251.18	339.17	Total (a to f)
ेशेष निधि	2793.00	2453.83	Balance in Fund

म्रोत : म० नि० श्र० क०

Source: DGLW

वित मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 15(106)-B®/2016 दिनांक 27-07-2016 के निर्देशानुसार वित अधिनियम 2016 की पंद्रवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों/ प्रावधानों की निरस्तता द्वारा खनिज लोह/मेंगनीज अयस्क और चूना पत्थर एवं डोलोमाइट, अश्वक पर उपकर समाप्त कर दिया गया है।

As per directions vide Om No 15(106)-B\$/2016 dated 27-07-2016 of the Department of Economics Affairs, Ministry of Finance, ceases on Iron/Manganese Ore Chrome Ore and Limestone & Dolomite, Cine and Mica have been abolished by way of repeal of covering enactments/provisions as specified in the fifteenth schedule of the Finance Act 2016 with effect from 1st April 2016.

5.4 खनिज लोहा, मैंगनीज एवं क्रोम खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य 5.4 Working of Iron, Manganese and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund

	2015-16	2016-17	
निर्यात पर उपकर की	1.00+	1.00+	Rate of cess
दर (रुपये प्रति मिट्रिक	4.00++	4.00++	on export
टन)	6.00#	6.00#	(Rs. per
	(रूपये लाख में) (1	Rs. in lakh)	metric tonne)
आय	1671.00	0 #	Income
व्यय-			Expenditure
(क) स्वास्थय	848.11	948.64	a) Health
(ख) शिक्षा	223.74	174.12	b) Education
(ग) आवास	19.92	25.51	c) Housing
(घ) जल प्रदाय	0	0	d) Water supply
(ङ) मनोरंजन	26.50	21.63	e) Recreation
(च) प्रशासन	231.97	293.30	f) Adminis- tration
योग (कसेच)	1350.24	1466.20	Total (a to f)
शेष निधि	19249.67	12736.80	Balance in Fund

म्रोत : म० नि० श्र० क०

Source : DGLW

+ अयस्क लोहा Iron Ore # अयस्क क्रोम Chrome Ore

++ अयस्क मैंगनीज Manganese Ore

वित मंत्राालय, आर्थिक मामले विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 15(106)-B®/2016 दिनांक 27-07-2016 के निर्देशानुसार वित अधिनियम 2016 की पंद्रवी अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों/ प्रावधानों की निरस्तता द्वारा खनिज लोह/मेंगनीज अयस्क और चूना पत्थर एवं जोलोमाइट, अभ्रक पर उपकर समाप्त कर दिया गया है।

5 सामाजिक सुरक्षा		5 SOCIAL SECURITY
	सारणी 5.4	
	Table -5.4	

#As per directions vide Om No 15(106)-B\(\mathbb{R}\)\(\sigma\)2016 dated 27-07-2016 of the Department of Economics Affairs, Ministry of Finance, ceases on Iron/Manganese Ore Chrome Ore and Limestone & Dolomite, Cine and Mica have been abolished by way of repeal of covering enactments/provisions as specified in the fifteenth schedule of the Finance Act 2016 with effect from 1\(^a\) April 2016.

5.5 चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य 5.5 Working of the Limestone and Dolomite Mine Labour Welfare Fund

	2015-16	2016-17	
निर्यात पर उपकर	1.00	1.00	Rate of cess on
की दर (रुपये प्रति			export (Rs.per metric tonne)
मीद्रिक टन)			metric tonne)
	(रूपये लाख में)	(Rs. in lakh)	
आय	1460.00	0#	Income
व्यय			Expenditure
क) स्वास्थय	739.33	769.20	a) Health
ख) शिक्षा	23.47	36.35	b) Education
ग) आवास	58.92	45.03	c) Housing
घ) जल प्रदाय	0	0	d) Water supply
ङ) मनोरंजन	45.84	38.78	e) Recreation
च) प्रशासन	373.06	409.51	f) Adminis-tration
योग (क से च)	1241.62	1298.87	Total (a to f)
शेष निधि	11866.00	10167.13	Balance in fund

स्रोत : म० नि० श्र० क०

Source : DGLW

वित मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 15(106)=B\(\mathbb{R}\)\(\ma

As per directions vide Om No 15(106)-B\$/2016 dated 27-07-2016 of the Department of Economics Affairs, Ministry of Finance, ceases on Iron/Manganese Ore Chrome Ore and Limestone & Dolomite, Cine and Mica have been abolished by way of repeal of covering enactments/provisions as specified in the fifteenth schedule of the Finance Act 2016 with effect from 1st April 2016.

5.6 बीड़ी कर्मकार श्रम कल्याण निधि के कार्य 5.6 Working of the Beedi Workers' Labour Welfare Fund

	2015-16	2016-17	
उपकर की दर	5.00	5.00 upto	Rate of cess
(रुपये प्रति हजार)		09/09/16	(Rs. Per
,		8.00 w.e.f.	thousand)
		30/09/16##	
	(रूपये लाख में)	(Rs. in lakh)	
आय	15871.00	14129.00	Income
व्यय			Expenditure
क) स्वास्थय	8647.11	9447.10	a) Health
ख) शिक्षा	8358.33	7779.68	b) Education
ग) आवास	1384.81	2044.12	c) Housing
घ) जल प्रदाय	0	0	d) Water
			supply
ङ) मनोरंजन	15.41	9.72	e) Recreation
च) प्रशासन	1117.74	1362.25	f) Adminis-
	10522 40	20642.07	tration
योग (क से च)	19523.40	20642.87	Total (a to f)
शेष निधि	(-)35880.00	(-)38741.87	Balance in fund

म्रोत : म० नि० श्र० क०

Source: DGLW

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर 2016 के तहत बीडी पर उपकर 5 रुपये से बढ़ा कर 8 रुपये कर दिया गया है।

Cess on Beedi has been enhanced from Rs 5.00 to Rs. 8.00 vide Ministry of Labour & Employment Notification dated $30^{\rm th}$ September 2016.

5.7 सिनेमा कर्मकार श्रम कल्याण निधि के कार्य 5.7 Working of the Cine Workers Labour Welfare Fund

	2015-16	2016-17	
उपकर की दर (रूपये	20000+	20000+	Rate of cess (Rs.
प्रति फीचर फिल्म)	10000++	10000++	per feature film)
	(रूपये लाख में)	(Rs. in lakh)	
आय	173.00	0 #	Income
व्यय			Expenditure
क) स्वास्थय	144.45	204.53	a) Health
ख) शिक्षा	12.04	23.99	b) Education
ग) आवास	0	0	c) Housing
र्घ) जल प्रदाय	0	0	d) Water supply
ङ) मनोरंजन	0	0	e) Recreation
च) प्रशासन	1.02	1.09	f) Administration
योग (क से च)	157.51	229.61	Total (a to f)
शेष निधि	736.00	506.39	Balance in fund
			स्रोत : म० नि० श्र० क०

Source : DGLW

- + हिन्दी एवं अंग्रजी फीचर फिल्म + Hindi & English Feature Films
- ++ सभी अन्य भाषी फीचर फिल्म ++ All other language feature film

27-07-2016 के निर्देशानुसार वित अधिनियम 2016 की पंद्रवीं अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों/ प्रावधानों की निरस्तता द्वारा खनिज लोह/मेंगनीज अयस्क और चूना पत्थर एवं डोलोमाइट, अश्वक पर उपकर समाप्त कर दिया गया है।

As per directions vide Om No 15(106)-B®/2016 dated 27-07-2016 of the Department of Economics Affairs, Ministry of Finance, ceases on Iron/Manganese Ore Chrome Ore and Limestone & Dolomite, Cine and Mica have been abolished by way of repeal of covering enactments/provisions as specified in the fifteenth schedule of the Finance Act 2016 with effect from 1st April 2016.

5.8(क) कोयला खान भविष्य-निधि के कार्य (31 मार्च को) 5.8(a) Working of Coal Mines Provident Fund (as on 31 st March)

	2016	2017		
सिम्मिलित कोयला खाने और अनुपंगी संगठन (अविध के अन्त में)	893	900	Coal Mines and ancillary organizations covered (at the end of the period)	
सम्मिलित कर्मचारी (000 में)			Employees covered (in 000's)	
(क) पंजीकृत सदस्यता (अवधि के अन्त में)	5061	5080	a) Registered membership	
(जवाय के जन्म ग)			(at the end of period)	
(ख) वर्ष के दौरान जीवन सदस्यता	468	457	b) Life membership during the year	
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान (रुपये लाख में)			Contributions received during the year (Rs. lakh)	
क) अनिवार्य	480171.07	52236.66	a) Compulsory	
ख) स्वैच्छिक	14621.84	15422.3	b) Voluntary	

स्रोत : को० खा० भ० नि० आ० Source : CMPFC

5.8(ख) कोयला खान भविष्य निधि के कार्य (राज्यानुसार वितरण) 5.8(b) Working of Coal Mines Provident Fund (State-wise Distribution)

राज्य	अवधि के दौरान सजीव		State
	सदस्यता		
	Live member		
	2016	2017	
झारखण्ड	105587	98604	Jharkhand
पश्चिम बंगाल	61939	61946	West Bengal
मध्य प्रदेश	76718	80574	Madhya Pradesh
छत्तीसगढ़	55267	55857	Chhattisgarh
महाराष्ट्र	52745	45694	Maharashtra
आंध्र प्रदेश	71997	70299	Andhra Pradesh
असम	6261	6136	Assam
जम्मू एवं कश्मीर	1718	1714	Jammu & Kashmir
ओड़ीशा	34646	36661	Orissa
दिल्ली	123	112	Delhi
योग	467001	457597	Total

म्रोत : को० खा० भ० नि० आ० Source : CMPFC

 $5.8(\pi)$ कोयला खान भविष्य-निधि के अन्तर्गत प्रदान किये गए ऋण और अग्निम धन (31 मार्च को)

 $\begin{array}{c} \textbf{5.8(c) Loans and advances granted under the Coal} \\ \textbf{Mines Provident Fund Scheme} \ \ (as \ on \ 31^{st} \ March) \end{array}$

	2016	2017	
विवाह अग्रिम			Marriage Advance
(क)-संख्या	6055	6129	a) Number
(ख)-धनराशि (करोड रु में)	166.64	185.77	b) Amount (Rs.in crore)
पश्चीय दसवीं पास शिक्षा अग्रिम			Post Matriculation Education Advance
क)-संख्या	915	736	a) Number
ख)-धनराशि (करोड़ रु में)	10.76	9.81	b) Amount (Rs.in crore)
गृह निर्माण अग्रिम			House Building Advance
क)-संख्या	7101	4485	a) Number
ख)-धनराशि	371.64	275.47	b) Amount
(करोड़ रु में)			(Rs. in crore)

स्रोत : को० खा० भ० नि० आ०

Source : CMPFC

5.8 (घ) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत धन वापसी के

दावे (31मार्च को) 5.8(d) Claims for Refunds under the Coal Mines Provident Fund Scheme (as on 31st March)

-	2016	2017	
प्राप्त दावों की संख्या	32995	31061	No of claims
20 00 00 00 00 00	32993	31001	received
अस्वीकृत दावों की संख्या	62	10	No. of claims rejected/returned
निर्णित दावों की संख्या	32936	31007	No. of claims settled
वापस की गई धन राशि	5593.94	6007.79	Amount refunded
(रुपये करोड़ में)			(Rs. in crore)
आरोही योग			Progressive Total
निर्णीत दावे	1540	1571	Claims settled
('000 में)			(000's)
वापस की गई	47391.50	53399.29	Amount
धनराशि			refunded
(रुपये करोड़ में)			(Rs. in Crore)
लम्बित दावे	23	67	Claims pending

स्रोत : को० खा० भ० नि० आ०

Source : CMPFC

5.8 (इ.) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत आय एवं व्यय

5.8 (इ.) कोयला खान भावष्य-ानाथ पाठना कर्मा (31मार्च को) 5.8(e) Income and Expenditure under the Coal Mines Provident Fund Scheme (as on 31st March) (रुपये लाल में) (Rs. in lakhs)

	2016	2017	
आय			Income
प्रशासनिक प्रभार	16250.06	15367.56	Administra- tive charges
अन्य प्राप्तियां	21413.38	21596.18	Other receipts
योग	37663.44	36963.74	Total
व्यय	9664.94	13968.27	Expenditure
अधिशेष	27998.50	22995.47	Surplus
व्यय अनुपात	25.66	37.79	Expense ratio

स्रोत : को० खा० भ० नि० आ० Source : CMPFC

5.8(च) पारिवारिक पेंशन निधि लाभ (31मार्च को) 5.8(f) Family Pension Fund Benefits (as on 31^{st} March)

		मामलों व	नि संख्या			
	No. of Cases					
	2015-16	2016	2016-17	2017		
	के	तक	के	तक		
	दौरान	Upto	दौरान	Upto		
	During 2015-16	2016	During 2016-17	2017		
निर्णीत पारिवा- रिक पेंशन मामले	0	40776	0	40776	Family pension cases settled	
परिवारिक पेंशन स्कीम के अन्तर्गत निपटाए गए अन्य लाभों के दावे	0	104603	0	104603	Claims for other benefits under Family Pension Scheme settled	
पारिवा- रिक पेंशन मामले परिवारिक पेंशन स्कीम के अन्तर्गत निपटाए गए अन्य लाभों	0		0	104603	cases settled Claims fo other benefits under Family Pension Scheme	

स्रोत : को०खा०भ०नि०आ०

Source : CMPFC

1. नियोजन

1. Employment

सारणी 1.1:आंकड़े सभी कारखानों से सम्बन्धित हैं जो शक्ति प्रयोग के साथ 10 या अधिक कर्मकार एवं बिना शक्ति के प्रयोग से 20 या अधिक कर्मकार नियोजित करते हैं और वे प्रतिष्ठान जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अन्तर्गत कारखाना घोषित किया गया है।

Table 1.1: Statistics relate to all factories employing 10 or more workers with the aid of power and 20 or more workers without the aid of power and to the establishments declared as factories by State Governments under Section 85 of the Factories Act, 1948.

सारणी 1.2: प्रस्तुत आंकड़े राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से बागान श्रिमिक अधिनियम,1951 के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदनों/विवरणियों पर आधारित हैं एवं बागान श्रिमिकों का दैनिक औसत नियोजन दर्शाते हैं। आंकड़े केवल विवरणियां भेजने वाले बागानों/ईस्टेटों से सम्बन्धित हैं।

Table 1.2: Statistics furnished are based on the annual reports/returns received from States/Union Territories under the Plantations Labour Act, 1951 and the figures indicate average daily employment in Plantations. The employment data relate only to the plantations/estates submitted returns.

सारणी 1.3: इस सारणी में विभिन्न अधिनियमों के अर्त्तगत एकत्रित आंकडे प्रस्तुत किये गए हैं। ये आंकड़े परिवर्ती अनुक्रिया के कारण अपूर्ण हैं व तुलनात्मक नहीं है। यह सूचना विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्रित की गई है।

Table 1.3: The data collected under the various Acts are given in this table. The figures are not complete or comparable over time due to varying response rates from primary units from year to year. The information is submitted by various State Governments.

सारणी 1.4: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के संचालन का कार्य श्रम ब्यूरो को सौंपा गया। अब तक श्रम ब्यूरो द्वारा पांच वार्षिक रोजगार सर्वेक्षण आयोजित किये गए एवं रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। श्रम शक्ति की भागीदारी दर, कार्यशील जनसंख्या दर, और बेरोजगारी की दर का आकलन सामान्य प्राचार्य स्थिति के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक की आयु वर्ग वाले व्यक्तियों के लिये सामान्य प्राचार्य स्थिति -दृष्टिकोण पर आधारित के लिए निकाली गई है।

 $\textbf{Table 1.4:} \ \textbf{The ministry of Labour \& Employment entrusted the task of}$ conducting employment Unemployment surveys on annual basis to Labour Bureau. So far five annual employment surveys have been conducted by Labour Bureau and reports thereon released. Estimation of Labour Force Participation rate, Worker population rate, and Unemployment Rate are derived for persons aged 15 years and above based on Usual Principal Status Approach.

सारणी 1.5 श्रम ब्यूरो ने पहले चयनित श्रम गहन और निर्यात उन्मुख क्षेत्रों मे त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण आयोजिम किये थे। इन सर्वेक्षणों का प्रतिदर्श आकार 8 सेक्टरों में लगभग 2000 इकाइयों तक ही सीमित था जो परिधान सहित वस्त्र, धातु, ओटोमोबाइल, रत्न व आभूषण, परिवहन, आईटी/बीपीओ, चमड़ा और हथकरघा/ पावरलूम क्षेत्रों में जनवरी 2009 से भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव का आकलन करने के लिये किया गया। तब से श्रम ब्यूरो द्वारा ऐसे 28 सर्वेक्षण आयोजित किये जा चुके हैं और उनपर रिर्पोट भी जारी की गई है। सर्वेक्षण के परिणामस्वरुप पहले सर्वेक्षण (अक्तूबर , 2008 से दिसम्बर 2008) से लेकर 28वें सर्वेक्षण (अक्तूबर , 2015 से दिसम्बर 2015) तक चयनित सैक्टरों में कूल मिलाकर रोजगार 38.81 (व्यक्ति) है।

श्रम ब्यूरो द्वारा क्यू०ई०एस की नई श्रृंखला (अप्रैल 2016 में) विस्तारित कवरेज को बढ़ाते हुए ग्रुरू की गई। क्यू०ई०एस की नई श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य गैर कृषि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था के आठ महत्वपूर्ण क्षेत्रों विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रेस्टोरेंट और आईटी/बीपीओ जिनमे 10 या उससे अधिक 11179 ईकाइयों के प्रतिर्दश आकार के

साथे रोजगार के अनुमान प्रदान करना है तथा पिछली तिमाहियों में रोजगार की स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन को मापना है। जनवरिए 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान आयेजित 6वें वित्तीय जनगणना के अनुसार इन 8 सैक्टरों ने 10 ये उससे अधिक श्रमिकों वाली इकाईयों में कुल रोजगार का लगभग 81% रोजगार का निमाण किया। आज तक क्यू०ई०एस से संबंधित 7 रिपोट जारी की गई है।

Table 1.5 Labour Bureau earlier conducted Quarterly Employment Surveys in the selected labour intensive and export-oriented sectors. The sample size of this survey was limited to around 2000 units in 8 sectors viz. textiles including apparels, metals, gems & jewellery, automobiles, transport, IT/BPO, leather and handloom/ power loom to assess the effect of economic slowdown on employment in India since January, 2009. So far, twenty eight such surveys have been conducted by Labour Bureau and reports thereon released. According to the survey results, over all estimated employment in all the selected sectors has experienced a net addition of 38.81 lakh (persons) stating from the first survey (October, 2008 to December, 2008) till 28th survey (Oct., 2015 to Dec., 2015)

Labour Bureau initiated Revamped QES in April, 2016 by extending scope and coverage with the objective to measure relative change in employment situation over successive quarters in sizeable segment of Non-farm Industrial economy covering 8 major sectors viz. Manufacturing, Construction, Trade, Transport, Education, Health, Accommodation & Restaurant and IT/BPO having 10 or more workers with sample size of 11179 units. These 8 sectors constitute around 81 percent of the total employment of units with 10 or more workers as per the 6th Economic Census, conducted during January, 2013 to April, 2015. Till date, seven reports pertaining to QES have been released.

2. मजदूरी एवं उपार्जन

2. Wages and Earnings

सारणी 2.1 और 2.2: मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 उद्योगों में नियुक्त

कर्मकारों का मजदूरी का भुगतान नियमित करने, उन्हें मजदूरी के भुगतान में देरी का कारण और गैर कानूनी कटौतियों या न्याय असंगत देरी को दूर करने के तीव्र और प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया गया था। मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत 1982 में मजदूरी की उच्चतम सीमा 1,600/- रुपये निर्धारित की गई थी। यह सीमा दिनांक 9-11-2005 की अधिसूचना संख्यां 1577 के तहत 6,500/- रु० प्रतिमाह तक बढ़ाई गई थी तथा दिनांक 8-8-2007 की अधिसूचना 1380 के तहत 10,000/- रु० प्रतिमाह तक बढ़ाई गई थी और अधिसूचना एस औ 2260 (ई) दिनांक 11 सितम्बर 2012 के तहत 18000/- रुपये आगे बढ़ाई गई। 2013 व 2014 के आंकडें राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2008 के अनुसार संकलित किए गए हैं।

Tables 2.1 & 2.2 : The Payment of Wages Act, 1936 was enacted to regulate payment of wages to workers employed in industries and to ensure a speedy and effective remedy to them against illegal deductions and /or unjustified delay caused in paying wages to them. The wage ceiling under Payment of Wages Act, 1936 was fixed at Rs.1,600/- p.m. in 1982. This limit was enhanced to Rs. 6,500/-p.m.vide notification No 1577 dated 9.11.2005 and further enhanced to Rs 10,000/- p.m vide Notification No.1380 dated 8.8.2007. The wage ceiling has further been enhanced to Rs 18000/- vide notification No SO 2260(E) dated 11th September, 2012. The figures for 2013 and 2014 has been compiled as per National Industrial Classification 2008 .

सारणी 2.3: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 जहां श्रिमिक शोषण हेतु अतिसंवेदनशील है, ऐसे रोजगारो में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण / नियतकालिक संशोधन के लिए सुविधा उपलब्ध कराता है। न्युनतम मजदूरी पद्धित कर्मकारों के शोषण को दूर करने हेतु लाभकारी कार्य करती है, जहां अत्यधिक कम मजदूरी का भुगतान है और भिन्न भिन्न सामाजिक समुहों के निर्वाह स्तर में असमानताओं को कम करने में सहायता करती है। इससे न्यूनतम मजदूरी दरों में वैधानिकता के द्वारा संशोधित करती है। यह गरीबी कम करने में सहायता करती है। यह गरीबी कम करने में सहायता करती है। यह गरीबी कम करने में सहायता करती है।

Table 2.3: The Minimum Wages Act, 1948 provides for fixation/periodic revision of minimum wages in employments where labour is vulnerable to exploitation. The minimum wages system serves a useful purpose in preventing workers' exploitation in terms of payment of unduly low wage and helps in reducing inequalities in the standard of living of different social groups of workers by statutorily prescribing minimum wage rates. This helps in reducing poverty and improving the position of low paid wage earners in the sweated industries.

सारणी 2.4: कृषि और गैर-कृषि व्यवसायों के लिए औसत दैनिक मजदूरी दर-1974 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा स्थापित ग्रामीण खुदरा कीमतों पर तकनीकी कार्य समूह की सिफारिशों के अनुसरण में, श्रम ब्यूरो 20 राज्यों में 66 एनएसएस क्षेत्रों में निर्धारित 600 प्रतिदर्श गांवों से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के क्षेत्र संचालन प्रभाग द्वारा एकत्र किए गए आंकडों के आधार पर कृषि और गैर-कृषि व्यवसाय से संबन्धित औसत दैनिक मजदूरी दर डेटा का संकलन और रखरखाव कर रहा है। हालांकि ये मजदूरी दर आंकडे 1986-87 के बाद से एकत्रित किये जा रहे हैं, लेकिन उनका नियमित संकलन और प्रसार मई, 1998 से प्रारंभ हुआ। अक्टूबर, 2013 तक ग्यारह कृषि और सात गैर-कृषि व्यवसायों के लिए औसत दैनिक मजदूरी दर आंकडे (डेटा) एकत्र किये गये थे। हालांकि, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की सलाह पर सीएसओ द्वारा गठित कार्य समूह की सिफारिशों के बाद, मजदूरी दर डेटा अब 25 व्यवसायों (12 कृषि और 13 गैर-कृषि) के लिए एकत्र किया गया है। क्षेत्र से प्राप्त दैनिक मजदूरी दर डेटा पहले दिन के आठ कार्य घंटों के लिए सामान्यीकृत किया जाता है। इस सामान्य दैनिक मजदूरी दर का साधारण अंकगणितीय औसत 20 राज्यों में से प्रत्येक के लिए काम किया जाता है। सभी 20 राज्यों की मजदूरी दरों के कुल योग को उद्धरण (निवेदित) दरों की संख्या से विभाजित करके अखिल भारत स्तर पर औसत मजदूरी दरें प्राप्त की जाती हैं। उद्धरण की दरों में अन्तर के कारण विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को भुगतान की गई मजदूरी में विसंगता से बचने हेतु ये औसत केवल उन व्यवसायों तक ही सीमित हैं जहाँ उद्धरण की दरें पाँच या अधिक है। इस प्रकार माहवार औसत दैनिक मजदूरी दर राज्य स्तर पर और अखिल भारत स्तर पर भी विभिन्न स्रोतों के माध्यम से नियमित रूप से उपयोगकर्ताओं को जारी की जाती है।

Table 2.4: Average Daily Wage Rates for Agricultural and Nonagricultural occupations- In pursuance of the recommendations of the Technical Working Group on rural retail prices set up by the NSSO in 1974, Labour Bureau has been compiling and maintaining average daily wage rate date in respect of agricultural and non-agricultural occupations based on the data collected by the Field Operation Division of National Sample Survey Office (NSSO) from a fixed set of 600 sample villages spread over 66 NSS regions in 20 states. Though these wage rate data have been collected since 1986-87, their regular compilation and dissemination started w.e.f. May, 1998. The average daily wage rate data was collected for eleven agricultural and seven non-agricultural occupations till October, 2013. However, following the recommendations of the working group constituted by the CSO on advice of the National Statistical Commission (NSC), wage rate data is now being collected for 25 occupations (12 agricultural and 13 non-agricultural). The daily wage rate data received from the field are first normalized for eight working hours a day. The simple arithmetic average of these normalized daily wage rate is woked out for each of the 20 states. The average wage rate at all-India level are derived by dividing the sum total of wages of all the 20 states by the number of quotations. These average are restricted only to those occupations where the number of quotations are five or more in order to avoid the apparent inconsistency in wages paid to different categories of workers on account of differences in number of quotations. The month-wise average daily wage rates are thus worked out at State level and also at all-India level are released regularly to the users through various sources.

3. मू ल्य

3. Prices

औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 2001=100 पर जनवरी, 2006 सूचकांक से जारी किया गया, जिसने आधार 1982=100 पर पहली श्रंखलाओं का स्थान लिया। नई श्रंखलाओं में कई सुधार किए

गए, जैसे केन्द्रों की संख्या में 70 से 78 तक वृद्धि, बाजारों की संख्या में 226 से 289 तक वृद्धि तथा वस्तुओं में 328 से 392 तक वृद्धि। अन्य विवरण हेतु इंडियन लेबर जरनल के अप्रैल, 2006 के अंक का अवलोकन किया जाये।

सारणी 3.1 (क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2001=100 आधार पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वार्षिक औसत तथा मासिक अखिल भारतीय सामान्य और खाद्य सूचकांक चित्रित करती है। सारणी 3.1 (ख) केन्द्रवार वार्षिक औसत तथा 1982 और 2001 शृंखलाओं के बीच सभी केन्द्रों (सामान्य) के योजक घटक चित्रित करती है।

All-India Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on base: 2001=100 was introduced with effect from January, 2006 index, which replaced the earlier series on base: 1982=100. In the new series, various improvements were incorporated such as increase in the number of centres from 70 to 78, increase in number of markets from 226 to 289 and increase in number of items from 328 to 392. For further details reference may be made to April, 2006 issue of the Indian Labour Journal.

Table 3.1(a) depicts annual average of All-India Consumer Price Index Numbers and month-wise All India General and Food index for Industrial Workers on base 2001=100. Tables 3.1 (b) depicts Centre-wise Annual Averages and Linking Factors of all centres (General) between 1982 and 2001 series.

सारणी 3.2: कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों हेतु 1986-87=100 आधार पर उपभोक्ता मृत्य सूचकांक को इस सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

 Table 3.2 : Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural

 Labourers on base 1986-87=100 are presented in this table.

- 4. व्यवसाय संघ
- 4. Trade Unions

सारणी 4.1 तथा 4.2: ये आंकड़े व्यवसाय संघ अधिनियम,1926 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं विवरणियां भेजने वाले व्यवसाय संघों के हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। वर्ष-प्रतिवर्ष परिवर्तित अनुक्रिया के कारण इन आंकड़ों की परिधि भी अपूर्ण है।

Tables 4.1 & 4.2: The data refers to trade unions submitting returns and registered under the Trade Unions Act, 1926. The registration under the Act is not compulsory. The coverage of statistics is also incomplete due to varying response rate from year to year.

5. औद्योगिक विवाद

5. Industrial Disputes

सारणी 5.1 से 5.10: औद्योगिक विवादों के आंकड़े राजनीतिक अथवा सहानुभूतिपूर्ण हड़तालों को छोड़कर, कार्य स्थगन में परिणत विवादों से सम्बन्धित हैं जिनमें, 10 या अधिक कर्मकार अन्तर्ग्रस्त हुए हों।

6. दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

6. Accidents, Safety and Absenteeism

सारणी 6.1: कारखानों में क्षतियों के आंकड़े दुर्घटनाओं में क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के हैं। औद्योगिक दुर्घटनाओं से होने वाली केवल वही क्षतियां अंकित की जाती हैं, जिनके कारण क्षतिग्रस्त व्यक्ति 48 घण्टे या इससे अधिक अविध के लिए अपने काम पर उपस्थित न हो सकें। ये आंकड़े केवल विवरणियां भेजने वाले कारखानों के हैं।

Table 6.1: Figures of injuries in factories relate to number of persons receiving injuries as a result of accidents in factories. Only those injuries resulting from industrial accidents by reasons due to which persons affected are prevented from attending to work for a period of 48 hours or more. The data relate to only factories submitting returns.

सारणी 6.2: वार्षिक सर्वेक्षण उद्योग (एएसआई) सालाना सांख्यिकी अधिनियम, 2008 के तहत और 2011 में बनाए गए नियमों के तहत आयोजित किया जाता है और भारत में औद्योगिक सांख्यिकी का मुख्य स्रोत है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय {औद्योगिक सांख्यिकी विंग} {सीएसओ-आईएस विंग} एएसआई अनुसूची और श्रम ब्यूरो प्रक्रिया के भाग-1 के माध्यम से एकत्रित डेटा को संसाधित और प्रसारित करता है और भाग-1 और ब्लॉक-ए, बी और ई, और एएसआई अनुसूची भाग-2 के माध्यम से एकत्रित डेटा प्रसारित करता है। वार्षिक सर्वेक्षण उद्योग (श्रम भाग) को मुख्य उद्देश्य अनुपस्थित पर व्यवस्थित डेटाबेस बनाने के लिए और रिपे श्रम कारोबार/आय/रोजगार उद्योग और विनिर्माण उद्योगों में श्रम लागत, और र्दी} मजदूरी/वेतन जैसे श्रम लागत के विभिन्न घटकों का विश्वलेषण करने के लिए बोनस/भविष्य निधि/विनिर्माण उद्योगों में कल्याण व्यय आदि है।

एएसआई का दायरा रक्षा मंत्रालय, तेल भंडारण और वितरण इकाइयों, रेस्तरां और कैफे ओर तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों के नियंत्रण में प्रतिष्ठानों को छोड़कर देश में सभी पंजीकृत विनिर्माण प्रतिष्ठानों तक बढ़ाया गया है, जो बिक्री या विनियम के लिए कुछ भी नहीं पैदा कर रहे हैं। उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण, 2013-14 का भौगोलिक कवरेज पूरे देश में बढ़ा दिया गया है। एएसआई का कवरेज इस प्रकार बढ़ाया गया है: {ए} कारखानों अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम(i) और 2 एम(ii) के तहत पंजीकृत सभी कारखानों, जो बिजली का उपयोग करके प्रतिष्ठानों का उल्लेख करते हैं और 10 या अधिक श्रमिकों को ने नेपोजित करते हैं और जो बिजली का उपयोग नहीं करते हैं और शिछले 12 महीनों के किसी भी दिन 20 या उससे अधिक श्रमिकों को रोजगार देना, और [बी] बीड़ी और सिगार इकाइयां बिजली का उपयोग करके 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देना, और [बी] बीड़ी और सिगार इकाइयां बिजली का उपयोग करके 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार के एके हैं और सिगार श्रमिकों के तहत पंजीकृत हैं (रोजगार की शर्ती) अधिनियम, 1966।

Table 6.2: The Annual survey of Industries (ASI) is conducted annually under the Collection of Statistics Act, 2008 and the Rules framed there under in 2011 and are the principal source of Industrial Statistics in India.

The Central Statistics Office {Industrial Statistics Wing} {CSO-IS Wing} process and disseminate data collected through Part-I of ASI Schedule and Labour Bureau process and disseminate data collected through Block-A, B and E of Part-I and Part-II ASI Schedule. The Main objectives of the Annual Survey of Industries (Labour Part) are {a} to build a systematic database on Absenteeism; Labour Turnover; Earnings; Employment and Labour cost in Manufacturing Industries and {b} to analyse various components of Labour Costs such as Wage/Salary; bonus; Provident Funds; Welfare Expenses, etc. In manufacturing Industries.

The scope of the ASI is extended to all registered manufacturing establishments in the country except establishments under the control of the Defense Ministry, Oil storage and distribution units, restaurants and cafes and technical training institutions not producing anything for sale or exchange. The geographical coverage of the Annual Survey of Industries, 2013-14 has been extended to the entire country. The coverage of ASI is extended to: {a} all factories registered under sections 2m(i) and 2m(ii) of the Factories act, 1948 which refer to the establishments using power and employing 10 of more workers and those not using power and employing 20 or more workers on any day of the preceding 12 months, and {b} Bidi and cigar units employing 10or more workers using power and employing 20 or more workers not using power and registered under the Bidi and Cigar Workers (Conditions of employment) act, 1966.

7. सामाजिक सुरक्षा

7. Social Security

सारणी 7.1: ये आंकड़े कर्मचारी क्षतिपुर्ति अधिनयम, 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूरित क्षतियों से सम्बन्धित हैं। अधिसूचित रोजगारों में उन कर्मकारों की क्षतिपूर्ति की जाती है जिनकी दर्घटनाओं से मृत्यु हो गई हो या जो तीन दिन से अधिक के लिए असमर्थ हो गये हों। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में हुई क्षतियों के लिए क्षतिपुर्ति का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत ही किया जाता है, कर्मचारी क्षतिपुर्ति अधिनियम के अन्तर्गत नहीं। इन आंकड़ों का भौगोलिक क्षेत्र वर्ष प्रति वर्ष परिवर्तित होता रहा है। क्षतिपुर्ति की दरों में 18-01-2010

से बढोतरी की गई है।

Table 7.1: Data relate to compensated injuries under the Employees' Compensation Act, 1923. Compensation is payable to workers in scheduled employments in respect of accidents resulting in death or disablement for more than 3 days. Compensation in case of injuries in establishments covered by the Employees' State Insurance Act is paid under that Act and not under the Employees' Compensation Act. The geographical coverage of data has varied from year to year. The rates of compensation have been enhanced with effect from 18-01-2010.

सारणी 7.2: ये आंकड़े मातृत्व हितलाभ अधिनियम के अन्तंगत प्राप्त होने वाली वार्षिक विवरणियों पर आधारित हैं। जो प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के आवृत के अन्तर्गत आते हैं, उनमें प्रसूति लाभ का भुगतान इसी अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है न कि मातृत्व हितलाभ अधिनियम के अन्तर्गत। इन आंकड़ों का भौगोलिक क्षेत्र वर्ष प्रति वर्ष परिवर्तित होता रहा है।

Table 7.2: Data are based on annual returns under the Maternity Benefits Act. In establishments covered by the ESI Act, the maternity benefit is paid under that act and not under the Maternity Benefits Act. The geographical coverage of the figures has varied from year to year.

8. अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

8. International Comparison

सारणी 8.1 से 8.5 : इन साारणियों के आंकड़ें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वैबसाइट से लिए गये हैं। पाठकों से निवेदन है कि परिसीमाओं, परिधि, सर्वेक्षण ढंग, वर्गीकरण एवं अन्य विवरण से सम्बन्धित टिप्पणियों के लिए आई०एल०ओ० की वैबसाइट (www.ilo.org) के प्रासंगिक खण्डों का अवलोकन करें।

Tables 8.1 to 8.5: The data in these tables have been taken from the website of the International Labour Organisation. For notes regarding limitations, coverage, survey methods, classifications and other details, the readers are requested to refer to the relevant sections of the website of the International Labour Organisation (www.ilo.org).

सारणी 1.1 से 1.2

सारणी मे प्रस्तुत आंकड़ें भारत के महापंजीयक के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर आधारित है। 2011 जनगणना के अर्न्तगत 35 राज्य/ संघ शासित प्रदेश है। 2011 जनगणना के अनुसार 1 मार्च 2011, समय 0.00 को भारत की कल जनसंख्या 1210.85 मिलियन है जिस में से 833.75 मिलियन ग्रामीण जनसंख्या तथा 377.11 मिलियन शहरी जनसंख्या है।

Tables 1.1 to 1.2

Data furnished in Tables are based on the figures released by the Registrar General of India, Census 2011 covered 35 States/Union Territories. As per Census 2011, the total population of India at 0.00 hours on 1st March, 2011 is 1210.85 million. Of this the rural population is 833.75 million and the urban population is 377.11 सारणी 1.3

श्रम बल (लेबर फोर्स) :श्रम बल के अन्तर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो 'कार्यरत'(या नियोजित) थे या 'काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध'(या बेरोजगार) थे

कामगार (या नियोजित) : वे व्यक्ति कामगार माने गये जो किसी कार्यकलाप में लगे हो या जो किसी कार्यकलाप से सम्बद्ध होने के बावजूद रूग्णता, चोट या अन्य शारीरिक असमर्थता, खराब मौसम, उत्सव, सामाजिक या धार्मिक समारोह या अन्य आकिस्मिक स्थिति जिसमें अस्थाई अनुपस्थिति आवश्यक हो, कारणों से अपने कार्य से अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहे हों। पारिवारिक कृषि या गैर-कृषि आर्थिक कार्यकलापों के संचालन में सहयोग करने वाले अवैतनिक पारिवारिक सदस्य को भी कामगार माना गया।

काम की तलाश में या कार्य हेतु उपलब्ध (या बेरोजगार): जो व्यक्ति काम की कमी के कारण किसी कार्य में नहीं लग पाए परन्तु वे या तो रोजगार कार्यालय, मध्यस्थ, मित्रों या संबंधियों के द्वारा या भावी नियोजक को आवेदन देकर कार्य की खोज करते रहे या कार्य की वर्तमान शर्तों एवं पारिश्रमिक पर कार्य करने को

इच्छुक या उपलब्ध रहे हों।

Table 1.3

Labour Force : Persons who were either 'working' (or employed) or 'seeking or available for work' (or unemployed) constituted the labour force.

Workers (or employed): Persons who were engaged in any economic activity or who despite their attachment to economic activity, abstained from work for reason of illness, injury or other physical disability, bad weather, festivals, social or religious functions or other contingencies necessitating temporary absence from work, constituted workers. Unpaid household members who assisted in the operation of an economic activity in the household farm or non-farm activities were also considered as workers.

Seeking or available for work (or unemployed): Persons who, owing to lack of work, had not worked but either sought work through employment exchanges, intermediaries, friends or relatives or by making applications to prospective employers or expressed their willingness or availability for work under the prevailing conditions of work and remuneration.

2. नियोजन

2. Employment

सारणी 2.1: सार्वजिनिक क्षेत्र के नियोजन में रेलों में नियोजन शामिल है, परन्तु विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में काम करने वाले व्यक्ति तथा अंशकालिक कर्मकार इसमें शामिल नहीं हैं। सूचना न भेजने वाले प्रतिष्ठानों के लिये भी अनुमान लगाये गये है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)

Explanatory Notes (Part-II)

Table 2.1: Employment in public sector includes employment in Railways but excludes the Indian Missions abroad and part-time workers. Estimates have also been made for defaulting establishments.

सारणी 2.2: ये आंकडें केवल खान अधिनियम, 1952 की परिधी के अन्तर्गत आने वाली खानों से संबंधित है। सामान्यतः ये आंकडें उन्हीं खानों से सम्बन्धित हैं जो अपनी वार्षिक विवरणियां भेजते है। नियोजित व्यक्तियों की संख्या एवं खानों तथा खदानों से सम्बन्धित अन्य विषयों की सूचना (विशेष तौर पर छूट प्राप्त विषयों को छोड़कर) खान अधिनियम, 1952 के नियम व विनियम के अन्तर्गत बनाये गए सांविधिक प्रावधानों के तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय संग्रह करता है।

Table 2.2: The statistics relate only to mines covered under the Mines Act, 1952. The statistics generally relate to units furnishing their annual returns. Under the statutory provisions of the Mines act, 1952 and rules and regulations framed there under, the Directorate General of Mines Safety collects information regarding the number of persons employed and other matters relating to Mines and Quarries (except those especially exempted). सारणी 2.3 भारतीय रेलवे रोजगार में अनियत श्रमिकों के अतिरिक्त क्षेत्रीय रेलवे संरक्षण विशेष बल सिहत उन सभी पदाधिकारियों को शामिल किया गया है जो प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को चालू लाईन पर सभी प्रकार के एवं क्षेत्रीय रेलवे के निर्माण कार्य में रेलवे बोर्ड के कार्यालयों में तथा इसके अन्य संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों में काम कर रहे थे।

डाक विभाग और दूर संचार विभाग के नियोजन आंकड़े उन राजपत्रित अराजपत्रित तथा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों से सम्बन्धित है जो 31 मार्च को काम कर रहे थे।

बीमा में नियोजन के सम्बन्ध में भारतीय सामान्य बीमा सार्वजनिक क्षेत्र संघ तथा जीवन बीमा निगम के द्वारा सूचना प्रेषित की गई है।

बैंकों की सूचना अनुसूचित बैकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों और भारतीय रिजर्व बैंक में नियोजन से सम्बन्धित है ।

Table 2.3: Employment in Indian Railways includes all ranks as on 31st March each year on open line and construction on all zonal Railways and in the office of Railway Board and its attached and subordinate offices including Railway Protection Special Force but excluding casual labour.

Employment in Department of Posts and Telecommunication relates to gazetted, non-gazetted and extra Departmental Staff as on 31st March.

In respect of employment in Insurance the information has been furnished by the General Insurance Public Sector Association of India and Life Insurance Corporation.

The information on banks relates to employment on Scheduled Banks, Regional Rural Banks and Reserve Bank of India

सारणी 2.4 : विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन सूचकाकों के संकलन के लिए वांछित आंकड़े उपलब्ध न होने की स्थिति में यथासम्भव अनुमान लगाये गये हैं।

Table 2.4: In compiling the indices of employment in different sectors, estimates for non-response have been made wherever possible.

3. रोजगार सेवा एवं प्रशिक्षण

3. Employment Service and Training

सारणी 3.1. से 3.3: ये आंकड़े उन रोजगार कार्यालयों, विश्वविद्यालय रोजगार-सूचना ब्यूरो की सेवाओं पर आधारित है जिनकी स्थापना नौकरी की तलाश करने वाले व्यक्तियों के नाम पंजीकृत करने एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए की गई है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)

Explanatory Notes (Part-II)

Tables 3.1 to 3.3: Statistics are based on the working of Employment Exchanges, University Employment Information Bureaux set up for registering people who are seeking employment and securing employment for them.

सारणी 3.4: आंकड़े शिल्पकारों के प्रशिक्षण के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में उपलब्ध सूचना पर आधरित है। शिक्षु अधिनियम, 1961 के अर्न्तगत शिक्षुता प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

Table 3.4: Statistics are based on information available in DGE&T for training craftsmen under the Craftsmen Training Scheme of the DGE&T, Ministry of Labour and Employment. Apprenticeship Training is also imparted under the Apprentices Act, 1961.

सारणी 3.5: महानिदेशालय कारलाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान सुरक्षा अधिकारियों के लिए पांच श्रम संस्थानों में औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्ष के डिप्लोमा कोर्स और चिकित्सा अधिकारियों के लिए एसोसिएट फेलो आफ इन्डस्ट्रीयल हैल्थ पर तीन महीने के पाठयक्रम का केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुम्बई एवं क्षेत्रिय श्रम संस्थान फरीदाबाद में आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठानों के अनुरोध पर अपने विभिन्न विभागों एवं अन्य इकाइयों के द्वारा पांच श्रम संस्थानों और गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों में औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ एवं पर्यावरण पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करता है।

Table 3.5: The Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes conduct one year Diploma Course in Industrial Safety at five Labour Institutes for Safety Officers and 3 months Certificate course of Associate Fellow of Industrial Health at Central Labour Institute, Mumbai and Regional Labour Institute, Faridabad for Medical Officers. Besides this, it also conducts regularly training programmes on Industrial Safety, Health and Environment through its various divisions

and other related disciplines at the five Labour Institutes and Dock Safety Inspectorates on requests from establishments.

सारणी 3.6 : दत्तोपन्त थेन्गाडी राष्ट्रीय केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा व विकास बोर्ड (भूतपुर्व सी० बी० डब्ल्यू ई) के पास क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय निदेशालयों का एक नेटवर्क है, जिसमें संगठित, असंगठित, ग्रामीण, लघुमान और अनौपचारिक क्षेत्रों के कर्मकारों के लिए यूनिट/ग्राम स्तर के कर्मकार शिक्षा हेतु कार्यक्रम किए जाते हैं। भारतीय कर्मकार शिक्षा संस्थान, मुम्बई जो एक शींषस्थ प्रशिक्षण संस्थान है

भारतीय कर्मकार शिक्षा संस्थान, मुम्बई जो एक शीषस्थ प्रशिक्षण संस्थान है बोर्ड के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम और राष्ट्रीय महासंघों पर कार्यक्रम संचालित करता है। यह बोर्ड ग्रामीण जागृति कैम्प भी संचालित करता है, जिनमें भूमिहीन श्रमिक, जनजाति श्रमिक इत्यादि भाग लेते हैं। पंजीकृत व्यावसाय संघों और अन्य संस्थानों हेतु उनके अपने कर्मकार कार्यक्रमों के लिए बोर्ड सहायक अनुदान भी प्रदान करता है। उठठेंठरा०श्र०शि०वि०बो० ने भी मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार डी०बी०टी० को 01/01/2015 से लागू कर दिया है। बोर्ड द्वारा संचालित श्रमिक शिक्षा योजना के लिए प्रतिदिन के अनुसार पूरा भत्ता डी००बी०टी० के माध्यम से लाभार्थियों (श्रमिक) को वितरित किया जाता है।

Table 3.6 : The Dattopant Thengadi National Board for Workers Education & Development (erstwhile CBWE) has a network of Regional and Sub-Regional Directorates to undertake Workers Education Programmes at regional and unit/village level for workers in the organised, unorganised, rural, small scale and informal sectors. The Indian Institute of Workers Education, Mumbai an apex-Training Institute conduct national level training programmes and National Federations besides the training programmes for the Board's officers / officials. The Board also conducts Rural Awareness Camps being attended by landless labour, tribal labour etc.

The Board provides grants in aid to registered Trade Unions and other institutions for conducting their own Worker's Programmes.

The DTNBWED has also implemented DBT w.e.f 1/1/2015 as per the directives of the Ministry . In accordance to the per diem allowance is disbursed to the beneficiaries (workers) completely through DBT for the workers educations scheme run by the Borad.

4. दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

4. Accidents, Safety and Absenteeism

सारणी 4.1: रेलवे में होने वाली क्षतियों के आंकडों में भारतीय रेल कार्य से सम्बन्धित रेल-गाडियां एवं रेल-वाहनों के चलने के कारण और कर्मशालाओं में होने वाली क्षतियों की घटनाएं शामिल हैं। रेलवे कर्मचारी को उस समय क्षतिग्रस्त समझा जाता है, जब उसके कारण वह दुर्घटना होने के समय से अगले 48 घण्टों के दौरान काम पर आने में असमर्थ हो।

Table 4.1: The figures of injuries on Indian Railways are inclusive of those due to movement of trains and railway vehicles connected with railway working and in railway workshops. A railway employee is considered as injured when, because of that, he is prevented from attending to work during the next 48 hours after the occurrence of the accident.

सारणी 4.2: यह सारणी गम्भीर रुप से घायल व्यक्तियों और संघातको की संख्या दर्शाती है। गम्भीर शारीरिक क्षति को उसे माना जाता है जिसमें किसी भाग की स्थायी हानि अथवा शरीर के किसी खण्ड की या शरीर के किसी भाग अथवा खण्ड के उपयोग अथवा उसकी स्थायी क्षति या असमर्थता अथवा किसी हड्डी का टूटना अथवा हडिडओं के एक या अधिक जोडों या हाथ या पैर की उंगलियों के पोरों की हड्डियों का टूटना अथवा सर्व सम्पन्न समग्र रुप की संभाव्यता में सम्मिलत होंगें। संघातिक दुर्घटना वह होती हैं जिनमें कम से कम एक मृत्यु (संघातिकता) शामिल हो।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II) Explanatory Notes (Part-II)

Table 4.2: This table presents number of fatalities and number of persons seriously injured. A serious injury is taken as one which involves or in all probability will involve, the permanent loss of any part or section of a body or the use of any part or section of a body, or the permanent loss of or incapacity or the fracture of any bone or one or more joints of bones or any phalanges of hand or foot. Fatal accidents are those in which at least one death (fatality) is involved.

सारणी 4.3 और 4.4: डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम,1990 के विनियम,91 के अनुसार 'प्रतिवेदन' योग्य दुर्घटना डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम,1986 के अर्न्तगत वह है जिसमें या तो डॉक कर्मकार की मृत्यु हो जाए अथवा दुर्घटना से अगले 48 घण्टों के लिए वह अपने रोजगार का कार्य करने योग्य न रहे और जिसके लिए डॉक कर्मकारों के नियोजकों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भर कर निरीक्षक को नोटिस दिया जाना है।

यह अधिनयम और विनयम भारत के सभी मुख्य पत्तनों जैसे मुम्बई, कोलकाता, कोचीन, जवाहरलाल नेहरु पत्तन, कांडला, इन्नौर, चैन्नई, मोरमुगाओ, न्यू मेंगलौर, पारादीप, तूतीकोरन और विशाखापटनम पर लागू होते हैं और ये श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के महानिदेशालय, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान के द्वारा ग्यारह पत्तनों पर स्थापित डॉक सुरक्षा निरीक्षणालयों के माध्यम से प्रशासित किए जाते हैं। महा निदेशक डॉक सुरक्षा निरीक्षणालयों के मुख्य निरीक्षक भी हैं।

इन्नौर निरिक्षणालय अभी स्थापित नहीं हुआ है। तथापि इन्नौर पत्तन के प्रवर्तन का संचालन डॉक सुरक्षा निरीक्षणालय, चैन्नई से किया जा रहा है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-॥)

Explanatory Notes (Part-II)

Tables 4.3 & 4.4: A 'reportable' accident according to Regulation 91 of the Dock Workers' (Safety, Health & Welfare) Regulation, 1990 framed under the Dock Workers (Safety, Health & Welfare) Act, 1986, is one which either causes loss of life to a dock worker or disables him from work on which he is employed for more than 48 hours following the accident and for which notice is to be given to the inspector in a prescribed form by the employers of the dock workers.

These Acts and the Regulations apply to all major ports of India i.e. Mumbai, Kolkata, Cochin, Jawaharlal Nehru Port, Kandla, Ennore, Chennai, Mormugao, New Mangalore, Paradip, Tuticorin and Vishakapatanam and are administered by the Directorate General Factory Advice Service & Labour Institutes, Ministry of Labour and Employment, Government of India through the Inspectorates Dock Safety set up at the eleven major ports. The Director General DGFASLI is also the Chief Inspector of Dock Safety.

The Inspectorate at Ennore is yet to be set up. However, the enforcement at Ennore port is administered by Inspectorates Dock Sofety. Chappen

Safety, Chennai. 5. सामाजिक सुरक्षा

5. Social Security

सारणी 5.1: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 शक्ति से चलने वाले उन गैर-मौसमी कारखानों, जिन में 10 या अधिक कर्मचारी और शक्ति से न चलने वाले उन कारखानों जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी नियुक्त है, में लागू होता है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II) Explanatory Notes (Part-II)

अधिनियम में एक योग्य व्यवस्था है, जिसके अर्न्तगत 'उपयुक्त सरकार' अधिनियम की व्यवस्था अन्य श्लेणिओं की संस्थापनाओं-औद्योगिक, व्यापारिक, कृषिय एवं अन्य हेतु भी विस्तृत कर सकती है। इन व्यवस्थाओं के अर्त्तगत बहुत सी राज्य सरकारों ने इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को संस्थापनाओं की नई श्लेणिओं, दुकानों, होटलों, रेस्तराओं, सिनेमा तथा थिएटरों, सडक मोटर परिवहन उद्यमों और समाचार पत्र संस्थापनाओं, जिनमें 10 नियोजित अथवा अधिक कर्मकार हैं, में लागू किया गया है।

ई० एस० आई० स्कीम को शैक्षणिक संस्थाओं में भी लागू किया गया है एवं कुछ राज्यों द्वारा इससे संबंधित विज्ञप्तियां भी जारी की है। उन कारखानों/संस्थापनाओं के कर्मकार जिनकी मजदूरी 15,000 रु प्रतिमाह (01-05-2010 से प्रभावी) से अधिक नहीं हैं, उन्हें इस अधिनियम के अर्त्तगत शामिल किया गया है। तथापि मजदूरी की सीमा को 15000/- से 21000/- दिनांक 01-01-2017 से लागू कर दी गई है।

Table 5.1: The Employees' State Insurance Act, 1948 applies to non-seasonal power using factories employing 10 or more persons and non-power using factories employing 20 or more coverable employees for wages.

The Act contains an enabling provision under which the 'appropriate government' is empowered to extend the provisions of the Act to other classes of establishments – industrial, commercial, agricultural or otherwise. Under these provisions most of the State Govts. have extended the provisions of the Act to new classes of establishments namely shops, hotels, restaurants, cinemas including preview theatres, road motor transport undertakings and newspaper establishments employing 10 or more coverable employees.

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II) Explanatory Notes (Part-II)

The ESI Scheme has also been extended to Educational institutions and some of the States have already issued the notification in this regard. The employees of these factories/ establishments whose wages do not exceed Rs. 15,000 per month (w.e.f. 01-05-2010) are covered under the Act. Further the proposal for increasing the wage ceiling from Rs 15000/- to Rs 21000/- has been implemented w.e.f. 01-01-2017

सारणी 5.2 : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दुनिया का एक सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा प्रदाता है और कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को प्रशासित करता है। यह अधिनियम 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले परिभाषित वर्ग के उद्योगों पर लागू होता है। ईपीएफओ द्वारा तीन योजनायें कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन और कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा चलाई जा रही है। इस के अर्न्दगत आने वाले प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों जो 15,000 रुपये प्रति माह (01-09-2014 से) तक मजदूरी प्राप्त कर रहे है के लिये कानून के तहत दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक हैं। भविष्य निधि परिभाषित योगदान योजना पर आधारित है जहां कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनो अनिवार्य रुप से अपने अंश योगदान करते है।

परिभाषित योगदान और परिभाषित लाभ का एक मिश्रण पेंशन योजना बनाता है। कर्मचारियों को इस योजना के लिए योगदान करने की जरूरत नहीं है। बीमा योजना एक जमा से जुड़ी योजना है जो कि कर्मचारियों से किसी भी योगदान के बिना 6,00,000 रुपये (24-05-2016 से) तक का लाभ प्रदान करता है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)

Explanatory Notes (Part-II)

Table 5.2: The Employee's Provident Fund Organisation is one of the world's largest social security providers and administers the Employee's Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952. The Act applies to defined class of industries employing 20 or more employees. Three schemes run by EPFO are Employees' Provident Fund Scheme, Employees Pension, and Employee Deposit linked insurance. The covered establishments are required to statutorily comply in respect of all their employees drawing wages up to Rs 15,000 per month (w.e.f. 01-09-2014). Provident fund is based on defined contribution scheme where both the employees and the employer contribute their mandate share.

A mix of defined contribution and defined benefit forms the pension scheme. The employees do not have to contribute to this scheme. Insurance scheme is a deposit linked scheme that provides for benefits up to Rs 6,00,000/- w.e.f. 24-05-2016 without any contribution from employees.

सारणी 5.3 से 5.7: अश्रक, लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूनापत्थर और डोलोमाइट खानों, बीड़ी और सिनेमा उद्योगों में नियोजित कर्मकारों के लिए कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु श्रम कल्याण निधिआं सुजित की गई है। उत्पादन अथवा खपत अथवा खनिजों के निर्यात, रुपक फिल्मों के उत्पादन और निर्मित बीडियों पर उपकर की उगाही के द्वारा निधिआं सुजित की गई हैं। 1-4-2016 से खान एवं सिनेमा उद्योगों पर उपस्कर समाप्त कर दिया गया है।

Tables 5.3 to 5.7: Labour Welfare funds are created to provide welfare facilities to the workers employed in Mica, Iron Ore, Manganese Ore, Chrome Ore, Limestone and Dolomite mines, Beedi and Cine Industry.

The funds have been created by levy of cess on production or consumption or export of the minerals, production of feature films and manufactured beedis. Since 01-04-2016, cess on the mines and cine industry were abolished.

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II) Explanatory Notes (Part-II)

सारणी 5.8: कोयला खानों या उनसे संबद्ध कार्य में प्रत्यक्ष रूप में या ठेकेदारों द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मचारी के लिए चाहे उसकी मजदूरी की प्रमात्रा कुछ भी हो, कोयला खान भविष्य निधि का सदस्य बनाना आवश्यक है, यदि उसने कोयला खान में नियोजित होने की तारीख से 30 दिन की उपस्थित पूरी कर ली हो। अनिवार्य अंशदान की दर कुल परिलब्धियों का 12 प्रतिशत है। कर्मचारियों के अनिवार्य अंशदान की कुल राशि के बराबर अंशदान देना नियोजकों के लिए भी आवश्यक है। यदि सदस्य चाहें तो वे अनिवार्य अंशदान के अतिरिक्त स्वैच्छिक अंशदान के रूप में अधिकतम 12 प्रतिशत का और अधिक अंशदान कर सकते हैं।

कोयला खान पारिवारिक पैंशन स्कीम 1971 का परिचालन बन्द हो गया है और इसकी जगह नई कोयला खान पैंशन स्कीम 1998 को 31 मार्च, 1998 से लागू कर दिया गया है।

Table 5.8: Every employee in or connection with Coal Mines, whether employed directly or through contractors, is required to become a member of the Coal Mines Provident Fund Scheme on putting 30 days regular attendance from the date he is employed in a Coal Mine irrespective of the quantum of his wages. The rate of compulsory contribution is 12% of the total emoluments. Employers are required to contribute an amount equal to the compulsory contribution of the employees. Members, if so desire, may make further contributions maximum of 12% as voluntary contribution in addition to the compulsory contributions.

The Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 has ceased to operate and has been replaced by the new Coal Mines Pension Scheme, 1998 which has come into force with effect from the 31st day of March, 1998

ANNEXURE-A

अनुबन्ध-क राष्ट्रीय औद्योगिक यर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) (3 अंक स्तर तक) National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level) सारणीय वर्गीकरण एवं वर्गीकरण श्रेणी Classification Tabulation Category and Division

1		2
क A	कृषि, वन विद्या तथा मछली पकड़ना	Agriculture, forestry and fishing
01	फसल तथा पशु उत्पादन, आखेट तथा	Crop and animal production,
	संबंधित सेवा क्रियाकलाप	hunting and related service
	<u> </u>	activities
011	गैर बारहमासी फसलों की पैदावार	Growing of non-perennial crops
012	बारहमासी फसलों की पैदावार	Growing of perennial crops
013	पौध प्रवर्धन	Plant propagation
014	पशु उत्पादन	Animal Production
015	मिश्रित खेती	Mixed farming
016	कृषि तथा फसल कटाई के बाद के	Support activities to agriculture
	कार्यकलापों की सहायक गतिविधियां	and post-harvest crop activities
017	आखेट, ट्रैपिंग संबंधित गतिविधियां	Hunting, trapping and related
	c vc.	service activities
02	वन विद्या तथा लॉगिंग	Forestry and logging
021	सिलवीकलचर और अन्य वानिकी	Silviculture and other forest
	गतिविधियां	activities
022	लकडी काटना	Logging
023	गैर लकडी वन उत्पादों को इकठ्ठा	Gathering of non-wood forest
	करना	products
024	वानिकी के लिए सहायक सेवायें	Support services to forestry
03	मछली पकड़ना तथा जल संवर्धन	Fishing and Aquaculture
031	मछली पकडना	Fishing
032	जलकृषि	Aquaculture
ख B	खनन तथा उत्खनन	Mining and quarrying
05	कोयला तथा लिग्नाइट खनन	Mining of coal and lignite

	National Industrial Classification	
1		2
051	पत्थर के कोयले का खनन	Mining of Hard coal
052	लिग्नाइट खनन	Mining of lignite
06	कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस निकालना	Extraction of crude petroleum and natural gas
061	कच्चे तेल का अवतरण	Extraction of crude petroleum
062	प्राकृतिक गैस का अवतरण	Extraction of natural gas
07	धातु अयस्कों का खनन	Mining of metal ores
071	लौह अयस्कों का खनन	Mining of iron ores
072	गैर लौह धातु अयस्कों का खनन	Mining of non-ferrous metal ores
08	अन्य खनन एवं उत्खनन	Other mining and quarrying
081	पत्थर, रेत और मिटटी का उत्खनन	Quarrying of stone, sand and clay
089	खनन एवं उत्खनन क०औ०व०न०	Mining and quarrying n.e.c.
09	खनन सहायक सेवा क्रियाकलाप	Mining support service activities
091	पैटोलियम एवं प्राकृतिक गैस के खनन के लिए सहायक गतिविधियां	Support activities for petroleum and natural gas mining
099	अन्य खनन एवं उत्खनन के लिए सहायक गतिविधियां	Support activities for other mining and quarrying
πС	विनिर्माण	Manufacturing
10	खाद्य उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of food products
101	मांस का परिरक्षण एवं संसाधन	Processing and preserving of meat
102	मछली, कसटेशियनस व मौलस्क का परिरक्षण एवं संसाधन	Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs
103	फल एवं सब्जियों का संसाधन एवं परिरक्षण	Processing and preserving of fruit and vegetables
104	वसा तथा सब्जियों व पशु तेल का विनिर्माण	Manufacture of vegetable and animal oils and fats

	National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)
1		2
105	दुग्ध उत्पादों का विनिर्माण	Manufacture of dairy products
106	अनाज स्टार्च एवं स्टार्च संबंधी विनिर्माण	Manufacture of grain mill products, starches and starch products
107	अन्य खाद्य पदार्थ विनिर्माण	Manufacture of other food products
108	तैयार पशु आहार का विनिर्माण	Manufacture of prepared animal feeds
11	पेय पदार्थ विनिर्माण	Manufacture of beverages
110	पेय पदार्थ उत्पादन	Manufacture of beverages
12	तम्बाकू उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of tobacco products
120	तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन	Manufacture of tobacco products
13	वस्त्र विनिर्माण	Manufacture of textiles
131	बुनाई कताई एवं कपड़ा तैयार करना	Spinning, weaving and finishing of textiles
139	अन्य कपड़ा विनिर्माण	Manufacture of other textiles
14	परिधान विनिर्माण	Manufacture of wearing apparel
141	फर परिधान छोडकर अन्य परिधान विनिर्माण	Manufacture of wearing apparel, except fur apparel
142	फर से बने उत्पादों का विनिर्माण	Manufacture of articles of fur
143	बुनाई व क्रोशिए से बने परिधानों का विनिर्माण	Manufacture of knitted and crocheted apparel
15	चमड़ा तथा संबंधित उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of leather and related products

1	Transmit Industrial Classification	2
151	चमडा टैनिंग तथा ड्रैसिंग व चमडा परिधान, हैंडबैग जीनसाजी तथा साज आदि का विनिर्माण	Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery and harness; dressing and dyeing of fur
152	जूतों का विनिर्माण	Manufacture of footwear
16	फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी तथा कार्क उत्पादों का विनिर्माण स्ट्रा की वस्तुओं तथा प्लेटिंग सामग्री का विनिर्माण	Manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
161	आरा मिल व लकड़ी को रंदा मारना	Saw milling and planning of wood
162	लकडी के उत्पाद कार्क, स्ट्रा और पटि्टका सामग्री का विनिर्माण	Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials
17	कागज़ तथा कागज़ उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of paper and paper products
170	कागज तथा कागज से बने विनिर्माण	Manufacture of paper and paper products
18	अभिलिखित मीडिया मुद्रण एवं पुनरुत्पादन	Printing and reproduction of recorded media
181	छपाई तथा छपाई संबंधित अन्य गतिविधियां	Printing and service activities related to printing
182	रिकार्डिड मीडिया का पुन: विनिर्माण	Reproduction of recorded media
19	कोक तथा परिष्कृत पैट्रोलियम उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of coke and refined petroleum products
191	कोक ओवन उत्पादों का विनिर्माण	Manufacture of coke oven products

	National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)
1		2
192	परिष्कृत पैट्रोलियम विनिर्माण	Manufacture of refined petroleum products
20	रसायन तथा रसायनिक उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of chemicals and chemical products
201	मूल रासायन उत्पादन, उर्वरक एवं नाईद्रोजन मिश्रण, प्लास्टिक तथा	Manufacture of basic chemicals, fertilizer and nitrogen
	रासयनिक रबर का मूल रुप में विनिर्माण	compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms
202	अन्य रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	Manufacture of other chemical products
203	मानव निर्मित रेशों का विनिर्माण	Manufacture of man-made fibres
21	औषध, औषधीय रसायन तथा वानस्पतिक उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical
210	औषध, औषधीय रसायन तथा वनस्पतिक उत्पाद विनिर्माण	products Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products
22	रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of rubber and plastics products
221	रबड निर्मित वस्तुओं का विनिर्माण	Manufacture of rubber products
222	प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं का विनिर्माण	Manufacture of plastics products
23	अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of other non-metallic mineral products
231	शीशा एवं शीशा निर्मित वस्तुओं का विनिर्माण	Manufacture of glass and glass products
239	अन्य गैर धातु खनिजों का उत्पादन क०औ०व०न०	Manufacture of non-metallic mineral products n.e.c.
24	मूल धातु विनिर्माण	Manufacture of basic metals

	National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)
1		2
241	मूल लोहा एवं स्टील का विनिर्माण	Manufacture of basic iron and steel
242	मूल बहुमूल्य तथा गैर लौह धातुओं का विनिर्माण	Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals
243	धातुओं की ढलाई	Casting of metals
25	मशीनरी तथा उपकरणों को छोड़कर फैब्रिकेटिड धातु उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
251	ढांचागत धातु उत्पाद, टेंक, हौज तथा भाप जेनरेटर का विनिर्माण	Manufacture of structural metal products, tanks, reservoirs and steam generators
252	हथियार एवं गोला बारुद का विनिर्माण	Manufacture of weapons and ammunition
259	अन्य फैबरिकेटिड धातु विनिर्माण तथा संबंधित सेवा गतिविधियां	Manufacture of other fabricated metal products; metalworking service activities
26	कंप्यूटर, इलैक्ट्रानिक तथा आप्टीकल उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of computer, electronic and optical products
261	इलैक्टानिक कलपुर्जो का विनिर्माण	Manufacture of electronic components
262	कम्पयूटर एवं संबंधित यंत्रों का विनिर्माण	Manufacture of computers and peripheral equipment
263	दूरसंचार यंत्रों का उत्पादन	Manufacture of communication equipment
264	उपभोक्ता इलैक्टानिक का उत्पादन	Manufacture of consumer electronics
265	घड़ियां तथा दीवार घड़िआं, माप, परिक्षण, संचालन एवं नियन्त्रण उपकरण का विनिर्माण	Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment; watches and clocks

National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)		
1		2
266	प्रदीप्त, विद्युत औषधिय तथा विद्युत आरोग्यकर यंत्रों का विनिर्माण	Manufacture of irradiation, electro medical and electrotherapeutic equipment
267	दृष्टि यंत्रों एवं उपकरण का विनिर्माण	Manufacture of optical instruments and equipment
268	चुम्बकीय एवं दृष्टि संबंधी मिडिया का विनिर्माण	Manufacture of magnetic and optical media
27	विद्युत उपकरण विनिर्माण	Manufacture of electrical equipment
271	बिजली की मोटरें, जनरेटरों तथा ट्रांसफारमरों बिजली वितरण व नियंत्रण यंत्रों का विनिर्माण	Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus
272	बैटरी सैल तथा संचायक का विनिर्माण	Manufacture of batteries and accumulators
273	विजली के तार तथा तार यन्त्र का विनिर्माण	Manufacture of wiring and wiring devices
274	विद्युत रोशनी संबंधित यंत्रो का विनिर्माण	Manufacture of electric lighting equipment
275	घरेलू यंत्र विनिर्माण	Manufacture of domestic appliances
279	अन्य विद्युत उपकरणों का विनिर्माण	Manufacture of other electrical equipment
28	मश्रीनरी तथा उपकरण विनिर्माण क०औ०व०न०	Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
281	सामान्य प्रयोजन मशीनरी का विनिर्माण	Manufacture of general purpose machinery
282	विशेष प्रयोजन मशीनरी का विनिर्माण	Manufacture of special-purpose machinery

	National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)		
1		2	
29	मोटर वाहन, ट्रेलर तथा सैमी ट्रेलर विनिर्माण	Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers	
291	मोटर वाहन विनिर्माण	Manufacture of motor vehicles	
292	मोटर वाहनों की बाडी ;कोच कार्यद्ध का विनिर्माण ट्रैलर व सैमी ट्रैलर का विनिर्माण	Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi- trailers	
293	मोटर वाहनों के कलपुर्जों का विनिर्माण	Manufacture of parts and accessories for motor vehicles	
30	अन्य परिवहन उपकरण विनिर्माण	Manufacture of other transport equipment	
301	समुद्री जहाजों व नावों का विनिर्माण	Building of ships and boats	
302	रेलवे लोकोमोटिव एवं रोलिंग स्टाक विनिर्माण	Manufacture of railway locomotives and rolling stock	
303	हवाई जहाज व अंतरिक्ष यानों का एवं संबंधित मशीनरी का विनिमीण	Manufacture of air and spacecraft and related machinery	
304	हथियार और गोलाबारुद का विनिर्माण	Manufacture of weapons and ammunition	
309	यातायात संबंधी उपकरणों का विनिर्माण क०औ०व०न०	Manufacture of transport equipment n.e.c.	
31	फर्नीचर विनिर्माण	Manufacture of furniture	
310	फर्नीचर विनिर्माण	Manufacture of furniture	
32	अन्य विनिर्माण	Other manufacturing	
321	आभूषण, बिज्यूटरी तथा संबंधित वस्तुओं का विनिर्माण	Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles	
322	वाद्ययंत्रों का विनिर्माण	Manufacture of musical instruments	
323	खेलकूद संबंधी सामान का विनिर्माण	Manufacture of sports goods	

1		2
324	खिलौना एवं खेलों का विनिर्माण	Manufacture of games and toys
325	आर्युविज्ञान एवं दन्त चिकित्सा औजारों	Manufacture of medical and
	का विनिर्माण एवं आपूर्ति	dental instruments and supplies
329	अन्य विनिर्माण क०औ०व०न०	Other manufacturing n.e.c.
33	मशीनरी तथा उपकरणों की मरम्मत	Repair and installation of
	तथा स्थापना	machinery and equipment
331	फैबरिकेटिड धातु उत्पादों, मशीनरी तथा	Repair of fabricated metal
	उपकरण की मरम्मत	products, machinery and
	370 00	equipment
332	औद्योगिक मशीनरी एवं उपकरणें की	Installation of industrial
- D	स्थापना	machinery and equipment
घ D	विद्युत, गैस, भाप तथा वातानुकूलन आपूर्ति	Electricity, gas, steam and air conditioning supply
35	जापूरत विद्युत, गैस, भाप तथा वातानुकूलन	Electricity, gas, steam and air
33	आपूर्ति	conditioning supply
351	विद्युत शक्ति उत्पादन, संचारण तथा	Electric power generation,
	वितरण	transmission and distribution
352	घरेलू फार्म द्वारा गैस निर्माण, गैसीय	Manufacture of gas; distribution
	ईंधन का वितरण	of gaseous fuels through mains
353	भाप तथा वातानुकुल आपूर्ती	Steam and air conditioning supply
<u>ਵ</u> . E	जल आपूर्ति मल जल निकासी,	Water supply; sewerage, waste
	अपिशाष्ट्र प्रबन्धन तथा उपाय	management and remediation
	गतिविधियां	activities
36	जल संग्रहण, अभिक्रिया तथा आपूर्ति	Water collection, treatment and
260		supply
360	जल संग्रहण, उचपार तथा वितरण	Water collection, treatment and
37	मल निकासी	supply Sewerage
31	TO THE PART	Dewelage

	National industrial Classification (
1		2
370	मल निकासी	Sewerage
38	अपशिष्ट संग्रहण, अभिकिया तथा	Waste collection, treatment and
	निपटान कार्य ; सामग्री की पुन: प्राप्ति	disposal activities; materials recovery
381	अपशिष्ट संग्रह	Waste collection
382	अपशिष्ट उपचार और निपटान	Waste treatment and disposal
383	सामग्री वसूली	Materials recovery
39	उपाय गतिविधियां तथा अन्य अपशिष्ट	Remediation activities and other
	प्रबन्धन सेवाएं	waste management services
390	उपचार गतिविधियां तथा अन्य अपशिष्ट	Remediation activities and other
	प्रबंधन सेवायें	waste management services
च F	निर्माण	Construction
41	भवन निर्माण	Construction of buildings
410	भवनों का निर्माण	Construction of buildings
42	सिविल इंजीनियरिंग	Civil engineering
421	रेलवे एवं सडकों का निर्माण	Construction of roads and
		railways
422	उपयोगी परियोजनाओं का निर्माण	Construction of utility projects
429	अन्य सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं	Construction of other civil
	का विनिर्माण	engineering projects
43	विशेषीकृत निर्माण गतिविधियां	Specialized construction activities
431	विध्वंस और साईट की तैयारी	Demolition and site preparation
432	बिजली पाइपलाइन और अन्य निर्माण	Electrical, plumbing and other
	स्थापना गतिविधियां	construction installation activities
433	भवनों को पुरा करना एवं परिष्करण	Building completion and finishing
	करना	

1		2
439	अन्य विशेषीकृत निर्माण गतिविधियां	Other specialized construction activities
छ G	थोक तथा खुदरा व्यापार मोटर वाहनों	Wholesale and retail trade;
	तथा मोटर साइकिलों की मरम्मत	repair of motor vehicles and
45	थोक तथा खुदरा व्यापार एवं मोटर	motorcycles Wholesale and retail trade and
	वाहनों तथा मोटर साइकिलों की मरम्मत	repair of motor vehicles and
	> 000	motorcycles
451	मोटर वाहनों की बिक्री	Sale of motor vehicles
452	मोटर वाहनों का रखरखाव एवं मरम्मत	Maintenance and repair of motor
452		vehicles
453	मोटर वाहन कल पुर्जे एवं अतिरिक्त सामान की बिक्री	Sale of motor vehicle parts and accessories
454	मोटर साइकिल एवं संबंधित कल पूर्जे	***************************************
434	तथा अतिरिक्त सामानों की मरम्मत. रख	Sale maintenance and repair of motorcycles and related parts and
	रखाव एवं बिक्री	accessories
46	मोटर वाहनों तथा मोटर साइकिलों को	Wholesale trade, except of motor
40	छोडकर थोक व्यापार	vehicles and motorcycles
461	अनुबंध या भूल्क कें आधार पर थोक	Wholesale on a fee or contract
	बिक्री	basis
462	कृषिगत कच्चेमाल एवं जीवित पशुओं की	Wholesale of agricultural raw
	थोक बिक्री	material and live animals
463	खाद्य पेय एवं तम्बाकू की थोक बिक्री	Wholesale of food, beverages and
		tobacco
464	घरेलु सामान की थोक बिक्री	Wholesale of household goods
465	म्शीन्री , उपकरण और आपूर्ति की	Wholesale of machinery,
	थोक बिक्री	equipment and supplies
466	अन्य विशेषीकृत थोक बिकी	Other specialized wholesale

1		2
469	गैर विशेषीकृत थोक व्यापार	Non specialized wholesale trade
47	मोटरवाहनों तथा मोटर साइकिलों को	Retail trade, except of motor
	छोड़कर खुदरा व्यापार	vehicles and motorcycles
471	गैर विशेषीकृत दुकानों में खुदरा बिक्री	Retail sale in non specialized stores
472	विशेषीकृत दुकानों में खाद्य, पेय एवं	Retail sale of food, beverages and
	तम्बाकू की बिक्री	tobacco in specialized stores
473	विशेषीकृत दुकानों में मोटर वाहन ईंधन की खुदरा बिकी	Retail sale of automotive fuel in specialized stores
474	विशेषीकृत दुकानों में सूचना एवं संचार	Retail sale of information and
.,.	उपकरणों की खुदरा बिकी	communication equipments in
	grania	specialized stores
475	विशेषीकृत दुकानों में अन्य पारिवारिक	Retail sale of other household
	उपकरणों की खुदरा बिकी	equipment in specialized stores
476	विशेषीकृत दुकानों में सांस्कृतिक एवं	Retail sale of cultural and
	मनोरंजन के सामान की खुदरा बिक्री	recreation goods in specialized
	9	stores
477	विशेषीकृत दकानों में अन्य सामान की	Retail sale of other goods in
	खुदरा बिक्री	specialized stores
478	स्टालों एवं बाजार के माध्यम से खुदरा	Retail sale via stalls and markets
	बिक्री	
479	भण्डारों, स्टालों अथवा बाजारों में न	Retail trade not in stores, stalls or
	किया गया खुदरा व्यापार	markets
जH	यातायात तथा भंडारण	Transportation and storage
49	थल परिवहन तथा नल तन्त्र परिवहन	Land transport and transport via
		pipelines
491	रेल के माध्यम से परिवहन	Transport via railways
492	अन्य भृमि परिवहन	Other land transport
	<i>o</i> .	

National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)		
1		2
493	नल तंत्र परिवहन	Transport via pipeline
50	जल परिवहन	Water transport
501	समुद्र और तटीय जल परिवहन	Sea and coastal water transport
502	अन्तर्देशीय जल परिवहन	Inland water transport
51	वायु परिवहन	Air transport
511	यात्री हवाई परिवहन	Passenger air transport
512	भाडा हवाई परिवहन	Freight air transport
52	परिवहन हेतु गोदाम तथा सहायक गतिविधियां	Warehousing and support activities for transportation
521	माल भंडारण एवं संग्रहण	Warehousing and storage
522	यातायात सहायक गतिविधियां	Support activities for
		transportation
53	डाक तथा कोरियर क्रियाकलाप	Postal and courier activities
531	डाक गतिविधियां	Postal activities
532	कोरियर गतिविधियां	Courier activities
झ I	आवास तथा खाद्य सेवा गतिविधियां	Accommodation and Food service activities
55	आवास	Accommodation
551	अल्पकालिक आवास गतिविधियां	Short term accommodation
552	**************************************	activities
332	कैंमपिंग मैदान, मनोरंजन वाहक पार्क एवं ट्रेलर पार्क	Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks
559	अन्य आवास	Other accommodation
56	खाद्य तथा पेय पदार्थ सेवा गतिविधियां	Food and beverage service
		activities
561	रेस्तरां और मोबाईल भोजन सेवा गतिविधियां	Restaurants and mobile food service activities

1		2
562	इवेंट खानपान एवं अन्य खाद्य सेवा गतिविधियां	Event catering and other food service activities
563	पेय सेवा गतिविधियां	Beverage serving activities
ञ J	सूचना तथा संचार	Information and communication
58	प्रकाशन गतिविधियां	Publishing activities
581	पुस्तकों पत्रिकाओं के प्रकाशन एवं अन्य प्रकाशन गतिविधियां	Publishing of books, periodicals and other publishing activities
582	साफटवेयर प्रकाशन	Software publishing
59	चलचित्र, दृश्य तथा टेलीविज़न कार्यक्रम उत्पादन, आवाज़ रिकार्डिंग तथा संगीत प्रकाशन गतिविधियां	Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities
591	चलचित्र, विडियों एवं टीवी कार्यक्रम गतिविधियां	Motion picture, video and television programme activities
592	घ्वनि रिकार्डिंग और संगीत प्रकाशन गतिविधियां	Sound recording and music publishing activities
60	प्रोग्रामिंग तथा प्रसार क्रियाकलाप	Programming and Broadcasting activities
601	आकाशवाणी प्रसारण	Radio broadcasting
602	टीवी प्रोग्राम एवं प्रसारण गतिविधियां	Television programming and broadcasting activities
61	दूरसंचार	Telecommunications
611	तारयुक्त दूरसंचार गतिविधियां	Wired telecommunications activities
612	बेतार दूरसंचार गतिविधियां	Wireless telecommunications activities
613	उपग्रह दूरसंचार गतिविधियां	Satellite telecommunication activities

	National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)
1		2
619	अन्य दूरसंचार गतिविधियां	Other telecommunications activities
62	कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सलाहकारी और संबंधित गतिविधियां	Computer programming, consultancy and related activities
620	कम्पयुटर प्रोग्रामिंग, सलाह-कारी और संबंधित गतिविधियां	Computer programming, consultancy and related activities
63	सूचना सेवा गतिविधियां	Information service activities
631	आंकडें प्रक्रिया, होस्टिंग एवं संबंधित गतिविधियां, वैब पीटल	Data processing, hosting and related activities; web portals
639	अन्य सूचना सेवा गतिविधियां	Other information service activities
ਟ K	वित्तीय तथा बीमा गतिविधियां	Financial and insurance activities
64	बीमा तथा पेंशन निधिकरण को छोड़कर वित्तीय तथा सेवा गतिविधियां	Financial service activities, except insurance and pension funding
641	मौद्रिक मध्यस्थता	Monetary intermediation
642	होलडिंग कम्पनी की गतिविधियां	Activities of holding companies
643	द्रस्ट फंड और अन्य वित्तीय वाहन	Trusts, funds and other financial vehicles
649	बीमा एवं पेन्शन फंड के अतिरिक्त अन्य वित्तीय सेवा गतिविधियां	Other financial service activities, except insurance and pension funding activities
65	आवश्यक सामाजिक सुरक्षा को छोड़कर बीमा, पुन: बीमा तथा पेंशन निधिकरण	Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security
651	बीमा	Insurance
652	पुन: बीमा	Reinsurance
653	पेन्शन वित पोषण	Pension funding

1		2
66	अन्य वित्तीय क्रियाकलाप	Other financial activities
661	बीमा एवं पेन्शन के वित्तपोषण के अतिरिक्त वित्तीय सेवा की सहायक	Activities auxiliary to financial service activities, except
	गतिविधियां	insurance and pension funding
662	बीमा एवं पेन्शन के वित पोषण लिये सहायक गतिविधियां	Activities auxiliary to insurance and pension funding
663	कोष प्रबंध कार्यकलाप	Fund Management Activities
ਰ L	स्थावर सम्पदा गतिविधियां	Real estate activities
68	स्थावर सम्पदा गतिविधियां	Real estate activities
681	स्वंय की या पट्टे पर संपंति के साथ अचल/वास्तविक संपंति की गतिविधियां	Real estate activities with own or leased property
682	शुल्क या अनुबन्ध के आधार पर स्थावर संपदा गतिविधियां	Real estate activities on a fee or contract basis
₹ M	व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी	Professional, scientific and
	गतिविधियां	technical activities
69	कानूनी तथा लेखा गतिविधियां	Legal and accounting activities
691	कानूनी गतिविधियां	Legal activities
692	लेखा, बहीखाता एवं लेखा परीक्षा गतिविधियां,कर परार्मश	Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax
	गातायावया,कर परामश	consultancy
70	मुख्यालय के क्रियाकलाप प्रबंधन परामर्श	Activities of head offices;
	गतिविधियां	management consultancy
701	मुख्य कार्यालय की गतिविधियां	activities Activities of head offices
702	प्रबंधन परार्मश गतिविधियां	Management consultancy
		activities

1		2
71	वास्तुशिल्प तथा अभियांत्रिकी क्रियाकलाप, तकनीकी जांच तथा विश्लेषण	Architecture and engineering activities; technical testing and analysis
711	वस्तुशिल्प एवं अभियंत्रिक गतिविधियां और संबंधित तकनीकी परामर्श	Architectural and engineering activities and related technical consultancy
712	तकनीकी जांच एवं विश्लेषण	Technical testing and analysis
72	वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्रगति	Scientific research and development
721	प्राकृतिक विज्ञान एवं अभियंत्रिक पर अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास	Research and experimental development on natural sciences and engineering
722	सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी पर अनुसंधान एवं प्रयोगात्मक विकास	Research and experimental development on social sciences and humanities
73	विज्ञापन तथा बाजार अनुसंधान	Advertising and market research
731	विज्ञापन	Advertising
732	बाजार अनुसंधान एवं जनमत मतदान	Market research and public opinion polling
74	अन्य व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां	Other professional, scientific and technical activities
741	विशेष डिजाइन गतिविधियां	Specialized design activities
742	छायाचित्र गतिविधियां	Photographic activities
749	अन्य व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां क०औ०व०न०	Other professional, scientific and technical activities n.e.c.
75	पशु चिकित्सा गतिविधियां	Veterinary activities
750	पशु चिकित्सा गतिविधियां	Veterinary activities

ह N	प्रशासनिक तथा सहायक सेवा गतिविधियां किराये तथा लीज संबंधी गतिविधियां	Administrative and support service activities
77	•	Rental and leasing activities
771	मोटर वाहनों को किराये एवं पटटे पर देना	Renting and leasing of motor vehicles
772	निजी व घरेलू वस्तुओं को किराये एवं पटटे पर देना	Renting and leasing of personal and household goods
773	अन्य मशीनरी, उपकरणें एवं मुर्त वस्तुओं को किराये एवं पटटे पर देना	Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods
774	गैर वित्तिय अमुर्त वस्तुओं को पटटे पर देना	Leasing of non financial intangible goods
78	रोज़गार गतिविधियां	Employment activities
781	रोज़गार स्थापन एजेंसियों के क्रियाकलाप	Activities of employment placement agencies
782	अस्थाई रोज़गार एजेंसी के क्रियाकलाप	Temporary employment agency activities
783	मानव संसाधन प्रावधान और मानव संसाधन कार्यो का प्रबंधन	Human resources provision and management of human resources functions
79	पर्यटन एजेन्सी, टूर ऑपरेटर तथा अन्य आरक्षण सेवा गतिविधियां	Travel agency, tour operator and other reservation service activities
791	द्रैवल एजैन्सी और टुर ओपरेटर गतिविधियां	Travel agency and tour operator activities
799	अन्य आरक्षण सेवा क्रियाकलाप	Other reservation service activities
80	सुरक्षा तथा जॉच गतिविधियां	Security and investigation activities
801	निजी सुरक्षा गतिविधियां	Private security activities

	National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)
1		2
802	सुरक्षा व्यवस्था सेवा गतिविधियां	Security systems service activities
803	जांच गतिविधियां	Investigation activities
81	भवन तथा भूदृश्य क्रियाकलाप सेवाएं	Services to buildings and landscape activities
811	संयुक्त सुविधा सहायक गतिविधियां	Combined facilities support
812	सफाई गतिविधियां	Cleaning activities
813	परिदृश्य देखभाल एवं रख रखाव सेवा गतिविधियां	Landscape care and maintenance service activities
82	कार्यालय प्रशासनिक, कार्यालय सहायक तथा अन्य व्यापार सहायक क्रियाकलाप	Office administrative, office support and other business support activities
821	कार्यालय प्रशासनिक एवं सहायक गतिविधियां	Office administrative and support activities
822	काल सैन्टर गतिविधियां	Activities of call centres
823	सम्मेलन एवं व्यापार प्रदर्शनी संगठन	Organisation of conventions and trade shows
829	व्यवसाय सहायक सेवा गतिविधियां	Business support service activities
	क० औ० व० न०	n.e.c.
ण О	लोक प्रशासन तथा रक्षा आवश्यक	Public administration and
	सामाजिक सुरक्षा	defence; compulsory social security
84	लोक प्रशासन तथा रक्षा आवश्यक	Public administration and
	सामाजिक सुरक्षा	defence; compulsory social
	9	security
841	समुदाय की आर्थिक एवं सामाजिक नीति	Administration of the State and
	एवं राज्य का प्रशासन	the economic and social policy of the community
		the community

	National industrial Classification ((upto 5 digit level)
1		2
842	पूर्ण रुप में समुदाय की सेवा का प्रावधान	Provision of services to the community as a whole
843	अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा गतिविधियां	Compulsory social security activities
त P	शिक्षा	Education
85	शिक्षा	Education
851	प्राथमिक शिक्षा	Primary education
852	माध्यमिक शिक्षा	Secondary education
853	उच्च शिक्षा	Higher education
854	अन्य शिक्षा	Other education
855	शैक्षिक सहायक गतिविधियां	Educational support services
थ Q	मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य	Human health and social work
	गतिविधियां	activities
86	मानव स्वास्थ्य गतिविधियां	Human health activities
861	अस्पताल गतिविधियां	Hospital activities
862	चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा अभ्यास गतिविधियां	Medical and dental practice activities
869	अन्य मानव स्वास्थय गतिविधियां	Other human health activities
87	आवासीय देखरेख गतिविधियां	Residential care activities
871	नर्सिंग देखभाल सुविधाएं	Nursing care facilities
872	मानसिंक मंदता, मानसिक स्वास्थय और	Residential care activities for
	द्रव्यों के सेवन के लिये आवासीय देखरेख गतिविधियां	mental retardation, mental health and substance abuse
873	बुजुर्गों एवं विकलांगों के लिए आवासीय देखभाल गतिविधियां	Residential care activities for the elderly and disabled
879	अन्य आवासिय देखभाल कार्यकलाप क०	Other residential care activities
	औ० व० न०	n.e.c.

	National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)
1		2
88	गैर आवासीय सामाजिक कार्य गतिविधियां	Social work activities without accommodation
881	बुजुर्ग एवं विकलांगों के लिए आवास के बिना सामाजिक कार्य गतिविधियां	Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
889	बिना आवास के अन्य सामाजिक कार्य	Other social work activities
	गतिविधियां क०औ०व०न०	without accommodation n.e.c.
द R	कला, आमोद तथा प्रमोद	Arts, entertainment and
		recreation
90	सर्जनात्मक, कलाएं तथा मनोरंजन	Creative, arts and entertainment
	गतिविधियां	activities
900	रचनात्मक कला और मनोरंजन	Creative, arts and entertainment
	गतिविधियां	activities
91	पुस्तकालय, अभिलेख, संग्रहालय तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां	Libraries, archives, museums and other cultural activities
910	पुस्तकालय, आरकाईव, संग्राहलय एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां	Libraries, archives, museums and other cultural activities
92	जुआ तथा पणन (बाज़ी लगाने संबंधी) गतिविधियां	Gambling and betting activities
920	जुआ और सट्टेबाजी गतिविधियां	Gambling and betting activities
93	ु स्रेलकूद क्रियाकलाप तथा आमोद एवं प्रमोद गतिविधियां	Sports activities and amusement and recreation activities
931	खेलों की गतिविधियां	Sports activities
932	अन्य आमोद एवं प्रमोद गतिविधियां	Other amusement and recreation activities
ध S	अन्य सेवा गतिविधियां	Other service activities
94	सदस्य संगठनों के क्रियाकलाप	Activities of membership organizations

1		2
941	व्यापार, नियोक्ता एवं वृतिक संगठनों की सदस्यता की गतिविधियां	Activities of business, employers and professional membership organizations
942	व्यापार संगठनों की गतिविधियां	Activities of trade unions
949	अन्य सदयस्ता संगठनों की गतिविधियां	Activities of other membership
95	कम्प्यूटर तथा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक वस्तुओं की मरम्मत	organizations Repair of computers and personal and household goods
951	कम्पयूटर एवं संचार उपकरण की	Repair of computers and
952	मरम्म्त निजी व्यक्तिगत और घरेलु सामान की	communication equipment Repair of personal and household
932	मरम्म्त	goods
96	अन्य व्यक्तिगत सेवा गतिविधियां	Other personal service activities
960	अन्य व्यक्तिगत सेवा गतिविधियां	Other personal service activities
न T	नियोक्ताओं के रूप में परिवारों के	Activities of households as
	क्रियाकलापय परिवारों के स्व प्रयोग	employers; undifferentiated
	हेतु गैर विभेदकारी वस्तुओं- तथा सेवाओं के उत्पादन संबंधी क्रियाकलाप	goods- and services producing activities of households for own
	सवाआ क उत्पादन संबंधा क्रियाकलाप	use
97	घरेलू कार्मिकों के नियोक्ताओं के रूप में	Activities of households as
	परिवारों के क्रियाकलाप	employers of domestic personnel
970	घरेलु कर्मियों के नियोक्ताओं के रुप में	Activities of households as
98	परिवारों की गतिविधियां निजी परिवारों के स्वंय के उपभोग के	employers of domestic personnel Undifferentiated goods and
98	निणा पारवारा क स्वयं क उपमाग क लिए गैर विभेदकारी माल एवं सेवा	Undifferentiated goods and services producing activities of
	उत्पादक गतिविधियां	private households for own use
981	निजी परिवारों के स्वंय के उपभोग के	Undifferentiated goods-producing
	लिए गैर विभेदकारी माल उत्पादक	activities of private households
	गतिविधियां	for own use

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) (3 अंक स्तर तक)

National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)		
1		2
982	निजी परिवारों के स्वंय के उपभोग के लिए गैर विभेदकारी सेवा उत्पादक गतिविधियां	Undifferentiated service- producing activities of private households for own use
प U	बर्हिक्षेत्रीय संगठनों तथा निकायों की गतिविधियां	Activities of extraterritorial organizations and bodies
99	बर्हिक्षेत्रीय संगठनों तथा निकायों की गतिविधियां	Activities of extraterritorial organizations and bodies
990	बर्हिक्षेत्रीय संगठनों और निकायों की गतिविधियां	Activities of extraterritorial organizations and bodies
		स्त्रोत : के० सां० का०

त्रोत : के० सां० का० Source : C.S.O

न० - कहीं और वर्गीकृत नहीं

क०औ०व०न० - कहीं और वर्गीकृत नहीं n. e. c. - Not elsewhere classified

अनुबन्ध-ख Annexure-B

प्रकाशन में सहयोग देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची List of Officers/Officials associated with the publication

सर्वश्री / S/Shri

अमित वर्मा संयुक्त निदेशक Amit Verna Joint Director ओंकार नाथ मिश्र अन्वेषक श्रेणी-I Onkar Nath Mishra Investigator Grade-I रवि सूद अन्वेषक श्रेणी-II Ravi Sood Investigator Grade-II

नीरज सिंह अन्वेषक श्रेणी-II Niraj Singh Investigator Grade-II राज कुमार अन्वेषक श्रेणी-II

Raj Kumar Investigator Grade-II रणजीत कुमार अन्वेषक श्रेणी-II

Ranjeet Kumar Investigator Grade-II गौरव कुमार सिंह अन्वेषक श्रेणी-II

गौरव कुमार सिंह अन्वेषक श्रेणी-II Gaurav Kumar Singh Investigator Grade-II © भारत सरकार पी डी एल बी-163.2017 (द्विभाषी) © Government of India नियंत्रक प्रकाशन Controller of Publication

PDLB - 163.2017 (Bilingual) 125 – 2019 (डी एस के-III) 125 – 2019 (DSK-III)

मुल्य : 170.00 Price: 170.00

2019 नियंत्रक प्रकाशन, सिविल लाइन्स, दिल्ली के लिए मुद्रण इकाई, श्रम ब्यूरो शिमला 171 004 के द्वारा मुद्रित Printed by Printing Unit, Labour Bureau, Shimla 171004 For Controller of Publications, Civil Lines, Delhi